वर्ष : 13 अंक : 8 अगस्त 2015 ₹ 10

# सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

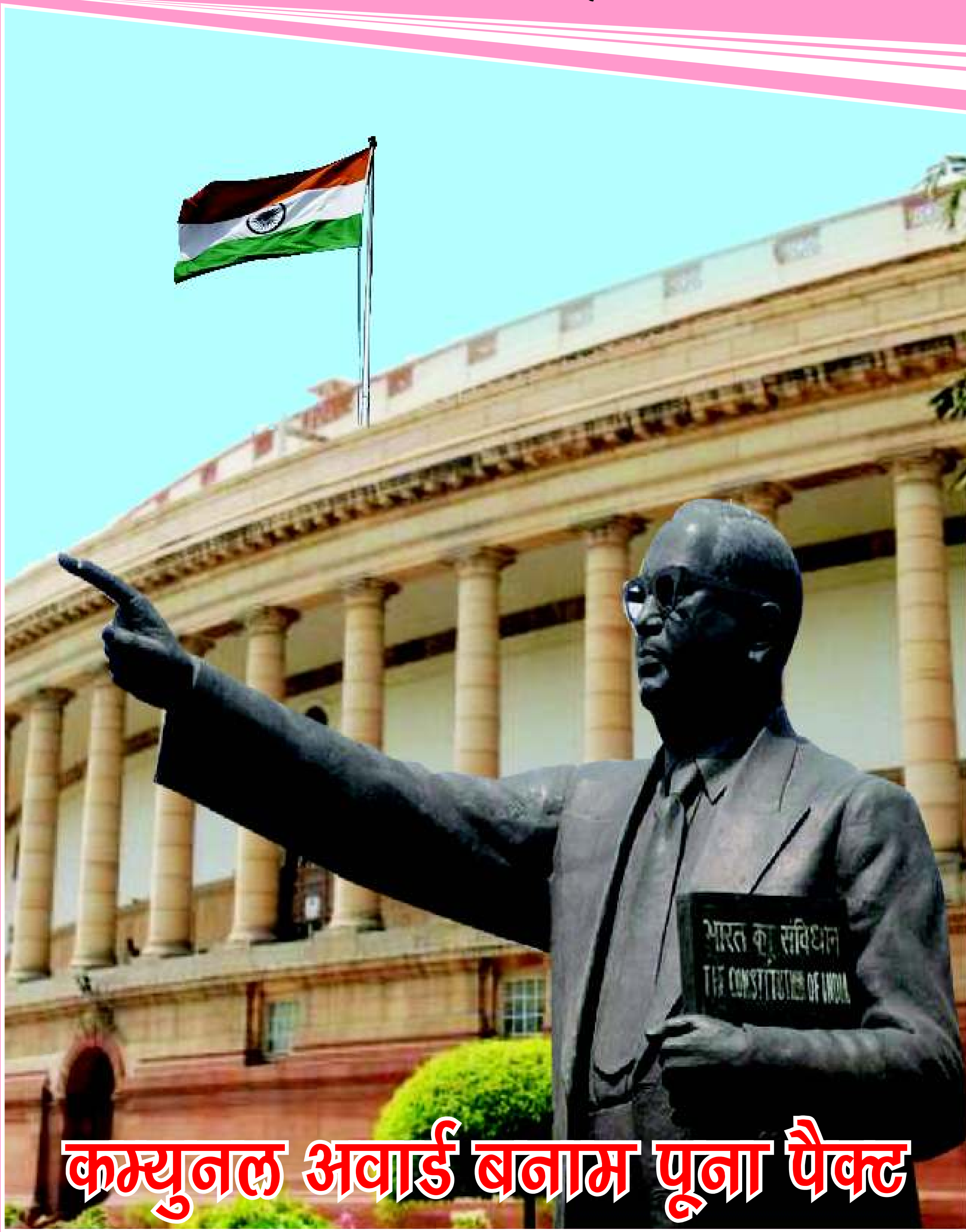


# कम्युनल अवार्ड बनाम पूना पैक्ट

# भारत का संविधान

हम **भारत के लोग,** भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
**राष्ट्र की एकता और अखंडता**
**सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

# सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

वर्ष : 13 ★ अंक : 08 ★अगस्त 2015 ★ कुल पृष्ठ : 60

सम्पादक
**सुधीर हिलसायन**

सम्पादक मंडल
**चन्द्रवली**
**प्रो. शैलेन्द्रकुमार शर्मा**
**डॉ. प्रभु चौधरी**

सम्पादकीय कार्यालय
**सामाजिक न्याय संदेश**
**डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान**
15 जनपथ, नई दिल्ली-110001
सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588
सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625
फैक्स : 011-23320582
ई.मेल : hilsayans@gmail.com
editorsnsp@gmail.com

वेबसाईट: www.ambedkarfoundation.nic.in
(सामाजिक न्याय संदेश उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है )

व्यापार व्यवस्थापक
**जगदीश प्रसाद**

प्रकाशक व मुद्रक **जी.के. द्विवेदी**, निदेशक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए इंडिया ऑफसेट प्रेस, ए-1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली 110064 से मुद्रित तथा 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित व **सुधीर हिलसायन**, सम्पादक (डॉ.अ.प्र.) द्वारा सम्पादित।

सामाजिक न्याय संदेश में प्रकाशित लेखों/रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। प्रकाशित लेखों /रचनाओं में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखकों /रचनाकारों का है। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए भी सामाजिक न्याय संदेश उत्तरदायी नहीं है। समस्त कानूनी मामलों का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली के क्षेत्र एवं न्यायालयों के अधीन होगा।

RNI No. : DELHIN/2002/9036

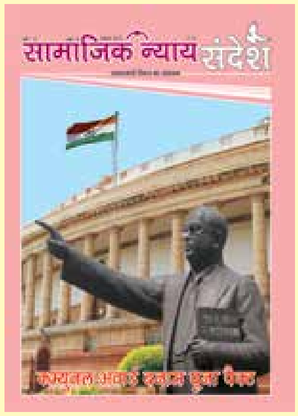


## इस अंक में


| | | |
|---|---|---|
| ❖ सम्पादकीय/कम्युनल अवार्ड बनाम पूना पैक्ट | सुधीर हिलसायन | 2 |
| ❖ पुस्तक अंश/अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर | 4 |
| ❖ डॉ. भीमराव अम्बेडकर का समाज-दर्शन | डॉ. इन्द्र सेंगर | 11 |
| ❖ आज भी प्रासंगिक हैं बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर | अमित सिंह | 14 |
| ❖ इतिहास के आइने में वास्तविकता | डॉ. अरविन्द कुमार | 16 |
| ❖ आरक्षण : क्यों और किसे? | आर.एस. सांभरिया | 18 |
| ❖ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्यपरकता की आवश्यकता | इन्दु पाराशर | 28 |
| ❖ समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विचार | अनीता रानी | 33 |
| ❖ पुस्तक अंश/डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित | धनंजय कीर | 37 |
| ❖ सख्शियत/एक अमर व्यक्तित्वः डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | बलराम प्रसाद | 46 |
| ❖ आदिवासी की दुनिया/आदिवासियों की प्राकृतिक और आध्यात्मिक आस्था | मुन्ना साह | 48 |
| ❖ फूलों की तरह मुस्कुराइए और शबनम की तरह... | शीला नरेन्द्र त्रिवेदी | 50 |
| ❖ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका | डॉ. मनीषा शर्मा | 52 |
| ❖ कहानी/ एहसान | बद्रीनाथ वर्मा अनजान | 54 |
| ❖ कविता/अपमानित नारी क्यों | रामसिंह दिनकर | 56 |


*ग्राहक सदस्यता शुल्क : वार्षिक ₹ 100, द्विवार्षिक : ₹ 180, त्रैवार्षिक : ₹ 250*

*डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर **डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन**, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 के नाम भेजें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।*

सम्पादकीय सम्पर्क 011-23320588 सब्सक्रिप्शन सम्पर्क 011-23357625

# कम्युनल अवार्ड

1931-32 में लन्दन में दो राउण्ड टेबल कांफ्रेंसों (गोलमेज सम्मेलनों) में जब हिन्दू, मुसलमान, सिख व दलित-पिछड़े देश की भावी शासन व्यवस्था, संविधान व उनको मिलने वाले संरक्षण व सुविधाओं पर सर्वसम्मति से कोई निर्णय न ले सके, तो सबों ने यह मामला ब्रिटिश हुकूमत पर छोड़ दिया। समुदायों के इस आपसी विवाद को 'साम्प्रदायिक मसला' कहा गया। इसी मसले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा 17 अगस्त, 1932 को की, जिसे 'कम्युनल अवार्ड' कहा जाता है। सिख, मुसलमान व अन्य वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ इस अवार्ड में दलित वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकारा गया तथा उसमें यह व्यवस्था की गयी की वोट की योग्यता वाले दलित-पिछड़े वर्गों के लोग पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में ही वोट डाल सकेंगे। यह व्यवस्था 20 साल तक के लिए आवश्यक समझी गयी। इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट अर्थात् पृथक निर्वाचन कहा गया। महात्मा गांधी ने अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में ब्रिटिश हुकूमत को लिखे अपने पत्रों में कहा कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था का विरोध वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करेंगे। उनका मानना था कि दलित प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल देश के लिए हानिकारक है। उनकी दृष्टि में इन वर्गों का मामला मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। उनके दृष्टिकोण और विचार से दलित प्रबुद्ध जन सहमत नहीं थे।

काफी मशक्कत और सरकारी निर्णय स्पष्ट करने के बाद ब्रिटिश **प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने दिनांक 8 सितम्बर, 1932 को महात्मा गांधी को सम्बोधित अपने पत्र में लिखा, ''आप तो केवल चाहते हैं कि आज प्रत्यक्षतः जो दलित वर्ग भयंकर असुविधाओं से त्रस्त और ग्रस्त हैं, विधानमण्डलों में अपनी आवाज उठाने वाले अपनी मर्जी से गिने-चुने प्रतिनिधि भी न चुन सकें, क्योंकि उनके भविष्य पर उनका जबर्दस्त प्रभाव होगा।''**

'कम्युनल अवार्ड' के विरोध में महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। दलित-पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय प्रतिनिधि होने के नाते डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर जबर्दस्त राजनैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव था कि वे अपनी 'पृथक निर्वाचन' की मांग छोड़ दें। **महात्मा गांधी की जान बचाने की मानवीय बाध्यता व तात्कालिक राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों के चलते डॉ. अम्बेडकर को समझौता करना पड़ा और 'कम्युनल अवार्ड' के स्थान पर दलित वर्गों को संरक्षण देने के लिए यरवदा जेल में किये गये समझौते पर 24 सितम्बर, 1932 को हिन्दू नेताओं और डॉ. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए, उसी को 'पूना पैक्ट' कहा जाता है।** इसके अन्तर्गत दलित वर्गों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रान्तीय विधानमण्डलों तथा केन्द्रीय विधानमण्डल के लिए सामान्य सीटों का 18 फीसदी सीटें अर्थात् 148 सीटें आरक्षित की गईं। यह व्यवस्था प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए लागू की जानी थी, किन्तु सामान्य निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत सीटों के आरक्षण की यह व्यवस्था तब तक बनी रहेंगी, जब तक कि इस समझौते से संबंधित सम्प्रदायों के बीच आपसी समझौते द्वारा कुछ अन्य व्यवस्था न तय की जाए। यह भी व्यवस्था की गई कि जहां तक स्थानीय निकाय के लिए अथवा लोकसेवा में नियुक्ति का संबंध है, किसी के लिए इस आधार पर कोई अयोग्यता नहीं होगी कि वह दलित वर्ग का सदस्य है और इस बात का भरसक प्रयास किया जाएगा कि इन मामलों में दलित वर्गों को समुचित

# बनाम पूना पैक्ट

प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन शर्त होगी कि उनके पास निर्धारित आवश्यक शैक्षिक योग्यता हो।

हर प्रांत में शिक्षा संबंधी अनुदान में से पर्याप्त राशि की अलग से व्यवस्था दलित-पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाए। समझौते की शर्तें गांधी ने स्वीकार की, सरकार ने उन्हें लागू किया और उनका समावेश **'भारत सरकार अधिनियम 1935'** में किया गया। पूना पैक्ट पर बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के सहमत होने पर मुम्बई में हिन्दू नेताओं की जो बातचीत हुई और जो भाषण उन्होंने दिए, उनमें नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि वे दस वर्ष के अन्दर समाज से अस्पृश्यता समाप्त कर समाज में सामाजिक समता कायम कर देंगे। वास्तव में इस पूरे दलित-पिछड़ों के आन्दोलन का यही मन्तव्य भी था, किन्तु क्या पूना पैक्ट का दलितों को वास्तव में लाभ हुआ और क्या पूना पैक्ट में निहित आश्वासन पूरे हुए?

आज समाज में जातिवाद व अस्पृश्यता का जहर पहले की ही तरह फैला हुआ है। यह कहा जाए कि जात-पांत का प्रभाव और अधिक बढ़ा है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वास्तव में पूना पैक्ट हिन्दू धर्म के सुधार की दिशा में एक कदम था। लेकिन क्या उसमें सुधार हुआ? सिवाय रूढ़िवादी पूर्वाग्रह, मिथ्या, धार्मिक अन्धविश्वास, दूसरे वर्गों का शोषण और निहित स्वार्थ के उद्देश्य को। वर्ण और जाति-व्यवस्था का कोई वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व व्यवहारिक आधार नहीं है।

देश में आज गरीब और अधिक गरीब तथा अमीर और अधिक अमीर होने का अन्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों में तकरीबन 90 फीसदी दलित-पिछड़े वर्ग के ही व्यक्ति हैं। सबसे अधिक अशिक्षा और भुखमरी उन्हीं में है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कारण उन्हें कुछ रोजगार के अवसर तो मिले, किन्तु पूँजीवादी व्यवस्था के प्रभाव व निजीकरण के कारण वह अवसर भी कम होते जा रहे हैं। दलितों-पिछड़ों के पास इतनी धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद और उत्पादन के साधन नहीं हैं, जिससे कि वे स्वयं अपनी स्थिति सुधार सकें, ऐसे में फिर वे करें तो क्या करें?

बाबासाहेब के अथक प्रयासों से तकरीबन 83 वर्ष पूर्व 17 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने दलितों के राजनीतिक अस्तित्व व उनके कानूनी अधिकारों को मान्यता प्रदान की थी, दरअसल इससे पूर्व राजनैतिक ईकाई के रूप में उनकी पहचान नहीं थी।

आइए, आजादी के 69वें वर्ष में 'सामाजिक न्याय' की सुनिश्चितता के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, को 'सरकार' की उन योजनाओं को समाज के आखिरी पायदान पर संघर्ष कर रहे लोगों तक पहुंचाने में मदद करने का संकल्प लें ताकि राष्ट्रनिर्माता बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के सपनों का 'समतावादी समाज' का निर्माण हो व 'सामाजिक न्याय' की संकल्पनाओं को पूरा किया जा सके।

**( सुधीर हिलसायन )**

"'कम्युनल अवार्ड' के विरोध में गांधी ने अपना आमरण अनशन पूना की यरवदा जेल में प्रारम्भ कर दिया। दलित वर्गों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि होने के नाते डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर जबर्दस्त राजनैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव था कि वे अपनी 'पृथक निर्वाचन' की मांग छोड़ दें। **महात्मा गांधी की जान बचाने की मानवीय बाध्यता व तात्कालिक राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों के चलते डॉ. अम्बेडकर को समझौता करना पड़ा और 'कम्युनल अवार्ड' के स्थान पर दलित वर्गों को संरक्षण देने के लिए यरवदा जेल में किए गए समझौते पर 24 सितम्बर, 1932 को हिन्दू नेताओं और डॉ. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए, उसी को 'पूना पैक्ट' कहा जाता है।**"

पुस्तक अंश : बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-19

# अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहार

■ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

8. मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र के पक्ष का मामला सुदृढ़ है। कांग्रेस के सिवाय प्रत्येक पार्टी इस सुझाव को स्वीकार करती है। अलग निर्वाचन-क्षेत्रों के पक्ष में तर्क मेरे 3 मार्च 1946 के उस पत्र में दिए गए हैं, जो लॉर्ड वेवल को भेजा गया था और शायद उन्होंने यह पत्र आपको दिखाया हो। अतः उस पत्र को फिर दुहराना अनावश्यक है। प्रश्न यह है कि अनुसूचित जातियों की इस मांग के बारे में मिशन को क्या करना है। क्या मिशन अछूतों को हिन्दुओं के राजनीतिक बंधन से मुक्त करना चाहता है? अथवा वह संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की पद्धति द्वारा उन्हें भेड़ियों के सामने डालना चाहता है ताकि वे कांग्रेस और उस हिन्दू बहुसंख्यक वर्ग के साथ भिन्नता कर सकें जिसके वे प्रतिनिधि कहे जाते हैं? अनुसूचित जातियां महामहिम की सरकार से यह पूछने का अधिकार रखती हैं कि क्या महामहिम की सरकार ब्रिटिश राज छोड़ने से पूर्व यह आश्वस्त करेगी कि स्वराज अछूतों के लिए फांसी का फन्दा न बन जाए।

9. मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि ब्रिटिश का अनुसूचित जातियों के प्रति नैतिक दायित्व है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उनके नैतिक दायित्व हैं, परन्तु ये दायित्व कभी भी उस नैतिक दायित्व से आगे नहीं बढ़ सकते जो उन्हें अछूतों के संबंध में निभाना है। यह दुःख की बात है कि कुछ ब्रिटिश लोग ही इससे अवगत हैं और कितने कम लोग इसे निभाना चाहते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व अछूतों द्वारा की गई सहायता पर निर्भर करता है। अनेक ब्रिटिश लोग यह सोचते हैं कि भारत पर विजय क्लाइव, हेस्टिंग्स, कूट्स और इसी प्रकार के अन्य सेनापतियों द्वारा हुई है। इससे अधिक गलती और नहीं हो सकती। भारत पर विजय भारतीयों की सेनाओं द्वारा हुई और जो भारतीय इस सेना में थे, वे सभी अछूत थे। ब्रिटिश शासन भारत में कभी भी संभव न होता यदि अछूतों ने ब्रिटिश लोगों की भारत पर विजय पाने में सहायता न की होती। प्लासी के युद्ध को ही लीजिए। इस युद्ध से ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ या किर्की की लड़ाई को देखिए जिसने भारत पर विजय को पूरा कराया। इन दोनों भाग्य-निर्णायक लड़ाइयों में जो सैनिक ब्रिटिश के लिए लड़े, वे सभी अछूत थे।

10. ब्रिटिश ने उन अछूतों के लिए जो उनके लिए लड़े क्या किया? यह शर्मनाक कहानी है। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि सेना में अछूतों की भर्ती रोक दी। इतिहास में इससे अधिक अकृतज्ञ और कठोर कार्य शायद ही मिले। सेना में अछूतों के लिए द्वार बन्द कर दिए जाने से ब्रिटिश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अछूतों ने ही उनके शासन को स्थापित कराने में सहायता की थी तथा उनकी उस समय रक्षा की थी जब 1857 में सैनिक बगावत के समय देशी बलों के सशक्त गठबंधन ब्रिटिश राज को हिला उठे थे। अछूतों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किए बिना ब्रिटिश ने एक बार में ही उनके जीवनयापन के स्रोत से उन्हें वंचित कर दिया और उन्हें अपने मूल पतन गर्त में झोंक दिया। क्या ब्रिटिश ने उनकी सहायता की कि वे किसी प्रकार अपनी स्वाभाविक असमानताओं को दूर कर सकें। इसका उत्तर भी नकारात्मक है। स्कूल, कुएं और सार्वजनिक स्थान अछूतों के लिए बन्द कर दिए गए। पर ब्रिटिश का कर्तव्य था कि वे अछूतों को नागरिक के रूप में देखें और उन्हें सरकारी खर्च द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए अधिकारी बनाएं। परन्तु ब्रिटिश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और सबसे खराब बात यह है कि उन्होंने अपनी अकर्मण्यता को यह कहकर संगत ठहराया कि अस्पृश्यता उनकी देन नहीं है। यह हो सकता है कि अस्पृश्यता उनकी देन न हो, किन्तु सरकार होने के नाते निश्चय ही अस्पृश्यता मिटा देने का उनका उत्तरदायित्व तो था। कोई भी सरकार जो

अपने कृत्यों और कर्तव्यों के प्रति सजग है, इस असमानता को दूर करने के लिए बाध्य है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उसने ऐसे किसी प्रश्न को नहीं सुलझाया जिसका संबंध हिन्दू समाज के सुधार से था। जहां तक सामाजिक सुधार का संबंध है, अछूतों ने ऐसी सरकार के अधीन स्वयं को पाया जिसके लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया और कष्ट सहे, जिए और मरे, परन्तु यह सब इतिहास में विलीन हो गया। राजनीतिक दृष्टि से, परिवर्तन साधारण था। हिन्दुओं की निरंकुशता पूर्ववत् बनी रहीं। ब्रिटिश हाई कमान द्वारा इसे कम किए जाने के बजाय, बढ़ावा दिया गया। सामाजिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश ने उसी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, जो उन्हें मिली थी और चीन के उस दर्जी के तरीके के अनुसार उसे निष्ठापूर्वक सुरक्षित रखा, जिसे जब एक पुराना कोट नमूने के तौर पर दिया गया, तो उसने बड़े गर्व के साथ उस कोट जैसा हुबहू कोट बना दिया, जिसमें पैंबन्द और सभी कुछ ज्यों के त्यों लगे हुए थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुए 200 वर्ष बीत गए हैं, किन्तु अछूत, अछूत ही हैं। उनकी दुर्दशा को ठीक नहीं किया गया है और उनकी प्रगति के प्रत्येक चरण में रुकावट आई है। वास्तव में यदि ब्रिटिश शासन ने भारत में कुछ भी प्राप्त किया है, तो उसने ब्राह्मणवाद को सशक्त किया है और पुन: अनुप्राणित किया है। ब्राह्मण अछूतों के घोर शत्रु हैं और वे ही सभी बुराईयों के जन्मदाता हैं। उन्हीं के कारण अछूतों को वर्षों से यातना भुगतनी पड़ी है।

11. आप यहां यह घोषणा करने आए हैं कि ब्रिटिश लोग भारत पर सत्ता छोड़ रहे हैं। इसमें कोई भूल नहीं होगी यदि अछूत यह पूछें कि ''आप किसे यह प्राधिकार और शक्ति सौंप रहे हैं?'' क्या आप ब्राह्मणवाद के पक्षपोषकों को यह भार सौंपा रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि अछूतों के अत्याचारियों और दमनकारियों को यह सत्ता सौंप रहे हैं?'' भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने का यह तरीका अन्य पार्टियों के अंत:करण को न छुए, परन्तु ब्रिटिश लेबर पार्टी के बारे में क्या कहा जाए? लेबर पार्टी अधिकारहीनों तथा दलितों के लिए खड़े होने का दावा करती है। यदि यह बात अपने मर्म में सही है, तो मुझे कोई संदेह नहीं कि यह भारत के करोड़ों अछूतों के साथ खड़ी होगी तथा अछूतों की स्थिति बचाए रखने के लिए आवश्यक सभी कुछ करेगी और ऐसे हाथों में शक्ति को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति नहीं देगी, जो अपने जीवन के दर्शन तथा धर्म के कारण शासन करने के योग्य नहीं हैं और अछूतों के शत्रु हैं। अनुसूचित जातियों के प्रति लापरवाही के लिए ब्रिटिश की ओर से यह प्रायश्चित होगा; क्योंकि वे सदैव ही अनुसूचित जातियों के न्यासधारी रहे हैं।

12. मैंने इतने विस्तार से अपने मन को हलका किया है, परन्तु अछूतों ने संवैधानिक सुरक्षा का जो प्रश्न उठाया है, उसके प्रति मिशन के मौन से मेरे मन में चिन्ता पैदा हो गई है। जो आश्वासन महामहिम की सरकार ने अछूतों तथा अल्पसंख्यकों को दिए हैं, उनके प्रति मिशन के रुख से मेरी चिंता और गहरी हो गई है। इन आश्वासनों के संबंध में मिशन की प्रवृत्ति से लॉर्ड पामर्सटन की याद आती है; जिन्होंने कहा था, ''हमारे कोई भी स्थाई शत्रु नहीं हैं, हमारे कोई भी स्थाई मित्र नहीं हैं। हमारे केवल स्थायी हित हैं।'' आप भलीभांति यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैसी 'भयानक संभावना होगी जो आप अछूतों को देंगे यदि यह बात पैदा हो जाए कि मिशन पामर्सटन की उक्ति को अपना मार्गदर्शक तत्व मानता है। आप ग्रेट ब्रिटेन के अल्प-सुविधा-प्राप्त वर्ग से उभरे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वह सब कुछ अवश्य करेंगे, जिससे भारत के अल्प-सुविधा प्राप्त 6 करोड़ लोगों को संभावित विश्वासघात से बचाया जा सके। यही कारण है कि मैंने उनके मामले को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आप यह कहने की मुझे अनुमति दें, तो मैं कहूंगा कि अछूतों की

**मैंने इतने विस्तार से अपने मन को हलका किया है, परन्तु अछूतों ने संवैधानिक सुरक्षा का जो प्रश्न उठाया है, उसके प्रति मिशन के मौन से मेरे मन में चिन्ता पैदा हो गई है। जो आश्वासन महामहिम की सरकार ने अछूतों तथा अल्पसंख्यकों को दिए हैं उनके प्रति मिशन के रुख से मेरी चिंता और गहरी हो गई है। इन आश्वासनों के संबंध में मिशन की प्रवृत्ति से लॉर्ड पामर्सटन की याद आती है जिन्होंने कहा था, ''हमारे कोई भी स्थाई शत्रु नहीं हैं, हमारे कोई भी स्थाई मित्र नहीं हैं। हमारे केवल स्थायी हित हैं।''**

यह भावना है कि इस मिशन में आपके सिवाय उनका कोई भी बड़ा मित्र नहीं है।

भवदीय

बी.आर. अम्बेडकर

द राइट ऑनरेबल श्री ए.वी. एलेक्जेंडर, सी.एच.एम.पी., सदस्य, केबीनेट मिशन, वायसराय हाऊस, नई दिल्ली

## 19
## डॉक्टर अम्बेडकर का लॉर्ड पेथिक लॉरेंस को पत्र

*(एल/पी एण्ड जे/10/43: पृष्ठ 96-8)*

*22, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली,*

*22 मई, 1946*

प्रिय लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस,

केबिनेट मिशन ने जो वक्तव्य जारी किया है, उसके अध्ययन से मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें बहुत संदिग्धता है। इनका उल्लेख इस प्रकार है-

1. क्या वक्तव्य के पैरा 20 में उल्लिखित शब्द ''अल्पसंख्यक वर्ग'' में अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं?,

2. पैरा 20 में कहा गया है कि नागरिकों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय वर्गों तथा बाह्य क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों की सलाहकार समिति में प्रभावित लोगों के हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह कौन देखेगा कि क्या सलाहकार समिति प्रभावित लोगों के हितों का वास्तव में पूर्ण प्रतिनिधित्व रखती है?

3. प्रभावित लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व हेतु क्या महामहिम की सरकार यह अधिकार अपने पास रखेगी कि इस प्रकार के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए वह संविधान सभा से बाहर के लोगों को समिति में नामांकित करे? बाह्य क्षेत्र के लोगों का नामांकन आवश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि संविधान सभा में से बाह्य क्षेत्रों के लोगों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। यदि नामांकन किए जाने की आवश्यकता स्वीकार कर ली जाती है, तो क्या संविधान सभा के बाहर अनुसूचित जातियों के सदस्यों के नामांकन के सिद्धान्त का विस्तार किया जाएगा, ताकि सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके?

4. संशोधन के पैरा 22 में संघीय संविधान सभा और ब्रिटेन के बीच ऐसे मामलों के बारे में एक संधि की व्यवस्था है, जो शक्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उठ सकते हैं। क्या इस प्रस्तावित संधि में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई उपबंध शामिल किया जाएगा जैसा कि क्रिप्स के प्रस्तावों में दिया गया था? यदि इस संधि में कोई ऐसा उपबंध नहीं है, तो महामहिम की सरकार सलाहकार समिति के निर्णयों को संविधान सभा पर किस प्रकार लागू करेगी?

5. इस वक्तव्य में 'सामान्य' वर्ग के अन्तर्गत यूरोपीय लोगों को शामिल किया गया है। इससे इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि यूरोपीय लोगों को संविधान सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में मत देने का अधिकार होगा। यह बात वक्तव्य में स्पष्ट नहीं की गई है।

कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है। मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा, यदि आप कृपा करके उन प्रश्नों के उत्तर मुझे दे सकें। मैं आज रात दिल्ली से बम्बई जा रहा हूं। इससे पूर्व जो भी प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर मेरे बम्बई के पते पर भिजवाने का कष्ट करें। मेरा पता इस प्रकार है-

पता:

सेलून नं. 27, सेण्ट्रल स्टेशन

बी.बी. एण्ड सी.आई. रेलवे, बम्बई।

भवदीय,

बी.आर. अम्बेडकर

## 20
## लॉर्ड पेथिक लारेंस का डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र

*(एल/पी एण्ड जे/5/337: पृष्ठ 371-2)*

*28 मई, 1946*

आपके 22 मई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने मुझ से हाल ही में दिए गए वक्तव्य की कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।

आप यह बात समझते ही हैं कि हमारे प्रतिनिधि-मंडल का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था का गठन करना है, जिसके द्वारा भारतीय स्वतंत्र भारत के लिए अपना संविधान बना सकें। हमारे वक्तव्य का उद्देश्य यह है कि ऐसा आधार उपलब्ध कराया जाए, जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आवश्यक समझते थे। अन्य मामले जो उठेंगे, उन पर संविधान सभा द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।

निश्चित रूप से यह हमारा इरादा है कि वक्तव्य के पैरा 20 में ''अल्पसंख्यक'' शब्द में अनुसूचित जातियां सम्मिलित हैं। दूसरी ओर, संविधान सभा ही सलाहकार समिति गठित करेगी और हमारी मान्यता है कि समिति यह ध्यान रखेगी कि यह पूर्णतया प्रतिनिधि सभा हो।

हमारा विचार संविधान सभा में हस्तक्षेप करने का नहीं है। परन्तु हमारे वक्तव्य का यह अर्थ नहीं है कि सलाहकार समिति के सदस्य केवल संविधान सभा के सदस्यों में से ही लिए जाएंगे।

मेरे विचार से आपके अन्य प्रश्न उस अतिरिक्त वक्तव्य में अधिकांशतया आ जाते हैं जो शनिवार को संध्या समय प्रतिनिधिमंडल द्वारा जारी किया गया था। इस वक्तव्य की एक प्रति आपके पास भेजी जाती है।

श्री इलेक्जेंडर ने मुझ से कहा है कि मैं आपके पत्र की प्राप्ति की स्वीकृति भेजूं और आपके पत्र के लिए धन्यवाद

दूं जो आपने हाल ही में उन्हें भेजा है। वह दिल्ली से कुछ दिन बाहर सीलोन (श्रीलंका) की यात्रा पर गए हैं और लौटने के बाद वह आपके पत्र का उत्तर देंगे।

## 21
## राय बहादुर शिवराज का फील्ड मार्शल वाइकांउट वेवल को पत्र

*(एल/पी एण्ड जे/5/337: पृष्ठ 410-13)*

*संख्या 592/73/43*

*5 जून, 1946*

अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों के फेडरेशन की कार्यकारी समिति की बैठक 4 जून, 1946 को बम्बई में मेरी अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उस स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया, जो भावी भारतीय संविधान के संबंध में केबिनेट मिशन के प्रस्तावों से उभरी थी। कार्यकारिणी समिति ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है, जिसके लिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उस प्रस्ताव को केबिनेट-मिशन के सदस्यों के विचारार्थ भेजूं। इसके अनुसरण में, मैं उस प्रस्ताव की प्रति संलग्न करता हूं। मैं केबिनेट मिशन से यह जानने के लिए आभारी रहूंगा कि क्या मिशन को उन मांगों के संबंध में कुछ कहना है, जो प्रस्ताव के पैरा 6 में दी गई हैं।

*संख्या 454 का अनुलग्नक*

### अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन

बम्बई में 4 जून 1946 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारी समिति ने इन मुद्दों पर विचार किया (i) भारत के संविधान के बारे में केबिनेट मिशन द्वारा जारी किया गया प्रथम वक्तव्य; (ii) मिशन के सदस्यों द्वारा अपने वक्तव्य के स्पष्टीकरण हेतु प्रेस को दिए गए साक्षात्कार; (iii) केबिनेट मिशन द्वारा जारी दूसरा वक्तव्य; और (iv) केबिनेट मिशन द्वारा माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पत्र-व्यवहार केबिनेट मिशन के वक्तव्य में ऐसी कई बातें हैं, जिन पर कार्यकारी समिति अपने विचार व्यक्त करना चाहेगी।

2. कार्यकारी समिति ने बड़े क्षोभ से यह नोट किया कि कैबिनेट मिशन ने अपने 5,000 शब्दों के वक्तव्य में एक बार भी अनुसूचित जातियों के बारे में उल्लेख नहीं किया है। केबिनेट मिशन की सोच के बारे में समझना कठिन है। मिशन अछूतों के अस्तित्व और अनुसूचित जातियों के प्रति सवर्ण हिन्दुओं के दिन प्रति दिन के अत्याचारों और दमन से अवगत होगा। केबिनेट मिशन महामहिम सरकार द्वारा की गई इन घोषणाओं से भी अवगत होगा कि अछूत सवर्ण हिन्दुओं से अलग थे और भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक अलग तत्व के समान उनका अस्तित्व था। केबिनेट मिशन उन प्रतिज्ञाओं से अपरिचित नहीं होगा, जो महामहिम की सरकार ने दी थीं कि ऐसा कोई भी संविधान अनुसूचित जातियों पर आरोपित नहीं किया जाएगा, जिसके बारे में अनुसूचित जातियां अपनी अनुमति न दें। केबिनेट मिशन को इस तथ्य से अवगत होना होगा कि एक वर्ष पूर्व लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सवर्ण हिन्दुओं से अलग अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारी समिति यह कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करती कि जिस तरीके से अनुसूचित जातियों की उपेक्षा की गई है, उसके फलस्वरूप केबिनेट मिशन ने ब्रिटिश राष्ट्र के नाम की बदनामी की है और उसके नाम पर कलंक लगाया है।

**अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की कार्यकारी समिति ने इन मुद्दों पर विचार किया (i) भारत के संविधान के बारे में कैबिनेट मिशन द्वारा जारी किया गया प्रथम वक्तव्य; (ii) मिशन के सदस्यों द्वारा अपने वक्तव्य के स्पष्टीकरण हेतु प्रेस को दिए गए साक्षात्कार; (iii) कैबिनेट मिशन द्वारा जारी दूसरा वक्तव्य; और (iv) कैबिनेट मिशन द्वारा माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पत्र-व्यवहार कैबिनेट मिशन के वक्तव्य में ऐसी कई बातें हैं, जिन पर कार्यकारी समिति अपने विचार व्यक्त करना चाहेगी।**

3. कार्यकारी समिति ने केबिनेट मिशन के द्वारा प्रेस साक्षात्कार के दौरान दिए गए वक्तव्य देखें हैं जिनमें यह कहा गया है कि मिशन ने संविधान सभा तथा सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए दोहरी व्यवस्था की है। कार्यकारी समिति यह कहने को मजबूर है कि ये प्रावधान नितांत काल्पनिक हैं और गंभीरता से परे हैं। मिशन ने अपनी योजना में संविधान सभा में प्रान्तीय विधान सभा द्वारा चुनाव के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की है। प्रान्तीय विधान सभा पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि संविधान सभा के लिए अनुसूचित जातियों

का विशिष्ट संख्या में चुनाव कराया जाए। यह बिल्कुल संभव है कि संविधान सभा अनुसूचित जातियों का कोई भी प्रतिनिधित्व न रखे। और यदि अनुसूचित जातियों के कुछ प्रतिनिधि संविधान सभा में स्थान प्राप्त कर लें और हिन्दू मतों द्वारा चुना जाए तो वे कभी भी अनुसूचित जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जहां तक सलाहकार समिति का संबंध है, यह संविधान सभा से बहुत अलग नहीं हो सकती। यह संविधान सभा का केवल प्रतिबिम्ब होगी।

4. कार्यकारी समिति यह बिलकुल नहीं समझ पाई है कि केबिनेट मिशन को किस प्रकार विश्वास हुआ कि उसने संविधान सभा तथा सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों की प्रभावकारी आवाज के लिए पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था की है। मिशन को प्रचुर तथा अकाट्य साक्ष्य यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया कि अनुसूचित जातियों के वास्तविक प्रतिनिधि वे हैं जो प्राथमिक चुनावों द्वारा चुने गए थे और जिनके लिए अनुसूचित जातियों के अलग निर्वाचन-क्षेत्र थे; प्रान्तीय विधान सभाओं के अनुसूचित जाति के वर्तमान सदस्य चुनाव में सबसे नीचे थे जिन्होंने प्राथमिक चुनाव लड़े, और संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की त्रुटिपूर्ण पद्धति के कारण वे लोग अन्तिम चुनावों में सबसे उपर आ गए जो प्राथमिक चुनावों में सबसे नीचे थे क्योंकि सवर्ण हिन्दू मतों का बाहुल्य था तथा प्रांतीय विधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य किसी भी प्रकार से अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु वे सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में है। संविधान सभा और सलाहकार समिति में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए दोहरी व्यवस्था की जाने के बजाय, मिशन ने बिना सोचे समझे इस पक्के साक्ष्य की अवहेलना कर दी है और बिना किसी औचित्य के हिन्दुओं की दशा पर अनुसूचित जातियों को छोड़ने में गंभीर विश्वासघात किया है। कार्यकारी समिति मिशन को सूचित करना चाहती है कि अनुसूचित जातियां उनके तर्क अथवा उनके नैतिक उत्तरदायित्व से प्रभावित नहीं है।

5. केबिनेट मिशन की सम्पूर्ण योजना शरारतपूर्ण है। मुस्लिम क्षेत्र में गैर-मुस्लिम अल्पसंखकों की समस्या इस प्रकार हल की गई है कि वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निराधार कर सकते हैं। इसी प्रकार हिन्दू क्षेत्र में गैर-हिन्दू अल्पसंख्यकों, जिनमें अनुसूचित जातियां हैं, को हिन्दू बहुसंख्यकों द्वारा निराधार किया जा सकता है। इस प्रकार कार्यकारी समिति देखती है कि केबिनेट मिशन ने अपनी योजना में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा की अपेक्षा मुस्लिम समुदाय के बयान के लिए अधिक चिन्ता व्यक्त की है। केबिनेट मिशन ने अपनी योजना के पैरा 15 का प्रयोजन यह है कि मुस्लिम समुदाय पर हिन्दू समुदाय के आधिपत्य को हटाया जाए। अनुसूचित जातियों को हिन्दू समुदाय से जो भय है वह मुस्लिम समुदाय से कहीं अधिक है अथवा अधिक हो सकता है। अनुसूचित जातियां इस बात पर जोर देती रही हैं कि यदि उन्हें कोई प्रभावकारी संरक्षण प्राप्त हो सकता है तो अलग निर्वाचन-क्षेत्रों के उपबंध की व्यवस्था द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। केबिनेट मिशन इन मांगों और इनके समर्थन में सभी साक्ष्यों से अवगत था। ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार, हिन्दू बहुमत के आधिपत्य से मुस्लिम समुदाय को स्वतंत्रता दिए जाने की गारंटी के प्रति केबिनेट मिशन द्वारा अपनाए गए नियम के अनुसरण में मिशन के लिए यह संभव था कि उसी पैरा 15 में संविधान सभा की शक्तियों में अधिक सीमांकन किया जाता और यह प्रस्तावित किया जाता कि अनुसूचित जातियों का अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए तथा हिन्दू बहुमत के आधिपत्य से बचने के साधन के रूप में अलग व्यवस्थाओं हेतु संवैधानिक व्यवस्था रखी जाए।

6. कार्यकारी समिति ने देखा कि केबिनेट मिशन ने अपने दूसरे वक्तव्य में कहा है कि ब्रिटेन और भारतीय संविधान सभा के बीच होने वाली संधि की अभिपुष्टि तभी की जाएगी जब अनुसूचित जातियों सहित सब अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए समुचित उपाय किए गए हों। केबिनेट मिशन ने कांग्रेस पार्टी को संतुष्ट करने के लिए अपनी शीघ्रता में इस बात का साहस नहीं किया है कि वह अपने प्रथम वक्तव्य के खंड 22 में इस उपबंध को सम्मिलित करे, यद्यपि यह 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों का एक भाग था। जबकि कार्यकारी समिति इस बात से प्रसन्न है कि मिशन ने अपनी प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर ली है और उन ब्रिटिश लोगों के सम्मान को बचा लिया है जिनके नाम पर अनुसूचित जातियों को आश्वासन दिए गए थे, कार्यकारी समिति यह मांग करती है कि केबिनेट मिशन की योजना में ये संशोधन किए जाएं-

1. वक्तव्य के पैरा 15 में, निम्नलिखित को खंड (7) और (8) के रूप में जोड़ा जाए-

   "(7) अनुसूचित जातियों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा।

   (8) संविधान में ऐसा उपबंध किया जाएगा जो सरकार पर यह दायित्व डालेगा कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग बसावटों की व्यवस्था की जाए।"

2. प्रथम वक्तव्य के पैरा 20 को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों को सलाहकार समिति का

सदस्य बनाया जाए जिन्होंने गत प्राथमिक चुनावों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किए थे और उन्हें अनुसूचित जातियों के पांच अन्य सदस्यों को सलाहकार समिति में चुनकर भेजने का अधिकार दिया जाए।

7. कार्यकारी समिति महामहिम सरकार और ब्रिटिश लेबर पार्टी को यह सूचित करना चाहती है कि केबिनेट मिशन द्वारा अनुसूचित जातियों के प्रति की गई गलतियों को शीघ्र सुधार कर अनुसूचित जातियों के प्रति वे अपनी सद्‌भावना व्यक्त करें। यदि ऐसा न किया गया तो अनुसूचित जातियों के लिए सीधी कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि परिस्थितियों की मांग हुई, तो कार्यकारी समिति अनुसूचित जातियों को इस आने वाले संकट से बचाने के लिए इस बात में हिचक नहीं करेगी कि वह अनुसूचित जातियों को प्रत्यक्ष कार्रवाई की अनुमति दें।

8. कार्यकारी समिति केबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना से अनुसूचित जातियों के मध्य पैदा हुई बेचैनी से अवगत है। कार्यकारी समिति अनुसूचित जातियों से यह कहना चाहती है कि वे साहस और वीरता बनाए रखें जैसी कि उन्होंने अकेले ही, साधन न होते हुए भी, कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने में दिखाई थी। बावजूद इसके कि कांग्रेस द्वारा हिंसा, अत्याचार और लूट-पाट की गई थी और जब हरेक अन्य पार्टी ने भी अपने द्वार बन्द कर लिए थे, वह उन्हें आश्वासन देती है कि डर की कोई बात नहीं है और यदि हम साहस तथा एकता का सहारा लें तो अनुसूचित जातियों के न्याय तथा मानवता के पक्ष की अवश्य विजय होगी, चाहे उनके शत्रुओं के इरादे कुछ भी क्यों न हो।

9. कार्यकारी समिति एतत्‌द्वारा अध्यक्ष को प्राधिकार देती है कि वह एक कार्यवाही परिषद् का गठन करें और उसको यह कर्तव्य सौंपें कि प्रत्यक्ष कार्रवाई का क्या स्वरूप हो, किस प्रकार इसे प्रभावशील बनाया जा सकता है और यह कब प्रारंभ की जाए।

10. कार्यकारी समिति ने देखा है कि-

(1) सवर्ण हिन्दुओं द्वारा भारत भर के गांवों और नगरों में अनुसूचित जातियों के प्रति किए जा रहे अत्याचार और दमन का सिवाय इसके कोई अन्य कारण नहीं था कि उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़े थे तथा इसमें अनेक व्यक्ति घायल हुए और मारे गए;

(2) हिन्दू पुलिस के लिए यह शर्मनाक बात है कि उसने सवर्ण हिन्दुओं का पक्षपात करने के लिए अनुसूचित जातियों के पुरुषों और महिलाओं को कठोर यातनाएं दीं और उनको गिरफ्तार किया;

(3) राशनिंग अधिकारी गैर-कानूनी तौर से कांग्रेस के पक्षपाती होने का काम कर रहे हैं और अनुसूचित जातियों को राशन की आपूर्ति करने से इनकार कर रहे हैं;

(4) समाचार पत्रों ने मौन रहने की साज़िश की है क्योंकि इनमें निर्दोष पुरुषों और महिलाओं पर किए गए अत्याचारों की भर्त्सना नहीं की गई है।

(5) अनुसूचित जातियों के जीवन और सम्पत्ति को बचाने के लिए प्रान्तीय सरकार द्वारा भेदभाव बरता गया है।

कार्यकारी समिति महसूस करती है कि बहुसंख्यक समुदाय का व्यवहार स्वयं ही यह सिद्ध करता है कि वह शक्ति सौंपे जाने के काबिल नहीं है और यदि बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी नैतिकता में सुधार नहीं किया तो अनुसूचित जातियां प्रत्येक साधन से अपना बचाव करेंगी।

> **मुझे कहना है कि मैं यह विचार स्वीकार नहीं कर सकता कि केबिनेट मिशन और वायसराय अनुसूचित जातियों के प्रति अन्यायपूर्ण थे। 1945 में शिमला सम्मेलन में जो नीति अपनाई गई थी, उसे संशोधित किए जाने का कारण, जैसा कि आपने कहा है, गत वसंत में हुए प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे हैं। मिशन ने मतदान के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और मैंने स्वयं उनकी जांच की है। हम इस बात को मानते हैं कि वर्तमान निर्वाचन पद्धति उन अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के प्रति न्याय नहीं करती जो कांग्रेस के विरोधी हैं।**

## 22

## श्री एटली का डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र

*पेरिस, एक अगस्त, 1946*

*(एल/पी एण्ड जे/10/50 : एफ.एफ. 81-3 और एटली पेपर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड*

प्रिय अम्बेडकर

मैंने आपके एक जुलाई के पत्र तथा

उसके साथ संलग्न कागजात पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मुझे कहना है कि मैं यह विचार स्वीकार नहीं कर सकता कि केबिनेट मिशन और वायसराय अनुसूचित जातियों के प्रति अन्यायपूर्ण थे। 1945 में शिमला सम्मेलन में जो नीति अपनाई गई थी, उसे संशोधित किए जाने का कारण, जैसा कि आपने कहा है, गत वसंत में हुए प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे है। मिशन ने मतदान के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया हैं और मैंने स्वयं उनकी जांच की है। हम इस बात को मानते हैं कि वर्तमान निर्वाचन पद्धति उन अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के प्रति न्याय नहीं करती जो कांग्रेस के विरोधी हैं। दूसरी ओर, मैं देखता हूं कि आंकड़ों से उस बात की पुष्टि नहीं होती है जो आप प्राथमिक चुनावों में अपने फेडरेशन के उम्मीदवारों की उपलब्धियों के बारे में कहते हैं। मैं यहां तथ्यों के ब्यौरे में जानना नहीं चाहता, परन्तु ये तथ्य उन प्राथमिक चुनावों से संबंधित हैं जो आयोजित किए गए थे और 151 सीटों में से 43 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई थी। इन 43 प्राथमिक चुनावों में अनुसूचित जातियों के फेडरेशन ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और चुनाव में केवल 13 सीटों पर उसे सर्वोच्च स्थान मिला था।

आपने अपने पत्र में तीन विशेष निवेदन किए हैं। प्रथम निवेदन के बारे में मुझे यह बताना है कि महामहिम की सरकार चाहती है कि संविधान सभा को कार्रवाई करने की यथासंभव सर्वाधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए जो 16 और 25 मई के केबिनेट मिशन के वक्तव्यों की शर्तों के अनुकूल हो। अलबत्ता हम स्वयं अनुसूचित जातियों को महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मानते हैं जिनका प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में होना चाहिए। परन्तु जो घोषणा आप चाहते हैं, वह अनुसूचित जातियों तक ही सीमित नहीं की जा सकती तथा उन सभी तत्वों का वक्तव्य होगी जिनके बारे में हमारा विचार है कि उन्हें सलाहकार समिति में अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में शामिल किया जाए। यद्यपि महामहिम की सरकार की ओर से यह केवल मत की अभिव्यक्ति होगी, तो भी निश्चित रूप से इसे सभा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रयत्न समझा जाएगा और इस प्रकार इससे गंभीर रोष उत्पन्न होगा। इन परिस्थितियों में, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि इस प्रकार की घोषणा अनुसूचित जातियों के उद्देश्य के लिए लाभदायक होगी।

आपके दूसरे निवेदन के बारे में मुझे कहना है कि मैं नहीं समझता कि 15 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे भाषण में वे शब्द निहित हैं जिन्हें आप मेरे शब्द बताते हैं। मैंने कहा था– ''हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पूरा ध्यान है और अल्पसंख्यकों को भय-रहित जीवनयापन करने का अधिकार होना चाहिए।'' यह विचार महामहिम सरकार का है और इसकी अभिव्यक्ति 25 मई के मंत्रिमंडल मिशन के वक्तव्य के पैरा 4 में की गई है। मैं नहीं समझता कि महामहिम की सरकार इस अवस्था में कोई अन्य घोषणा करेगी जो उस पैरा में अभिव्यक्त बात की व्याख्या से होती है।

आपका अन्तिम निवेदन यह है कि अनुसूचित जातियों के कम से कम दो प्रतिनिधि होने चाहिए, जो अनुसूचित जातियों के फेडरेशन द्वारा नामांकित व्यक्ति हों। मुझे खेद हे कि मैं इसे संभव बनाने के लिए कोई आशा नहीं दे सकता।

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको संविधान सभा के लिए चुन लिया गया है।

सी.आर.ए.

(शेष अगले अंक में)

**आपके दूसरे निवेदन के बारे में मुझे कहना है कि मैं नहीं समझता कि 15 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे भाषण में वे शब्द निहित हैं जिन्हें आप मेरे शब्द बताते हैं। मैंने कहा था– ''हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पूरा ध्यान है और अल्पसंख्यकों को भय-रहित जीवनयापन करने का अधिकार होना चाहिए।'' यह विचार महामहिम सरकार का है और इसकी अभिव्यक्ति 25 मई के मंत्रिमंडल मिशन के वक्तव्य के पैरा 4 में की गई है। मैं नहीं समझता कि महामहिम की सरकार इस अवस्था में कोई अन्य घोषणा करेगी जो उस पैरा में अभिव्यक्त बात की व्याख्या से होती है।**

# डॉ. भीमराव अम्बेडकर का समाज-दर्शन

■ डॉ. इन्द्र सेंगर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विषय में जनसामान्य प्रायः इतना ही जानता है कि उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। इस विषय से इतर यदि हम उनके वाङ्मय का विस्तृत अध्ययन करें तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जिसको उनकी लेखनी ने स्पर्श नहीं किया हो। भारतीय समाज के बारे में उनका एक अपना कल्पना-लोक था, जिसे वे साकार करना चाहते थे और करने का भरसक प्रयास भी किया। वे जिस प्रकार के समाज के लिए चिन्तन-मनन, पठन-पाठन और अनुचिन्तन कर रहे थे, वह समाज निश्चय ही सम्प्रति भारतीय समाज से ऊपर था। वे कम से कम हिन्दू समाज की पुनर्रचना के लिए प्रधानतः दो विशिष्टताओं का सम्पृक्त रूप में सम्मिलन चाहते थे। उनमें प्रथम तत्त्व है 'समता' और द्वितीय तत्व है 'जाति विहीन समाज'। उनके शब्दों में-''हिन्दू धर्म और समाज को शुद्ध करने के लिए उसकी पुनर्रचना के लिए विचारों में परिवर्तन आवश्यक है। बौद्धिक विचार और बुद्धिवाद, इनका संघर्ष स्वरूप का न होकर सामाजिक और राजनैतिक स्तर का है।'' यहां हिन्दू धर्म और समाज को शुद्ध करने का तात्पर्य है-धर्म और समाज में व्याप्त अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, असमानताओं, आर्थिक विपन्नताओं, अस्पृश्यता, अमीरी-गरीबी की दुर्लंघ्य खाई आदि को समूल नष्ट करने से है। वे भलीभांति जानते थे कि इन सबसे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष का शंखनाद करना होगा, राजनीतिक प्रश्रय से यह समाधान कदापि संभव नहीं होगा। इस क्रांति के लिए नैतिक, चारित्रिक एवं विनयशील

शिक्षा की आवश्यकता है। इनके अभावों में शिक्षा अपना धर्म पूर्णतः निर्वाह नहीं कर सकेगी। डॉ. अम्बेडकर शिक्षा के सम्बन्ध में कहा करते थे-''शिक्षा एक दुधारी तलवार की तरह है। जो व्यक्ति चरित्रहीन और विनयरहित है, वह शिक्षित होते हुए भी एक पशु से अधिक भयावह है। मेरी धार्मिक भावना के कारण ही मुझ में गुणों का विकास हुआ।''

उनकी यह भी मान्यता थी कि ''मनुष्य के जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई धर्म तो होना ही चाहिए।'' इस अन्वेषण के लिए कि कौन-सा धर्म उनकी विचारधारा के अनुसार समाज पुनर्निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है, वे भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान का उल्लेख करते हैं-''अहिंसा भगवान बुद्ध का प्रिय तत्व ज्ञान था। शस्त्र शक्ति पास होनी चाहिए। जो सामर्थ्यवान है, उसे अत्याचार न करने का व्रत पालन करना चाहिए। यह व्रत कमजोरों के लिए नहीं है। यह बुद्ध के तत्त्व ज्ञान का सही अर्थ है।'' इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यदि मानव जाति मनसा, वाचा और कर्मणा पूर्ण रूपेण अहिंसावादी हो जाए, तो एक ऐसा सर्वोदयी समाज पुनर्निर्मित होगा, जो विश्व में एक विशिष्ट प्रकार का आदर्श समाज कहलायेगा। वे चाहते थे कि अहिंसा तत्व-ज्ञान के साथ-साथ समाज में सत्यनिष्ठा और तर्क शुद्धता एवं विचारशीलता तथा प्रगतिशीलता का भी समन्वय हो। उनके अनुसार-''बुद्ध को सत्यनिष्ठा और तर्कशुद्धता प्रिय थी। वेदान्त जो कुछ भी है वह बस यही सत्य है, यह ब्राह्मणों की निश्चित धारणा है। बुद्ध के विचार पुरोगामी हैं, तो वैदिक विचार प्रतिगामी और प्रगति या क्रांति विरोधी हैं। बुद्ध धर्म का नाश इस देश की महान क्षति है....समय की मांग है एक विचारशील और बुद्धिनिष्ठ समाज की रचना।''

'बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य' शीर्षक लेख में उन्होंने बौद्ध धर्म को समीचीन सिद्ध करने के लिए चार तर्क

प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. समाज को निग्रह की आवश्यकता है अर्थात् उसे नीति चाहिए।
2. यदि धर्म उपयोगी हो तो वह व्यवहार्य धर्म विवेक पर आधारित होना चाहिए।
3. धर्म के नीति-नियम ऐसे हों, जो समता, स्वाधीनता और बन्धुभाव से सुसंगत हों।
4. धर्म कभी भी दरिद्रता को उदात्त न बनाए।

उन्हें भारतीय धर्मों में उपर्युक्त मानकों पर मात्र बौद्ध धर्म ही खरा दृष्टिगत हुआ। अतः डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त कर उसे अपने जीवन का सम्पृक्त अंग बनाया। भाग्यवाद को तिलांजलि देते हुए कर्मनिष्ठा को जीवन का मूल मंत्र बताया। इस संबंध में उनके विचार इस प्रकार हैं–''माता-पिता अपनी सन्तान के केवल जन्मदाता हैं, वे उसके भाग्यदाता नहीं हैं। इस दैवी विधान को हमें तिलांजलि देनी होगी। हमें अपने मन में पक्की गांठ बांध लेनी चाहिए कि सन्तान का भविष्य माता-पिता के हाथों में है। बेटों के समान अपनी बेटियों को भी लिखाया-पढ़ाया जाए, तो हमारा विकास तीव्रगति से हो सकता है, यह निश्चित है।''

इस उद्धरण में डॉ. अम्बेडकर ने पुत्रियों की शिक्षा और उनको पुत्रवत् समानता का दर्जा देने पर जो बल दिया है, वह भारतीय समाज के सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण विकल्प है। भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए यह ऐसी आधारशिला है, जिस पर खड़ा सामाजिक ढांचा सशक्त और प्रगतिशील होगा।

भारतीय समाज-रचना में अस्पृश्यता एक ऐसी कलुषित महामारी है, जो अस्पृश्य जातियों के नैसर्गिक अधिकारों का हनन करती है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इसकी प्रेत छाया धार्मिक क्षेत्र में भी इस सीमा तक व्याप्त है कि अस्पृश्यों से भगवान के दर्शन करने का अधिकार भी छीन लिया गया। हिन्दू धर्म की अव्यवहार्यता का यह ज्वलन्त उदाहरण है। डॉ. अम्बेडकर जी के शब्दों में, ''कोई भी देवता अस्पृश्यों के कारण भ्रष्ट नहीं होता इसलिए अस्पृश्य समुदाय के लिए अलग मंदिर बनाया जाए, इसका हम विरोध करते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि हिन्दुत्व हिन्दुओं के लिए है तो फिर वह स्पृश्य और अस्पृश्य दोनों के लिए है। हिन्दुत्व के विकास में ऋषि वाल्मीकि, रोहिदास, चोखा मेला आदि सन्तों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।''

**भारतीय समाज-रचना में अस्पृश्यता एक ऐसी कलुषित महामारी है, जो अस्पृश्य जातियों के नैसर्गिक अधिकारों का हनन करती है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इसकी प्रेत छाया धार्मिक क्षेत्र में भी इस सीमा तक व्याप्त है कि अस्पृश्यों से भगवान के दर्शन करने का अधिकार भी छीन लिया गया। हिन्दू धर्म की अव्यवहार्यता का यह ज्वलन्त उदाहरण है। डॉ. अम्बेडकर जी के शब्दों में, ''कोई भी देवता अस्पृश्यों के कारण भ्रष्ट नहीं होता इसलिए अस्पृश्य समुदाय के लिए अलग मंदिर बनाया जाए, इसका हम विरोध करते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि हिन्दुत्व हिन्दुओं के लिए है तो फिर वह स्पृश्य और अस्पृश्य दोनों के लिए है। हिन्दुत्व के विकास में ऋषि वाल्मीकि, रोहिदास, चोखा मेला आदि सन्तों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।''**

हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार हिन्दू धर्म के देवता अत्यन्त पवित्र, बलशाली, श्रेष्ठ और सम्पूर्ण चराचर में व्याप्त हैं। उनकी व्यापकता जब कण-कण में है, तो अस्पृश्यों के शरीर में भी तो उनका स्थान है। साथ ही उनकी पावनता भी अक्षुण्ण है, तो भला अस्पृश्यों के लिए हिन्दू मंदिरों के कपाट क्यों बन्द किए जाएं, यह अकाट्य प्रश्न है। सन्त कबीर ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है–

जाति न पूछो साधु की,
पूछ लीजिये ज्ञान।
मोल करो तलवार का,
पड़ा रहन दो म्यान।।

डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ जो शंखनाद किया, वह मानवता की विजय-यात्रा की एक अमिट क्रोश शिला की स्थापना थी। उन्होंने तत्कालीन सरकार से अस्पृश्यता का समर्थन करने वाले धार्मिक साहित्य को जब्त करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा, ''अस्पृश्यता का समर्थन करने वाले ये सारे शास्त्र सारी जनता का निरादर कर रहे हैं। सरकार को उन्हें बहुत पहले ही जब्त कर लेना चाहिए था।''

आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। 'भारत का संविधान' भारतीय लोकतंत्र का नीति-निर्देशक है। वर्तमान परिवेश में भारतीय संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में ऐसे धार्मिक ग्रन्थों का पुनरीक्षण एवं सम्पादन करने की नितान्त

आवश्यकता है, जिनमें संविधान में प्रदत्त मानव मूल्यों के प्रतिकूल सन्देश और तथाकथित शिक्षाएं समाविष्ट हैं। तभी हम भारत के संविधान में प्रदत्त सामासिकता की लता को फूलता-फलता देख पाएंगे।

भारत में जो स्वराज्य के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा था, वह मात्र स्पृश्यों के लिए ही नहीं था; और न उस आन्दोलन में केवल स्पृश्य समुदाय के भारतीय ही जुड़े हुए थे। अत: डॉ. अम्बेडकर राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात भी कर रहे थे। अस्पृश्य समाज की ओर से 2 अक्टूबर, 1930 को आयोजित उनके सम्मान-समारोह में उन्होंने कहा-''स्वराज्य तो अस्पृश्यों को भी चाहिए। लेकिन भावी संविधान में अस्पृश्यों को स्वाधीनता दिलाने की व्यवस्था पहले ही कर रखना आवश्यक है। हिन्दुस्तान में पुलिस और फौज में अस्पृश्यों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाय, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा।''

अस्पृश्य नारी-समाज को भी उन्होंने रहन-सहन के स्तर पर, पारिवारिक परिवेश के स्तर पर और शिक्षा के स्तर पर प्रगतिशील बनने का सन्देश दिया। उन्होंने अस्पृश्य महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा-''वे साफ-सुथरी रहें। पढ़ी-लिखी उच्च वर्ग की औरतों के समान अपने परिधान करें। यदि पति, पुत्र शराब पीकर घर आते हैं, तो उनके लिए घर के दरवाजे बन्द कर दें। उन्हें भीतर न आने दें। अपने बेटे-बेटियों को उचित शिक्षा दें।'' उन्होंने दलित समाज को स्वावलम्बन का भी पाठ पढ़ाया।

दलितों की शोचनीय आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक उद्धार के साथ-साथ दलितों का आर्थिक विकास भी नितान्त आवश्यक है। वे कहते हैं-''राजनीति ही सर्वश्व नहीं हैं। दलितों के प्रश्न पर विचार और अभ्यास राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं समता मूलक समाज की याद दिलाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि, ''देश की पूंजी बढ़नी चाहिए, मगर पूंजीपति नहीं।'' उनका यह मानना निश्चय ही सार्थक था कि ''जब तक देश का इतना बड़ा वर्ग दीन-हीन दिशा में पंगु बना हुआ है, तब तक यह सारा देश भी दीन-हीन हालत में ही रहेगा।'' उन्होंने लोकतंत्र को सही मायने में जनतंत्र में बदलने के लिए जो विचार व्यक्त किए, वे शोषितों, मजदूरों और किसानों की प्रगति के राजमार्ग का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा-''संसार में दो ही श्रेणियां हैं-एक शोषक और दूसरी शोषित। मजदूरों और किसानों को जातिवाद रहित बुद्धि से संगठित होकर, विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए, तभी उनका हित हो सकेगा।''

**भारत में जो स्वराज्य के लिए आन्दोलन चलाया जा रहा था, वह मात्र स्पृश्यों के लिए ही नहीं था; और न उस आन्दोलन में केवल स्पृश्य समुदाय के भारतीय ही जुड़े हुए थे। अत: डॉ. अम्बेडकर राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात भी कर रहे थे। अस्पृश्य समाज की ओर से 2 अक्टूबर, 1930 को आयोजित उनके सम्मान-समारोह में उन्होंने कहा-''स्वराज्य तो अस्पृश्यों को भी चाहिए। लेकिन भावी संविधान में अस्पृश्यों को स्वाधीनता दिलाने की व्यवस्था पहले ही कर रखना आवश्यक है।''**

वे एक आदर्श और सर्वोदयी समाज का स्वप्न संजोए हुए थे। उनके स्वप्नों का समाज स्वराज्य के संविधान की महती आकांक्षा कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा, ''भिन्न-भिन्न जातियां और आचार-विचारों की भिन्नता, ऐतिहासिक और राजनैतिक दृष्टि से स्वराज्य के रास्ते में बाधक नहीं होनी चाहिए।'' उन्होंने यह भी कहा कि-''भांति-भांति के सामाजिक वर्गों की भलाई और उनमें भाईचारा बनाए रखने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही स्वराज्य का संविधान बनाना होगा। यदि किसी भी एक वर्ग के हाथ में शासन का बेलगाम अधिकार दे दिया गया तो वह जल्लाद के हाथों में ही छुरा दे देने के समान हो जाएगा।'' उनके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वे एक ऐसे समाज की पुनर्रचना के लक्ष्य की ओर निहार रहे थे, जिसमें रहने वाले सभी सुखी हों, सभी नि:रोग हों, सभी का कल्याण हो और किसी को तनिक भी दुख न हो-

**सर्वे च सुखिन: सन्तु,**
**सर्वे सन्तु निरामया।**
**सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,**
**मा कश्चिद् दुख भाग्भवेत।।**

इसके साथ ही उनका एक और स्वप्न था, जो सामाजिक मूल्यों को निरन्तर बनाए रखने का ब्रह्मास्त्र था वे कहा करते थे कि भारतीय समाज की संरचना एक ऐसी चार मंजिला इमारत के समान है, जिसमें नीचे से ऊपर चढ़ने और ऊपर से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। निश्चय ही वे इस इमारत में चढ़ने और उतरने की सीढ़ियां बनाना चाहते थे। ■

# आज भी प्रासंगिक हैं बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

■ अमित सिंह

भारत के इतिहासकारों ने डॉ अम्बेडकर को वह स्थान नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कारण एक ही है और वह है उनका दलित वर्ग में जन्म लेना। मुझे इसमें इतिहासकारों की सवर्ण मानसिकता दिखती है। अपवाद स्वरूप एकाध इतिहासकार ने डॉ अम्बेडकर को दलित नेता और दलितों के संघर्ष के अग्रदूत के रूप में स्थापित करने तथा उन्हें दलितों तक ही सीमित करने की संपूर्ण कोशिश की तथा उन्हें संविधान निर्माता के रूप में ही आज तक दर्शाया जाता है। परन्तु बाबासाहेब के अंदर बहुत से ऐसे गुण थे, जिसे समाज के सामने लाया ही नहीं गया और वह है उनका आर्थिक चिंतक होना। क्योंकि यहां फिर उनका दलित होना उनके लिए अभिशाप बन जाता है। क्योंकि भारतीय समाज में जाति-प्रथा लोगों के रग-रग में खून के कतरे की तरह बह रही है।

वैसे तो इतिहास की किसी भी घटना के बारे में किसी भी प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। इतिहास में घटित घटनाओं की मीमांसा अनेक प्रकार से हो सकती है यदि ऐसा होता तो क्या होता यदि वैसा होता तो क्या होता? यह मूलतः व्यर्थ की वैचारिक जुगली के अलावा कुछ नहीं। परन्तु बाबासाहेब का सवाल है कि कुछ बुनियादी तथ्यों को याद रखा जाना आवश्यक है।

आर्थिक पहलुओं पर उनके विचारों को इतिहासकारों ने ज्यादा महत्त्व नहीं दिया गया। फिर भी उन्होंने समय-समय पर अपनी अर्थव्यवस्था संबंधी लेखों को लोगों के सामने लाया। बाबासाहेब को अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान था कि वे केवल सामाजिक प्रतिष्ठा से ही नहीं आर्थिक तौर से भी पूर्णतया वंचित हैं।

बाबासाहेब ने सन् 1940 में सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा सामूहिक एवम् सरकारी खेती की बात की थी। वो चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साथ-साथ राज्य निर्माण का काम भी एक साथ चले। इस विचार को मूलभूत अधिकार में तो स्थान नहीं मिला पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों मे जरूर शामिल किया गया। अतः संविधान में इसका व्यावहारिक दृष्टि से कोई विशेष असर नहीं है। बाबासाहेब मानते थे कि भूमि बंटवारे से दलितों की समस्या हल नहीं होगी इसलिए वो भूमि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे।

बाबासाहेब ने 1947 में एक लेख प्रांत और अल्पसंख्यक प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने लिखा हमारी समस्या है कि हमारे यहां बिना तानाशाही का राजकीय समाजवाद हो, हमारा समाजवाद संसदीय प्रणाली के साथ हो, और सुझाव दिया कि आर्थिक शोषण को समाप्त करने की दृष्टि से मूल उद्योगों का स्वामित्व और प्रबंध राज्य के हाथ में रहे और बीमा-कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो। इसके साथ-साथ ये भी कहा कि खेती में मालिकों, काश्तकारों आदि को मुआवजा देकर राज्य भूमि का अधिग्रहण करें और उस पर सामूहिक खेती की जाए जिससे ना कोई जमींदार होगा, ना कोई काश्तकार और ना कोई भूमिहीन मजदूर।

1938 मे बंबई विधानसभा में उन्होंने कहा था कि मुझे अक्सर गलत समझा जाता है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं लेकिन मैं इस सदन में पूरे जोर शोर से कहना चाहता हूं कि जब कभी देश हित और अस्पृश्यों के हितों के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हितों को तरजीह दूंगा। मेरे अपने हितों और देश हित के साथ टकराव होगा तो मैं देश हित को तरजीह दूंगा।

बाबासाहेब मानते थे कि राज्य तभी लोकतांत्रिक हो सकते हैं जब समाज भी लोकतांत्रिक हो। आज हमारा समाज मानस अलोकतांत्रिक है। पर राज्य की प्रणाली लोकतांत्रिक है इसलिए हमारा लोकतंत्र कुछ अर्थों मे असफल हो रहा है अगर लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाना है तो राष्ट्र मानस और लोक मानस को भी लोकतांत्रिक बनाना होगा। बाबा साहेब राजकीय समाजवाद के पक्षधर थे उन्होंने एक बार रेलवे के मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे दो ही दुश्मन हैं एक ब्राह्माणवाद और दूसरा पूंजीवाद। गरीब का क्या भविष्य है? क्या इन्हें विधायिका में चुने जाने की आशा है? उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कोई ध्यान देने वाला है?

बाबासाहेब ने पूंजीवाद का पूर्ण विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आज देश में बड़ी जातियों के 100-200 लोग अरब-खरबपति हैं जो देश की 50 करोड़ की आबादी का शोषण करके पूंजीपति बने हैं वह चाहे सवर्ण हों या कोई अन्य। कल इसमें से 5-10 दलित लोग पूंजीपति बन जाए तो क्या 12 करोड़ दलितों का उत्थान हो जाएगा? इससे पता चलता है कि बाबासाहेब आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता चाहते थे वे समाजवाद चाहते थे जो सभी के लिए हो। उनके मानवतावादी दर्शन में भारतीय संस्कृति को नहीं, बल्कि समानता को स्थान प्राप्त है उन्होंने मानव और समाज

के हितों को सर्वोपरि रखा।

इस बात से दिखता है कि बाबासाहेब में भारतीयता और भारतीय आर्थिक व्यवस्था की जानकारी गहराई तक थी वे जानते थे की परिवर्तनशीलता का गुण विकास के लिए जरूर है इसीलिए उन्होंने कहा कि स्थिरता गधे का गुण है घोड़े का नहीं। यह दिलचस्प है कि बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने संविधान पारित होने के तत्काल बाद अपने पहले साक्षात्कार में कहा था कि आज हम अंतर्विरोध के एक नये युग में प्रवेश कर रहे है जिसमें राजनैतिक समानता तो होगी यानी एक व्यक्ति-एक वोट, पर आर्थिक व सामाजिक समानता नहीं होगी।

अम्बेडकर साहेब जी सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक बुनियादी उद्योग खोलने के पक्षधर थे। बाबासाहेब ने अपने आर्थिक चिंतन में समाजवादी समाज, योजनाबद्ध विकास, कृषि उद्योग, औद्योगिक और सीमित राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया, पर आने वाली संतानों को किसी एक विचारधारा से बांध कर नहीं रखा है क्योंकि बाबासाहेब का मानना था कि समय-समय पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। किसी भी स्थिति को स्थाई रूप देना आजादी का हनन है। बाबासाहेब के प्रयासों से ही ऐसा संविधान बना जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकार और मताधिकार दिया गया है। बाबासाहेब को इतिहास के साथ-साथ समाज का भी गहरा ज्ञान था। उनकी किताबें-शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, जाति उत्पत्ति का स्वरूप, रुपये की समस्या, जाति प्रथा का उन्मूलन, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, मि. गांधी और अछूतों का उद्धार, सांप्रदायिक गतिरोध और उनका समाधान, भाषाई राज्य और अंत में भगवान बुद्ध और उनका धम्म आदि इसका प्रतीक है।

आजादी के बाद जो नीतियां रहीं उनमें बाबासाहेब की विचारधारा उभर कर सामने आती है कुल मिलाकर बाबासाहेब मानव विकास के पक्षधर है। इस विकास व उत्थान के लिए मानव स्वयं जिम्मेदार होगा और अपने विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगा! मानव को अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की सुरक्षा करते हुए सहयोग, सद्भाव, समता, करुणा, मैत्री, शांति, परोपकरिता, बंधुत्व और सहभागिता को लेकर चलना होगा।

पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करते हुए वे सदैव अध्यनरत रहे। इसके परिणामस्वरूप वे एक अच्छे वैचारिक लेखक साहित्यकार और तत्ववादी विचारक होकर पूरी दुनिया के सामने आये। और फिर संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश दिया। बाबासाहेब ने एक ऐसे समाज की कामना की जिसमें मानव-मानव के नये समाज के अग्रदूत होंगे, जहां श्रम पूजनीय और सेवा प्रतिष्ठित होगी। जो झूठी तथा दम्भी जातीय प्रतिष्ठा की भावना से मुक्त हों।

डॉ. अम्बेडकर साहेब जी में देश प्रेम और राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे प्रान्तीयता और क्षेत्रवाद के कटु आलोचक थे। 4 अप्रैल 1938 को बम्बई विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिन्दू अथवा मुसलमान। मुझे यह स्वीकार नहीं। धर्म, जाति भाषा आदि की प्रतिस्पर्धा निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा पनप नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हों और अन्त तक भारतीय रहें, भारतीय के अलावा कुछ नहीं। डॉ. अम्बेडकर के अन्तःकरण से निकले यह शब्द उनकी राष्ट्रीय निष्ठा की अभिव्यक्ति थी जो बड़े-बड़े राष्ट्रवादियों में भी मिलना मुश्किल है। बाबासाहेब का जीवन आदि से अंत तक प्रेरणादायक और स्फूर्तिदायक है। उनके जीवन के प्रसंगों को काव्य में उद्धृत किया जा सकता है। उनका सम्पूर्ण जीवन अपने आप में एक महाकाव्य है।

आज कल दलित संगठनों का एजेन्डा भी सिर्फ बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की जयन्ती मनाना, आरक्षण की मांग करना और सुख सुविधाओं की बढ़ोत्तरी की मांग ही रह गई है। सामाजिक परिवर्तन, दलितों को मानवाधिकार दिलवाना, मानवीय गरिमा से युक्त समाज निर्माण की ललक कहीं पीछे छूट गई गयी है। यह दुखद है। आज देश मे कुछ संघठन बन गये हैं जो बाबासाहेब के नाम को अपने सामाजिक समूह का बड़ा व्यक्ति मान कर उनका नाम लेते हैं पर उनके विचारों को दूर-दूर तक पालन नहीं करते हैं उनका केवल एक ही काम रहता है बस बाबासाहेब की मूर्ति के सामने फोटो खिंचवाना और फिर उसका प्रचार करना। ऐसे मित्र बाबासाहेब के अनुयायी नहीं, बल्कि दुश्मन हैं। जितनी जल्दी हो सके इस समस्या पर विचार कर इसे दूर करना होगा। पिछले 50-60 वर्षों से समाज की बढ़ी हुई ताकत को एक बार पुनः बटोरकर एकजुट करके बाबासाहेब के सपनों का भारत जिसमें न कोई उंचा-नीचा हो, न कोई भूखा-नंगा हो, न कोई अशिक्षित हो, न कोई भेद-भाव वाला जाति विहीन समाज बनाने के लिए लग जाना होगा अन्यथा इतिहास हमें एक नकारा और गैर-जिम्मेदार पीढ़ी के रुप में याद करेगी।

संविधान निर्माण उनकी राष्ट्र की साधना का प्रतीक है उसके लिए सबका सहयोग चाहिए, सिर्फ दलितों-पिछड़ों का नहीं। डॉ. अम्बेडकर का मिशन देश की एकता, अखण्डता और खुशहाली का है, सारे भारतीय समाज की भलाई का है। उनका मिशन भारतीय समाज को रुढ़ियों, अंधविश्वासों और जड़ताओं से मुक्त कर उदार, बौद्धिक और वैज्ञानिक समाज बनाने का है। उनके मिशन को पूरा करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयत्न ही बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ■

*(लेखक स्वंत्रत टिप्पणीकार हैं)*

# इतिहास के आइने में वास्तविकता

■ डॉ. अरविन्द कुमार

इतिहास के विषय में यह तथ्य सर्वविदित है और जो इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं उन्हें यह जान लेना नितान्त आवश्यक है कि इतिहास लेखन होता तो भूतकाल की घटनाओं के विषय में है किन्तु उसका प्रभाव भूतलक्षी न होकर सदैव संदर्शी होता है अर्थात् इतिहास वर्तमान को शासित करता है और भविष्य के लिये आलोक पथ का कार्य करता है क्योंकि इतिहास लिखा भले ही पूर्वजों के जीवन एवं कार्यवृत पर जाता है किन्तु लिखा सदैव ही वंशजों के कार्यक्षेत्र के निमित्त के लिये। भले ही मेरी यह निजी मान्यता हो, किन्तु मैं इसे स्थापित मान्यता करार देता हूं कि जिनका कोई इतिहास नहीं होता, उनका कोई वर्तमान भी नहीं होता और जिनका वर्तमान भी संदिग्ध हो उनके भविष्य पर तो बहस मुबाहिसे की गुंजाईश भी स्वमेव समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इतिहास पूर्वजों के मात्र कथा-वृत्तान्त न होकर वर्तमान के लिये पाथेय और आलोक प्रदत्त पथ भविष्य के लिये वंशजों के सृजन हेतु नींव की ईंट उपलब्ध कराता है। इतिहास के विषय में यह जान लेना प्रासंगिक भी है ओर आवश्यक भी कि इतिहास मुर्दों के विषय में लिखा अवश्य जाता है किन्तु लिखते हैं जीवितजन और जीवितजन पर तत्कालीन परिस्थिति, स्थिति, अहम, स्वार्थ, भय, प्रलोभन और व्यक्तिगत रूचि-अभिरूचि, मत-मतान्तर से ही संचालित होता है अर्थात् बहुधा इतिहास अपने पात्रों के साथ न्याय नहीं कर पाता है किन्तु भूतकाल के विषय में जानने के लिये हमारे पास यही एक मात्र विकल्प होता है। यह इतिहास की एक आवश्यक बुराई है। हमें इतिहास पर व्यापक मंथन करना चाहिये। मंथन स्वरूप यह तथ्य आलोकित होता है कि जो कौम अपने इतिहास को भुला देती है, वह जीते जी मर जाती है और जो कौम अपने इतिहास को संवारना जानती है, वह अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को संवारने और समृद्ध बनाने में सफल हो जाती है। जो हार जाते हैं, उनके मायने समाप्त हो जाते हैं। इतिहास जीते हुए की बपौती होता है, जैसे द्रविड़ आज के दलित आर्य आक्रान्ताओं से हार गये, गुलाम हो गये और गुलामों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो उनके मायने भी समाप्त हो गये। इतिहास भी और उस पर आधिपत्य भी विजेता का होता है। इतिहास का दूसरा नाम विजेता की रखैल भी होता है। विजेताओं ने अपना इतिहास न केवल लिखा, अपितु बाखूबी लिखा और न केवल अपने लिये लिखा, अपितु अपनों के भविष्य के लिये लिखा और मैं तुम्हें हाजी जी कहूंगा, तुम मुझे काजी जी कहना की तर्ज पर अपने व अपनों के लिये लिखा। वर्तमान इतिहास उन लोगों का इतिहास है, जो युद्ध में अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सके और अपनी कलम की ताकत का लोहा मनवाने में सफल रहे। ये लोग मनोवैज्ञानिक भाव से श्रेष्ठता की ग्रन्थि में ग्रसित हैं।

दलित अपना इतिहास भूल गये, हारकर शारीरिक गुलामी से मुक्ति के पश्चात भी मानसिक गुलामी के कारण अपने को दीन-हीन मानते रहे। वस्तुत: न तो वे दीन थे और न हीन तथापि स्वार्थपरक सौद्देश्य दीन-हीन बना दिये गये और आज तक मानसिक दासता और अधिकारवंचना जन्य एवं बलपूर्वक आरोपित दीनता-हीनता को ही ढो रहे हैं। भारतवर्ष के इन मूल निवासियों के इतिहास को दरकिनार कर दिया गया। इनके पुरखे राजा थे सर्वत्र खुशहाली थी, समानता थी, अपनी सभ्यता थी, तकनीकी थी भारत इसी काल में सबसे उन्नत काल में था। खुदाई में मिले अवशेषों एवं पुरातत्ववेताओं के अनुसंधानों व निष्कर्षों के अनुसार मोहनजोदड़ों और हड़प्पा नगरों की प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता उल्लेखनीय है। सिन्धु घाटी की सभ्यता इसका बेहतरीन उदाहरण है।

जैसा कि उल्लेख किया गया है कि जो हार जाते हैं उनके मायने समाप्त हो जाते हैं। रामायण और महाभारत में भी अमुक तथ्य की पुष्टि होती है। कोई नहीं पूछता इतिहास छल से बना, कपट से बना, जायज था, नाजायज था, उचित-अनुचित कोई मायने नहीं रखता, बताया जाता है कि ऐसा करना धर्म के लिये आवश्यक था। कहने का तात्पर्य कि जो जीता वही सिकन्दर। दुर्योधन की जांध को भीम ने तोड़ा तय विधान के अनुरूप जायज नहीं था फिर भी ऐसा किया गया धर्म के पालन के लिये। करने वाले भी वही जायज ठहराने वाले भी वही। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है इसका निर्धारण करने वाले भी खुद। खुद ही मुजरिम खुद ही मुसिफ फैसला कैसे हो। मुजरिम के खिलाफ फिर जो फैसला होता है वही न्याय हो जाता है अर्थात् जीतने वाला धर्मी, हारने वाला अधर्मी। युधिष्ठिर पत्नी को दांव पर भी लगाकर धर्मराज और दुर्योधन राजा-महाराजाओं के सामने विधिवत जीती हुई स्त्री पर

अपने अधिकार का प्रयोग करता है अधर्मी और लम्पट। यहां अन्तर अथवा महत्व कृत्य और कुकृत्य का नहीं, अपितु जय-पराजय एवं पूर्वाग्रह और प्रभाव का है। यही है आर्य दलित कथा अर्थात् आर्य विजय गाथा और दलित व्यथा-कथा।

मूल निवासियों को आर्यो ने शूद्र-अतिशूद्र ही घोषित नहीं किया, बल्कि शूद्र-अतिशूद्र के छः हजार टुकड़े बनाकर छः हजार पहचानें भी बनायीं और प्रत्येक टुकड़े को जाति उपजाति में विभक्त करके क्रमिक असमानता का बीजारोपण करके उसका प्रचुर पोषण भी किया। एक जाति दूसरे के ऊपर, दूसरी जाति तीसरे के ऊपर। इसी प्रकार आगे की सोपानीकृति व्यवस्था बनायी। इसके साथ-साथ छः हजार टुकड़ों में निरन्तर लड़ाई विशेष रूप से होती रहे इसकी भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की। इस व्यवस्था में आर्य विशेष रूप में ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने से इंकार करने वालों को अछूत शूद्र घोषित कर दिया और जिन्होंने इसमें ब्राह्मणों की सहायता की तथा आगे भी अछूत शूद्र जातियों को सिर न उठाने देने का उत्तरदायित्व संभाला उन्हें सछूत शूद्र की श्रेणी में रखकर ऊपर के तीन वर्गों की सेवा का दायित्व सौंपते हुए अछूत शूद्र पर निर्बाध अत्याचार की छूट प्रदान की। इस प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जाति रूप हथियार से समाज को तोड़ा। कालान्तर में ब्राह्मणों ने इसके लिये अंग्रेजों को दोषी करार दिया जो कि न केवल आधारहीन है अपितु प्रपंच का ज्वलन्त उदाहरण भी है।

आर्य ब्राह्मणों ने जब समाज-व्यवस्था की रचना की तो वर्ण-व्यवस्था बनायी और वर्ण-व्यवस्था सोपानीकृत बनायी। व्यवहार में उपरोक्त तीन वर्णो से केवल वर्ण और गोत्रों का ही उल्लेख मिलता है, जबकि चौथे अर्थात् शूद्र वर्ण में जातियों का उल्लेख है। और जातियों में फिर गोत्र आता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार में उपरोक्त तीन वर्णो में जातियां हैं ही नहीं अपितु केवल वर्ण है और गौत्र है जो कि इनको संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर चतुर्थ वर्णीय लोगों की पहचान शूद्र रहती, तो इन्हें इकट्ठा करना आसान था। परन्तु आर्य ब्राह्मणों को क्रान्ति का खतरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था क्योंकि ये लोग बहुसंख्यक थे इसलिये उन्होंने इनके छः हजार टुकड़े बनाये। आज भी चतुर्थ वर्णीय लोगों की पहचान शूद्र नहीं है, वरन् छः हजार टुकडों में बंटी जाति और उपजाति है।

**आर्य ब्राह्मणों ने जब समाज-व्यवस्था की रचना की तो वर्ण-व्यवस्था बनायी और वर्ण-व्यवस्था सोपानीकृत बनायी। व्यवहार में उपरोक्त तीन वर्णों से केवल वर्ण और गोत्रों का ही उल्लेख मिलता है, जबकि चौथे अर्थात् शूद्र वर्ण में जातियों का उल्लेख है। और जातियों में फिर गोत्र आता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार में उपरोक्त तीन वर्णों में जातियां हैं ही नहीं अपितु केवल वर्ण हैं और गोत्र हैं जो कि इनको संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर चतुर्थ वर्णीय लोगों की पहचान शूद्र रहती, तो इन्हें इकट्ठा करना आसान था।**

यह तथ्य सर्वविदित है, जिसकी ताकत और शक्ति विभक्त अथवा खण्डित होती है, वो प्रतिकार करने अथवा प्रतिशोध लेने लायक नहीं रहते। इस प्रकार आर्य ब्राह्मणों/मनुवादियों ने शूद्र अतिशूद्र समाज को जातियों में सौद्देश्य विभाजित किया। जाति की मानसिकता ने शूद्र अतिशूद्र समाज को सीमित ताकत के एहसास को दीर्घकालीन कमजोर बना दिया। मान्यवर कांशीराम जी जानते थे कि तोड़ने का एहसास जोड़ने की भावना को और तोड़ने का एहसास जोड़ने की प्रेरणा का सृजन करेगा, यही प्रेरणा फिर जोड़ने की इच्छा शक्ति का सृजन करेगी और इच्छा शक्ति इस आन्दोलन के मकसद को पूरा करने के लिए आवश्यक है अतः आवश्यकता है मानसिकता को तैयार करने और जागरूकता के सृजन की।

चूंकि संसार में कोई भी परिवर्तन यहां तक कि ठहरे हुए जल में हल चल स्वयं पैदा नहीं होती। उसका कारक और कारण दोनों होते हैं। कारक कारण बनता है और कारण परिणाम की और उन्मुख होता है। संसार में अकारण परिवर्तन सम्भव नहीं है। स्वार्थ और कपट आधारित सोपानीकृत वर्ण व्यवस्था, जिसमें ठहराव के कारण सडांध उत्पन्न होने के चलते अस्मिता के साथ जीवन जीने के लिए सांस लेना दूभर हो गया था तथा प्राण आधार ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो चली थी, मैं परिवर्तन के उपरोक्त कारण विद्यमान थे। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के पश्चात् मान्यवर कांशीराम जी परिवर्तन के कारक बने। मान्यवर कांशीराम जी का आन्दोलन इसी सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प रहा। मौजूदा समाज व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन ही उनका मकसद था। आन्दोलन को चलाने के लिए किसी खास मकसद तथा खास उद्देश्य की आवश्यकता होती है, जो एक वैचारिक क्रान्ति के माध्यम से ही सम्भव है। ■

*(लेखक चौ. चरण सिंह वि.वि. मेरठ, उ.प्र. से राजनैतिक विज्ञान विषय में पीएच.डी हैं)*

# आरक्षण : क्यों और किसे?

■ आर.एस. सांभरिया

आरक्षण का मुद्दा भारतीय सामाजिक व्यवस्था के समक्ष एक ज्वलन्त मुद्दा है। यह एक ऐसा मसला है, जिसके साथ सामाजिक समरसता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। आरक्षण को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की भावना पर कुठारघात करने वाली हैं।

शायद इस तथ्य से तो प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा कि समाज का जो तबका (वर्ग) विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, उसे उचित संरक्षण मिले, ताकि वह समाज के अन्य वर्गों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सके। इसके लिए इसका भारतीय संविधान में भी प्रावधान किया गया है। जो समाज ढाई-तीन हजार वर्षों से इस विश्वास और आशा के साथ जी रहा हो कि जन्म ही व्यक्ति का भाग्य तय करता है, कम से कम इस बात में कि समाज में इसका क्या वर्ग होगा, उसे 'सामाजिक न्याय' या सामाजिक समता का अर्थ समझाना बहुत कठिन है। जब पं. नेहरू जैसे आधुनिक और उदार दृष्टि वाले महानुभाव तक इसे ठीक तरह से नहीं समझ सके और काका कालेलकर की सिफारिशें आने पर बौखलाकर मेरिट की बात करने लगे, तो आज के पढ़े-लिखे तबके से क्या आशा की जा सकती है कि ये आरक्षण के सिद्धान्त को, जो समान अवसरों का सिद्धान्त है, समझ सकेंगे?

**आरक्षण संविधान की कसौटी पर :-**

अनुसूचित जाति, दलित एवं पिछड़े वर्ग के साथ सदियों से सामाजिक, शैक्षिणक व आर्थिक भेदभाव होता रहा है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। सामाजिक न्याय इसका लक्ष्य है। इस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था उपरोक्त दलित एवं शोषित समाज पर किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं है, यह उनका अधिकार है, जिसकी व्यवस्था बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान में की है। इस विषय में न्यायमूर्ति सावंत साहब की एक महत्त्वपूर्ण राय है, ''योग्यता ऊंची जाति वालों की बपौती नहीं है।''

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 तीन संवैधानिक प्रावधान हैं। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सभी समान हैं तथा कानून के समक्ष सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 व 16 के अन्तर्गत यद्यपि समानता का प्रावधान है, किन्तु कुछ अपवादों को छोड़कर 'Article 15 & 16 although aim at equality but also provide for certain exceptions'. अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु नियुक्ति में आरक्षण किए जाने का प्रावधान है। यदि अमेरिका के संविधान को देखा जाए, तो पता लगता है कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 15 व 16 हैं, ऐसा वहां प्रावधान नहीं है। अमेरिका के संविधान में 14वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें केवल 'समान सुरक्षा' की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी वे नौकरियों में प्रतिनिधित्व देते है। वहां पदोन्नति में आरक्षण है, सरकारी ठेकों में आरक्षण देते हैं। वहां केवल आरक्षण सरकारी ठेकों में ही नहीं है, बल्कि गैर सरकारी ठेकों में भी आरक्षण है। वे इसे सकारात्मक कार्य (Affirmative action) कहते हैं।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चाहते थे कि जो समानता का अधिकार है अगर उसमें कमजोर वर्ग को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो उस समानता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1963 तक यह माना कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के Provision (परंतुक) हैं। सन् 1963 तक इस बात को बरकार रखा गया। लेकिन उस समय जो न्यायमूर्ति सुब्बाराव का अल्पसंख्यक दृष्टिकोण था, उसमें उन्होंने कहा है कि यह वर्गीकरण हो सकता है और अनुच्छेद 14 में ही ऐसा वर्गीकरण हो सकता है। अगर अनुच्छेद 15 (4) व 16 (4) नहीं होते, तब भी आरक्षण दिया जा सकता है। संविधान में आरक्षण का दायरा 50% से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता- ऐसा मूल संविधान में नहीं है। यह केवल 81वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत प्रावधान डाला गया है। किन्तु इस विषय में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने भी एक बार एक व्यक्तव्य में कहा था कि- जो 50% आरक्षण सीमा का नियम है वह सावधानी के लिए है 'That is not a rule of law, that is rule of Caution'. ठीक है आपको सावधानी बरतनी चाहिए न कि 50% की एक लिमिट रखनी चाहिए। लेकिन 50% से अधिक आरक्षण हो ही नहीं सकता ऐसी कोई बात नहीं हैं। संविधान का प्रासंगिक अनुच्छेद 16(4) है, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है और न ही ऐसा उल्लेख है कि आरक्षण 10 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। आरक्षण तब तक चलता रहेगा, जब दलित, शोषित व पिछड़ा वर्ग सवर्णों के बराबर न आ जाएं। 10 वर्ष की अवधि को बढ़ाने का आशय केवल

विधानसभा व लोकसभा की सीटों में है- नौकरियों में नहीं।

हमारे संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं तथा अमेरिका में जो मूलभूत अधिकार हैं, दोनों जगह मूलभूत अधिकारों की व्याख्या अलग है। वहां पर स्वतंत्र (liberal) रूप से व्याख्या होती है हमारे यहां संकीर्ण रूप से व्याख्या होती है। संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या विस्तृत रूप से होनी चाहिए।

77वां संविधान संशोधन (1995) पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था। 81 वां संविधान संशोधन Back log (बैक लॉग) रिक्तियों के विषय में था। 82वां संविधान संशोधन (2001) रिलेक्शेसन के बारे में था और 85 वां संविधान संशोधन Reservation in promotion with consequential seniority बारे में था। किन्तु गिनती के ही राज्य होंगे जहां 85वां संविधान संशोधन लागू किया गया हो।

भारतीय संविधान के 16(1) के अन्तर्गत दी गई अवसर की समानता वास्तव में इच्छा स्वतन्त्रवाद है न कि समानतावादी सिद्धान्त, क्योंकि यह जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक अमेरिकन लेखक के अनुसार- 'वे लोग जो अपना जीवन असुविधाओं से शुरू करते हैं, वे शायद ही अवसर की समानता का लाभ उठा पाते हों, क्योंकि तब तक वे कुशलता और उन्नतिशील तकनीकों में विशेष रूप से श्रेष्ठ न हो तब तक वे कभी भी अधिक सम्पन्न व्यक्तियों के समान सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से सुविधाहीन व्यक्ति कभी भी समान अवसर प्राप्त नहीं कर सकते। अवसर की समानता एक सामाजिक सिद्धान्त भी है, किन्तु यह सुविधाहीन लोगों के मार्ग में बहुत से अदृश्य तथा बढ़ी हुई उलझनें नहीं देखता। वस्तुतः तब तक कि निर्धन के बच्चों को पैदा होते ही उनके माता-पिता से लेकर मध्यमवर्गीय परिवार में उनका लालन-पालन नहीं किया जाएगा तब तक अधिकांश अवसर की असमानता से ग्रस्त रहेंगे।''

एस.बी. बलराम बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (A.I.R., 1972 A.C. 137) में न्यायालय ने सुस्पष्ट किया है, 'यह नहीं भूलना चाहिए कि जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि समूची जाति सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, तो हमारी राय में ऐसे व्यक्तियों के लिए किया गया आरक्षण स्वीकार करना होगा चाहे उक्त वर्ग के कुछ व्यक्ति सामाजिक तथा शैक्षणिक दोनों रूप से सामान्य औसत से ऊपर हैं।''

**इसके पीछे यह दृष्टिकोण रहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक अथवा भौगोलिक कारणों से जिन-जिन समूहों को बाकी समाज के समकक्ष हैसियत (Status) हासिल नहीं हो पाई है। उनके लिए अवसर की समानता का सिद्धान्त तब तक उपयोगी नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए विशेष अवसर का प्रावधान नहीं किया जाए। अपने सामाजिक पूर्वाग्रहों के चलते भारतीय समाज से दलित और पिछड़ी जातियों के लिए समान अवसर का सिद्धान्त कितना अपर्याप्त सिद्ध हुआ है, इसका पता इस बात से लगता है कि निजी क्षेत्र में, जहां आरक्षण लागू नहीं है इन जातियों के सदस्यों की संख्या उस सामान्य कर्मचारी वर्ग में भी नगण्य सी है।**

वास्तव में आरक्षण का प्रावधान विशेष अवसर के सिद्धान्त से जुड़ा हुआ है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आन्दोलनों और घोषणाओं में भी स्वीकारा है।

इसके पीछे यह दृष्टिकोण रहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक अथवा भौगोलिक कारणों से जिन-जिन समूहों को बाकी समाज के समकक्ष हैसियत (Status) हासिल नहीं हो पाई है। उनके लिए अवसर की समानता का सिद्धान्त तब तक उपयोगी नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए विशेष अवसर का प्रावधान नहीं किया जाए। अपने सामाजिक पूर्वाग्रहों के चलते भारतीय समाज से दलित और पिछड़ी जातियों के लिए समान अवसर का सिद्धान्त कितना अपर्याप्त सिद्ध हुआ है, इसका पता इस बात से लगता है कि निजी क्षेत्र में, जहां आरक्षण लागू नहीं है, इन जातियों के सदस्यों की संख्या उस सामान्य कर्मचारी वर्ग में भी नगण्य सी है, जिसमें शामिल होने हेतु कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, तकनीकी पोस्टों की बात ही छोड़िए।

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी आरक्षण नीति का समर्थन किया गया है। अनुच्छेद 38 में यह स्पष्ट लिखा गया है। अनुच्छेद 38-'राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्पना की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।'

अतः आरक्षण अनुसूचित जातियों हेतु कोई न तो तोहफा है और न ही विशेषाधिकार, बल्कि सदियों से

असमानता के आधार पर सताई गई दलित जातियों को दी गई क्षतिपूर्ति है।

'आरक्षण' फिल्म भी सुनिश्चित किया गया है कि जब भेदभाव व असमानता जाति के आधार पर है, तो इसके समाधान हेतु जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान न्यायोचित है। इसके साथ ही उक्त फिल्म में यह भी बताया गया हैं जब तक कि प्रत्येक वर्ग या जाति के लिए एक जैसा सामाजिक वातावरण प्रदान नहीं किया जाता है, जिन्हें अच्छा सामाजिक वातावरण नहीं दिया गया है, उन्हें आरक्षण दिया जाना तर्क संगत है।

**आरक्षण के प्रावधान की समीक्षा :**

आए दिन अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि सवर्णो द्वारा आरक्षण के विरोध में सड़कें जाम की, रेलें रोकी, सड़कों पर विरोध स्वरूप झाड़ू लगाई तथा बूट पॉलिश की, उन्हें भ्रम है कि इस वर्ग को सब कुछ मिल गया। किन्तु जब हम आरक्षण के कारण प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि आरक्षण पहले तो बहुत सीमित दायरे तक अर्थात् केवल सार्वजनिक क्षेत्रों तक रहा है। निजी क्षेत्र में यह प्रावधान लागू नहीं है। सरकारी नौकरियों में जो ग्रुप-सी की नौकरियां हैं, उसमें एस.सी./एस.टी. तथा ओ.बी.सी. का प्रतिनिधित्व केवल 6.2% है। ग्रुप 'ए' में थोड़ा ज्यादा है। ग्रुप बी में लगभग 6.8% है। हां ग्रुप-डी में प्रतिनिधित्व संतोषजनक कहा जा सकता है, जिसके पीछे यह कारण है कि सफाई वाले के पद पर एक जाति विशेष का प्रार्थी ही लगता है, उनका प्रतिनिधित्व इसमें सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य में भी केवल ग्रुप डी. के पद को छोड़कर निर्धारित आरक्षण 20% पूरा नहीं है। अन्य ग्रुपों में भी बहुत से पद कई सालों से रिक्त पड़े हैं, भरे ही नहीं जा रहे हैं।

आजकल लगभग सभी राज्यों में यह प्रचलन चल पड़ा हैं कि रिक्तियां स्थाई होते हुए भी उनके आमुख Guest faculty या Contractual आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। इस प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों की सरासर अनदेखी की जा रही है। ऐसी रिक्तियों का न तो व्यापक विज्ञापन किया जाता है और न ही शर्तों व योग्यताओं को विज्ञापित किया जाता है। ऐसी रिक्तियां प्राय: भाई-भतीजावाद के आधार पर की जा रही हैं- ऐसा हरियाणा राज्य में प्राय: हो रहा है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा है। अतिथि आधार पर लगे अध्यापकों को हरियाणा सरकार पक्का करने की फिराक में है, जबकि ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण की अनदेखी की गई है। अत: ऐसे प्रार्थी स्थायी किए जाने के पात्र नहीं हैं।

अभी हाल ही में HPSC द्वारा H.C.S. (Judicial Branch) की परीक्षा हेतु समाचार पत्रों में किए गए विज्ञापन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रिक्तियों में से अधिकतर रिक्तियां लगातार तीसरी बार विज्ञापित की गई हैं तथा कुछ दूसरी बार और कुछ ही रिक्तियां पहली बार विज्ञापित की गई हैं। ऐसी रिक्तियों के आमुख 'सुयोग्य प्रार्थी उपलब्ध नहीं- 'None found Suitable' लिखकर इन्हें अनारक्षित करने की साजिश की जा रही है। हरियाणा में अतिथि अध्यापक लगाए हैं। इन अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की गली ढूंढी जा रही है क्योंकि ये अधिकतर सिफारिशी हैं इनकी नियुक्ति मेरिट को ताक पर रखकर भाई-भतीजावाद के आधार पर की गई हैं। जब अनुसूचित जाति का व्यक्ति आरक्षण के आधार पर नियुक्त हो जाता है, तो उसके विरुद्ध सवर्ण के बराबर दक्ष न होने का मिथ्या प्रचार किया जाता है, यह कैसी विडम्बना है?

वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद आरक्षण का दायरा दिन-प्रतिदिन सीमित होकर सिकुड़ता जा रहा है या दूसरे शब्दों में यह कहें कि आरक्षण समाप्त करने हेतु यह साजिश रची जा रही है। दलितों को आखिर किस बात की सजा दी जा रही है, जो योग्य हैं, उन उम्मीदवारों को भी साक्षात्कार किए बिना लौटा दिया जाता है। आज पूरे देश में करोड़ों की संख्या में शिक्षित दलित एवं नवयुवक रिक्शा चला रहे हैं व मजदूरी कर रहे हैं।

'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' ने अपनी प्रथम रिपोर्ट, जो संसद में पेश की है, उसमें आयोग ने कहा है, ''पदों को भरने की प्रक्रिया में सुधार नहीं आया है। जिससे खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। पदों को खाली छोड़ने की बजाय किसी अनुसूचित जाति कोटे के व्यक्ति को नौकरी दी जाए।'' यू.पी.ए. सरकार ने सर्वप्रथम सत्ता संभाली, तो उन्होंने एक 'नेशनल मिनिमम प्रोग्राम' घोषित किया, जिसमें 6 बिन्दु रखे गए थे। उसमें पांचवां बिन्दु शिक्षा से संबंधित है। इस बिन्दु में कहा गया है, "To provide for full equality of opportunity particularly in education and employment to S.C., S.T. and OBC and religious minority'.

कांग्रेस पार्टी ने अपने दूसरे कार्यकाल से पूर्व लोकसभा के चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किए जाने का वायदा किया था। किन्तु यह सब केवल घोषणा ही बन कर रह गई है। नीतिक्षेत्र में आरक्षण की बात छोड़िए, उसके कार्यकाल के दौरान कई विभागों का निजीकरण किया गया। जिससे आरक्षण का दायरा सिकुड़ता गया। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। निजीक्षेत्र में बहुत से शिक्षण संस्थान खुले जो Self Financing योजना के अन्तर्गत कार्य करने लगे, उन संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ ही अपने कार्यकाल में राज्य सभा से 'अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सेवा एवं रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम' (2008) 47 Institutes of Excellence in Higher Education के विषय में एक बिल-2008 दिसम्बर 2008 में पास करवाया जिसमें SC/

ST के प्रार्थियों को IIT, IIM, AIIMS तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण का लाभ न तो प्रवेश में लागू होगा और न ही नियुक्तियों में। अब यह बिल न जाने क्यों लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार आरक्षण के प्रावधान का लाभ घटाने में ज्यादा सजग है न कि बढ़ाने में। सरकार ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिन पर किसी प्रकार कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा जैसे इन विश्वविद्यालयों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा। ऐसे महंगे विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के नवयुवकों को प्रवेश लेना स्वप्न ही रहेगा। इस प्रकार समाज में असमानता फैलेगी और अनुसूचित जाति, जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिनों-दिन घटता जाएगा।

नौकरी देने में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के नवयुवकों के साथ भेदभाव किया जाता है। शहरी क्षेत्र पर केन्द्रित अध्ययन में बनर्जी तथा नाईट (1992) का कहना है, ''जाति के आधार पर सचमुच भेदभाव किया जाता है, खासकर नौकरी देने में। यह भेदभाव परम्परागत वर्णाश्रमी-तन्त्र के सहारे सक्रिय होता है और 'अछूत' कम वेतन वाली ठस्स किस्म की नौकरियों में अनुपात से अधिक हैं।'' देश का संविधान लागू हुए 68 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। किन्तु आरक्षण पूरा नहीं हुआ। शिक्षा से लेकर पुलिस तक आरक्षण पूरा नहीं है। यह बड़ा ही शोचनीय विषय है।

आरक्षण विरोधियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षण के माध्यम से अदक्ष कर्मचारी चयनित होकर आते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि सवर्णों के बच्चे सरकारी संस्थाओं में सामान्य प्रवेश प्रक्रिया में दाखिले से वंचित रह जाते हैं, तब वे निजी संस्थाओं में भारी Captitation फीस देकर अध्ययन करके आते हैं- क्या वे डाक्टर योग्य होते हैं या आरक्षण से आने वाले। यदि वे योग्य होते, तो प्रवेश की साधारण प्रक्रिया के दौरान उनको प्रवेश मिल गया होता। अनुसूचित जाति के बच्चों के पास मोटी रकम के अभाव में वे ऐसी स्वयं वित्तीय (Self financing) संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले सकते। निजीकरण नीति के अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। जिनकी भारी फीस होने के कारण दलित एवं अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना केवल स्वप्न बनकर रह जाता है।

**नौकरी देने में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के नवयुवकों के साथ भेदभाव किया जाता है। शहरी क्षेत्र पर केन्द्रित अध्ययन में बनर्जी तथा नाईट (1992) का कहना है कि-''जाति के आधार पर सचमुच भेदभाव किया जाता है, खासकर नौकरी देने में। यह भेदभाव परम्परागत वर्णाश्रमी-तन्त्र के सहारे सक्रिय होता है और 'अछूत' कम वेतन वाली ठस्स किस्म की नौकरियों में अनुपात से अधिक हैं।'' देश का संविधान लागू हुए 65 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। किन्तु आरक्षण पूरा नहीं हुआ। शिक्षा से लेकर पुलिस तक आरक्षण पूरा नहीं है। यह बड़ा ही शोचनीय विषय है।**

**आरक्षण क्यों और कब तक?**

जो वर्तमान में आरक्षण दिया जा रहा है, वह 1931 में की गई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर है। उस समय ही जाति आधार पर जनगणना की गई थी। उसके पश्चात् कभी भी जाति आधार पर जनगणना नहीं की गई। सन् 2001 में जनगणना हुई तब इसमें सही तरीके से जनगणना नहीं की गई। उस समय देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय के.आर. नारायण थे। उस जनगणना में उनकी जो सामाजिक पहचान दर्शाई गई है, उसे ही गलत दिखाया गया। इससे यह समझा जा सकता है कि यदि देश के प्रथम नागरिक की पहचान गलत दी जा सकती है, तो आम आदमी की गणना कैसे होती होगी?

देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक सम्पत्ति कहे जाते हैं और इसलिए वही आर्थिक-राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था न्यायपूर्ण कही जा सकती है, जो अपनी प्रक्रियाओं को इस तरह विकसित करे कि इन संसाधनों और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ या सुविधाओं की उपलब्धि समाज के सभी वर्गों तक हो सके। ऐसे में न्याय से वंचित लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए विशेष व्यवस्था करने के औचित्य को नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में यह प्रश्न मूलत: रोजगार के अधिकार का सवाल है। यदि सभी को रोजगार मिल जाता है, तो आरक्षण को लेकर सवर्णों में फूट रहे असंतोष के लिए कोई आधार नहीं बनता। यदि रोजगार के अधिकार को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वंचित वर्गों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी, और वह है-'आरक्षण'। अत: इस समस्या का यही हल है कि रोजगार के अधिकार

और सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी के बिना आरक्षण की व्यवस्था को हटा दिया जाता है, तो अनुसूचित जाति एवं दलित वंचित वर्गों के लिए रोजगार के अवसर और भी कम हो जाएंगे।

एक यह भी सर्वे होना चाहिए कि जूता बनाने-बेचने, कपड़ा बनाने-बेचने, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, तेल बनाने-बेचने जैसे व्यवसायों में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे सवर्ण लोगों और इन व्यवसायों को परम्परागत रूप से करने वाली जातियों के बीच क्या अनुपात बनता है? इन जातियों की यही समस्या है कि इनके परम्परागत व्यवसायों को अन्य उच्च वर्ग के लोगों ने हड़प लिए हैं। ऐसी स्थिति में इन वर्गों के लिए विशेष अवसर के सिद्धान्त का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है, और यह है- ''आरक्षण''।

संस्थाओं व विभागों का निजीकरण, औद्योगिकरण के निरन्तर बढ़ते क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की नीति लागू करने की महती आवश्यकता है। यदि किसी पद के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है, तो एस.सी. व एस.टी. के नवयुवकों को इसकी Skill update करने का प्रशिक्षण (Coaching) दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की अनुशंसा 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार से की है।

निजी क्षेत्र में Supplier, Dealer तथा Distributor के रूप में दलितों का सुनहरा भविष्य निहित है। किसी उत्पादन को बनाने के लिए 100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलता है तो विपणन में हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में तथा सरकारी ठेकों में आरक्षण लागू कर दिया जाए तो हजारों दलित भारत के व्यवसाय जगत में भागीदार बन सकते हैं। सरकारें करोड़ों रुपये के मूल्य की चीजें बाजार से खरीदती हैं। यदि सरकारी खरीद का एक हिस्सा दलितों के लिए सुरक्षित रख दिया जाए तो हजारों दलित खुशहाल हो सकते हैं। अमेरिका में भी अश्वेतों के उत्थान में इस तरीके से सिंचाई विभाग, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आदि विभागों में हजारों की संख्या में ठेके दिए जाते हैं, ऐसा आरक्षण लागू करने की मांग भारत में भी रखनी चाहिए; क्योंकि सरकारी नौकरियों में (Globalisation), उदारीकरण व नई तकनीकों के कारण दिन-प्रतिदिन नौकरियां घटती जा रही हैं, तभी बेड़ा पार हो सकता है।

देश में एक समान व सस्ती शिक्षा प्रणाली लागू की जाए जहां प्रधानमंत्री का बेटा भी वहीं पढ़े और सफाई कर्मचारी का बेटा भी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो President Lyndon Johnson द्वारा हारवर्ड विश्वविद्यालय में दिनांक 04.06.1965 को दिए गए व्यक्तव्य के अंश यहां आरक्षण के प्रावधान के पक्ष में समिचीन प्रतीत होते है कि- "you do not take a person for years, has been hobbled by chains and liberate him bring him up to the starting line and then you say, you are free to compete with all the others."

भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते दायरे को देखते हुए इन कम्पनियों को किस तरह सार्थक हस्तक्षेप की नीति को ऐसे दायरे में लाया जाए जो यू.एन.ओ. के समान रोजगार के अवसरों से बावस्ता प्रावधान से मेल खाता हो। निजी क्षेत्र में विद्यमान समाजगत भेदभाव से निपटने के लिए अनेक देशों ने नीतियां बनाई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सार्थक हस्तक्षेप की नीति के अन्तर्गत इस दायरे में शिक्षा, आवास तथा अल्पसंख्यकों के व्यवसाय से सामान की सरकारी खरीददारी और इस वर्ग के लिए सरकारी निविदा (Govt. Tender) की व्यवस्था जैसी बात शामिल है। वहां सिविल एक्ट के टाइटिल के अन्तर्गत रोजगार के अवसर में समानता को यू.एस.ए. में कानूनी रूप दिया गया है। भारत में भी ऐसी पहल की जानी चाहिए।

दलितों पर बढ़ते अत्याचारों से यह प्रमाणित होता है कि भारतीय समाज आज भी इन्हें समस्तर पर स्वीकार करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं हो सका है। ऐसे में शिक्षा ही एक मात्र ऐसा माध्यम सामने आता है जिसके द्वारा इस दिशा में गतिशीलता उपलब्ध करा सकती है। शिक्षा के द्वारा समाज के ताने-बाने में ज्ञान आधारित समरसता पैदा करके असमानता को दूर किया जा सकता है। मेरी राय में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति का हो या पिछड़े वर्ग का, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, इसे लागू करवाने का पूरा दायित्व सरकार का है। आरक्षण को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने हेतु सरकार एक विधेयक लाए। खाली पड़े पदों को भरने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। आरक्षण नीति की एक सबसे बड़ी कमी तो सुस्पष्ट है कि आरक्षण की योजना कार्यपालिका के निर्देशों पर टिकी है। जिसका उल्लंघन करने पर किसी भी किस्म की दण्डात्मक कार्यवाही नहीं होती। इसलिए सरकार आरक्षण की नीति को सही ढंग से लागू करने के लिए एक उचित विधेयक लाए तथा उसे संविधान की नवीं अनुसूचि में रखे ताकि इसमें न्यायपालिका के अवांछित हस्तक्षेप को रोका जा सके। ऐसा सुझाव सरकार को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग' ने भी दिया है।

बार-बार यह प्रश्न किया जाता है कि आखिर आरक्षण कब तक जारी रहेगा? इसमें तो सवाल करने की वैसे भी कोई बात नहीं उठ सकती, क्योंकि जब तक दलित एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को बराबर का हक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।■

सत्यमेव जयते

# डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार**

बाबासाहेब बीसवीं शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे बुद्धिजीवी, विद्वान तथा राजनीतिज्ञ थे। देश के निर्माण में उनका महान योगदान है। उन्होंने दलितों व शोषितों को अन्य लोगों के समान ही कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज के दलित वर्ग के लाखों लोगों को उनके मानवाधिकार दिलाए। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी। वे सामाजिक न्याय के संघर्ष के प्रतीक हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अमल में लाने के लिए की गई थी।

प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश में लोगों के बीच बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना तथा उसके प्रचार के लिए कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को लागू करना है। प्रतिष्ठान को भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान् चिह्नित किए गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रबंधन, प्रशासन तथा उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।



## योजनाएं/कार्यक्रम/परियोजनाएः-

- **डॉ. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस/जन्म दिवस के अनुपालन/ समारोह :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को और महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को संसद भवन के उद्यान में समारोहपूर्वक मनाया जाता है। इस गरिमापूर्ण दिवस पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साधारणतया समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य उच्च पदाधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में साधारण जन भी बाबासाहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

- **विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर पीठ :**

इस योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य विद्वानों, विद्यार्थियों तथा अकादमियों को सभी प्रकार से सुसज्जित अध्ययन केन्द्र को उपलब्ध कराना है, जिससे वे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के विचारों एवं आदर्शों को समझने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक उच्च अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकें। अब तक कुल दस अम्बेडकर पीठ विभिन्न महत्व वाले क्षेत्रों जैसे विधिक अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक नीति एवं सामाजिक कार्य,

समाज कार्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव–विज्ञान, दलित आन्दोलन एवं इतिहास, अम्बेडकरवाद एवं सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय में स्थापित किए जा चुके हैं।

- **डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना**

यह योजना मूलरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु. 1,00,000/– से कम हो और उसे गम्भीर बीमारियों जैसे किडनी, दिल, यकृत, कैंसर, घुटना और रीढ़ की सर्जरी सहित कोई अन्य खतरनाक बीमारी हो, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत हो।

संशोधित योजना–2014 के अनुसार, आवेदन पत्र को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित प्रतियों और संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित अनुमानित लागत प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र का अनुमोदन और अग्रसारण डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की आमसभा के सदस्यों या स्थानीय वर्तमान सांसद (लोकसभा या राज्यसभा) या संबंधित जिला के जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी, आयुक्त द्वारा या संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है। इलाज के लिए अनुमानित लागत का 100 प्रतिशत सर्जरी से पहले ही सीधे संबंधित अस्पतालों को एक किस्त में जारी कर दिया जाता है। विभिन्न बीमारियों के लिए अधिकतम राशि को निश्चित कर दिया गया है जैसे हृदय शल्य चिकित्सा के लिए रुपये 1.25 लाख, किडनी सर्जरी/डाइलिसिस के लिए रुपये 3.50 लाख, कैंसर सर्जरी/कीमोथिरेपी/रेडियोथिरेपी के लिए रुपये 1.75 लाख, मस्तिष्क सर्जरी के लिए रुपये 1.50 लाख, किडनी/अंग प्रत्यारोपण के लिए रुपये 3.50 लाख, रीढ़ की सर्जरी हेतु रुपये 1.00 लाख और अन्य जीवन घातक बीमारियों के लिए रुपये 1.00 लाख। अस्पताल को यह भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक (दसवीं कक्षा) परीक्षा हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना**

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योग्य विद्यार्थियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देश में प्रत्येक बोर्ड के लिए चार पुरस्कार निर्धारित हैं। तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 60,000/–, रु. 50,000/– और रु. 40,000/– प्रदान किए जाते हैं। यदि इन तीन विद्यार्थियों में से कोई लड़की नहीं होती तो इसके अतिरिक्त सर्वाधिक अंक पाने वाली लड़की को रु. 40,000/– का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, प्रत्येक के लिए, 10,000 एकमुश्त राशि की 250 विशेष योग्यता पुरस्कारों की परिकल्पना भी की गई है, जो उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के बाद सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं।

• **उच्च माध्यमिक परीक्षाओं ( 12वीं कक्षा ) में अनुसूचित जाति से संबद्ध योग्य विद्यार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना :**

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने 2007-08 के दौरान् कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की पहचान करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को योग्यता पुरस्कार प्रदान करने की योजना तैयार की। पुरस्कार में, किसी भी शैक्षणिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित 12वीं स्तर की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में तीन सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः चार वर्गों अर्थात् कला, विज्ञान (गणित के साथ), विज्ञान (जीव विज्ञान और या गणित के साथ) तथा वाणिज्य में रु. 60,000/-, रु. 50,000/- तथा रु. 40,000/- के प्रदान किए जाते हैं। योग्यता श्रेणी के प्रथम तीन स्थानों के बाद प्रत्येक वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन लड़कियों को प्रत्येक को रु. 20,000/- की दर से विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक बोर्ड के लिए कुल 12 पुरस्कार होते हैं।

• **अनुसूचित जाति के अत्याचार-पीड़ितों हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना**

इस योजना की प्रकृति आकस्मिक व्यवस्था के तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के तहत अपेक्षाकृत जघन्य अपराधों के पीड़ितों को तात्कालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करने की है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता राशि सीधे पीड़ित या उसके पारिवारिक सदस्यों या आश्रितों को प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रदान की जाती है, जबकि उपर्युक्त अधिनियम के तहत अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा इस संबंध में सूचित कर दिया जाता है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या/मृत्यु पर रु. 5.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, गैर कमाऊ सदस्य की मृत्यु/हत्या पर सहायता राशि रु. 2.00 लाख, कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 3.00 लाख, गैर कमाऊ सदस्य के स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि रु. 1.50 लाख तथा बलात्कार के लिए सहायता राशि रु. 2.00 लाख है तथा ऐसी आगजनी, जिससे कोई परिवार पूर्णतः बेघर हो जाए तो सहायता राशि रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है।

• **डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना**

प्रतिष्ठान की इस वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रति उनकी रुचि को जगाना है। यह प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त स्कूलों (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अर्थात् 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक)/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु है। विद्यालयों से प्राप्त हिन्दी और अंग्रेजी में सबसे अच्छे तीन निबंधों के लिए पुरस्कार की राशि रु. 10,000 से रु. 25,000 तक है और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए यह राशि रु. 25,000/- से रु. 1,00,000 तक है।

- **महान संतों के जन्म दिवस समारोह हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ गैर सरकारी संगठनों को, महान संतों जैसे– संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नारायण गुरु, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले आदि का जन्म दिवस समारोह मनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए अधिकतम अनुदान राशि रुपये 5.00 लाख तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए रुपये 2.00 लाख की राशि निर्धारित की गई है।

- **सामाजिक परिवर्तन हेतु डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार**

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा भारत और मानवीय परिवार के प्रति की गई वृहद् विलक्षण सेवाओं के पुण्य स्मरण में इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह पुरस्कार असमानता, अन्याय और शोषण के कारणों के विरुद्ध सख्ती से मामले उठाने और सुलझाने के उदाहरणीय योगदान तथा सामाजिक समूहों के बीच सामंजस्य, सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक सौहार्द और मानवीय गरिमा के आदर्शों की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति(यों) या समूह(ों) को प्रदान किया जाता है।

प्रति वर्ष एक पुरस्कार, जिसमें रु. 15.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

- **कमजोर वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समझ हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार**

इस राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इस पुरस्कार हेतु चयन किसी प्रकाशित पुस्तक या फिर जन आंदोलन के आधार पर होता है, जिसने समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। प्रति वर्ष एक पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें रु. 10.00 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- **अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा सामाजिक एकता हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना**

इस योजना का उद्देश्य, अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक रूप से साहसिक कदम उठाने वाले, नए विवाहित दम्पति को उनके वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर को सही ढंग से चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। विधिसम्मत अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन हेतु राशि रु. 2.50 लाख प्रति विवाह है। योग्य दम्पति को प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत उनके संयुक्त नाम के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उनके संयुक्त नाम में पांच वर्ष की अवरुद्धता अवधि के साथ सावधि जमा में रखा जाता है।

- **सामाजिक न्याय संदेश**

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का प्रकाशन दिसम्बर 2002 से हो रहा है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के 'संदेश' को आम

नागरिकों तक पहुंचाने में 'सामाजिक न्याय संदेश' की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है। इसकी एक प्रति का मूल्य रु. 10/- है। एक वर्ष के लिए चंदे की दर रु. 100/-, दो वर्ष के लिए रु. 180/- और तीन वर्ष के लिए रु. 250/- है। सामाजिक न्याय संदेश प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर भी उपलब्ध है।

- **डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र**

''डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र'' राष्ट्रीय महत्त्व के एक विश्व स्तरीय बहुआयामी अध्ययन के प्रति समर्पित होगा। यह केन्द्र जनपथ और डॉ. आर.पी. रोड के प्रतिच्छेदन पर एक महत्त्वपूर्ण अवस्थिति पर 3.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जो लुटियन दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारतों से घिरा होगा। केन्द्र की मुख्य सुविधाओं में शोध एवं प्रसार केन्द्र, मीडिया सह इंटरप्रेटेशन केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, सम्मेलन केन्द्र और प्रशासनिक स्कंध शामिल होंगे।

- **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक**

डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसंबर, 1956 को अपने निवास 26, अलीपुर रोड़, दिल्ली में अंतिम सांसें ली थीं। इस स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में पवित्र माना जाता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 2 दिसंबर, 2002 को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और लक्ष्यों पर फोटो गैलरी की स्थापना कर सरकार ने इसी जगह एक अच्छी तरह अभिकल्पित और पूर्ण रूप से विकसित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की।

- **बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्य (सी.डब्ल्यू.बी.ए.) परियोजना**

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित बाबासाहेब अम्बेडकर के संकलित कार्यों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा हिन्दी एवं 8 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं-मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, उर्दू एवं गुजराती में करवाया जा रहा है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले 360 खंडों (प्रत्येक भाषा के 40 खंड) में से 197 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। शेष के 163 खंड अभी मुद्रण और अनुवाद की प्रक्रिया में हैं।

प्रतिष्ठान ने बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संकलित कार्यों के खंडों को अंग्रेजी में भी पुन: प्रकाशित किया है तथा अंग्रेजी के 10 खण्डों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में किया है। शेष खंड ब्रेल लिप्यंतरण की प्रक्रिया में है। ■

# वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्यपरकता की आवश्यकता

**■ इन्दु पाराशर**

वर्तमान में नैतिक मूल्यों का बड़ी तीव्रता से ह्रास हुआ है, जिसके जीते जागते उदाहरण आज हमें समाज में हर ओर दिखाई देते हैं।

शिक्षित लोगों में भी स्वार्थपरता आसमान छूती महत्वाकांक्षाएं, सुविधाएं जुटाने की अंधीदौड़ मौजूद है, सिर्फ अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा ने व्यक्ति के चारों ओर परिवार और समाज में सिर्फ प्रतिद्वंद्विता की भावना को जन्म दिया है। दो वर्ष की उम्र से दुध मुंहे बच्चों की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल कर दिया जाता है, जिसमें वे जीवनपर्यन्त दौड़ते रहते हैं, दो घड़ी रुककर जीवन जीने का भी अवसर नहीं मिलता।

शिक्षा उनके लिये सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन मात्र बन जाती है। संस्कार, परंपराएं, नीतियां (यथार्थ और व्यावहारिक) सहृदयता, समानता, समायोजनता, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, परोपकार आदि मानवीय संवेदनाओं से व्यक्ति का कोई नाता नहीं रह जाता है। वह मशीनी मानव की भांति अपना जीवन सिर्फ प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वंद्विता की समर-भूमि में बिताता है और उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा को समूल नष्ट करना चाहता है। यहां सारे रिश्ते-नाते गौण हो जाते हैं। वह सिर्फ अपनी विजय-पताका फहराना चाहता है, बड़े-बड़े महल बनाना चाहता है, आधुनिक सुविधाओं और धन का अंबार लगाना चाहता है फिर भले ही उसे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े। गलत मार्ग से वह वस्तुएं और धन तो जुटा लेता है, किन्तु आत्मा की खुशी कहीं खो जाती है, व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ, खोखला एवं विपन्न हृदय पाता है। यही कारण है कि आत्मा की शांति की तलाश में आज पाश्चात्य देशों के लोग भारत आ रहे हैं और बड़े दुख की बात है कि हम पाश्चात्य देशों की नकल करने को उतावले हैं।

**नैतिक मूल्यों के ह्रास के मुख्य कारण :-**

**टूटते-बिखरते परिवार-**

"टूटा संबंधों का बंधन,  
न रिश्तों की मर्यादा की।  
स्वच्छंद, स्वार्थयुक्त जीवन से,  
हा: किस सुख का अभिलाषा की।"

"विवाह संस्कार वह पवित्र यज्ञ माना जाता था, जिसके अग्नि कुंड में दो व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थों की आहूतियां दे साथ रहने का वचन देते थे एवं उसे जीवनपर्यन्त निभाते थे।

वस्तुत: परिवार की सार्थकता ही, घातक-संकीर्णता, मारक-स्वार्थपरता के स्थान पर सहनशीलता, संतोष, सहयोग, सामाजिकता व सेवा की भावना जगाकर व्यक्ति को समाज के लिए सहायक बनाना था। पारिवारिकता के मूल में जो संवेदनाएं थीं, वे सघन-आत्मीया की ऊष्मा और "स्व" की परिधि के विस्तार की प्रेरणा थीं। संगठन, सहयोग, भावनात्मक-प्रगाढ़ता, पारस्परिक प्रेम, इच्छाओं, आवश्यकताओं के नियमन, आत्म-अनुशासन, एक दूसरे के लिये त्याग की सत्प्रवृत्तियां पारिवारिकता से सहज ही विकसित होती थीं।

जीवन में स्वच्छंदता प्राप्ति के लिए नवदंपत्तियों द्वारा उठाया गया यह कदम तब बहुत महंगा पड़ता है, जब बच्चों का

जन्म होता है और उनके पालन-पोषण और व्यक्तित्व विकास का समय आता है, तब कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पारिवारिक विघटन का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। संयुक्त परिवार में प्रेम पाने, करने, सामंजस्य बिठाने, परस्पर सहयोग की बातें बच्चे अनायास ही सीख जाते हैं। दादा-दादी के प्रेम की छांव में बच्चे अनजाने ही उनके अनुभवों का लाभ पाते हैं व जीवन जीने की कला सीखते हैं। जबकि सिर्फ माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों को डांट-फटकार ज्यादा मिलती है, जो उनके कोमल मन पर दुष्प्रभाव डालती है।

**माता-पिता दोनों का कार्यरत होना-**

''भागा-भागा सा दिन,
भागी-भागी रातें,
खुशियां काफूर हुईं,
बस धन की बरसातें।''

एक तो विघटित परिवार, फिर माता-पिता दोनों का धनोपार्जन के लिए बाहर जाना, बच्चों पर पहाड़ टूटने से कम नहीं। दुध मुंहे बच्चों को आया के पास छोड़कर जाना बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर कुठाराघात करना है। जब बच्चे का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास हो रहा होता है, तब उसे किसी अपने के सम्बल व मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, किसी वेतनभोगी अशिक्षित आया की नहीं।

और शाम को जब थके-मांदे माता-पिता इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में तनावग्रस्त घर पहुंचते हैं, तो वे बच्चों के साथ सहज, आनंदपूर्ण समय नहीं बिता पाते।

ऐसी परिस्थितियों में पले-बढ़े बच्चों से नैतिक गुणों की उम्मीद करना व्यर्थ है। ये मां-बाप को भी सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझते हैं। संवेदनाएं अविकसित ही रह जाती हैं।

**कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि-**

''येषाम् न विद्या, न तपो, न दानम्;
ज्ञानम्, न शीलं, न गुणों, न धर्मम्।
ते मृत्युलोके भुविभारभूता;
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंति।''

**आजादी के बाद शिक्षा का दायित्व प्रारंभ में ''समाज कल्याण विभाग'' के पास था। फिर 1988 में इसे एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में ''मानव संसाधन विभाग'' से जोड़ा गया। ''साक्षरता अभियान'' राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, खेल, युवा-कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सर्वशिक्षा अभियान आदि कार्यक्रमों द्वारा निरक्षरता के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के लिये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश में साक्षरता का प्रतिशत 2011 में 74.04% था, जिसमें 82. 14% पुरुष एवं 65.96% महिलाएं थी। राज्यों में केरल 93.9% साक्षरता के साथ देश में प्रथम स्थान पर था।**

माता-पिता का अशिक्षित, बुद्धिहीन, अनैतिक कार्यो में लिप्त होना। घर का वातावरण अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, दकियानूसी, स्वार्थपरक होना, माता-पिता के सबंधों में दरार होना, कलहपूर्ण होना, दुर्व्यसनों से ग्रस्त होना यदि बातें बालकों को सुसंस्कारित नहीं बना सकती।

**पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण:-**

''भौतिकता का यह भूत,
हमारी संस्कृति को ही लील रहा,
नैतिकता का जो पाठ पढ़ा,
वह पन्नों में ही सील रहा।।''

वर्तमान में भारतीय समाज अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ पाश्चात्य देशों की, बिना अच्छा-बुरा सोचे-समझे, हर क्षेत्र में नकल करने में लगा है। संयुक्त से एकल परिवार और इससे भी आगे बढ़कर विवाह की पवित्र परंपरा के विरुद्ध 'लिव इन रिलेशनशिप' की परंपरा महानगरों में प्रारंभ हो चुकी है। इस रिलेशनशिप से उपजी संतान व निर्मित होने वाला समाज किन मूल्यों को अपनाएगा? यह तो वक्त बताएगा।

**वर्तमान शिक्षा व्यवस्था:-**

उपरोक्त पारिवारिक सामाजिक स्थिति में हमने देखा बालकों के पास मूल्यों को समझने, सीखने व ग्रहण करने के अवसर बहुत कम हो गये हैं। ऐसे में अब यह शिक्षा व्यवस्था की अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह बालकों में मूल्यपरकता के गुणों के विकास पर अवसर उपलब्ध कराए।

आजादी के बाद शिक्षा का दायित्व प्रारंभ में ''समाज कल्याण विभाग'' के पास था। फिर 1988 में इसे एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में ''मानव संसाधन विभाग'' से जोड़ा गया। ''साक्षरता अभियान'' राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, खेल, युवा-कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सर्वशिक्षा अभियान आदि कार्यक्रमों द्वारा निरक्षरता के खिलाफ युद्ध लड़ा जा

रहा है। राजीव गांधी मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के लिये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश में साक्षरता का प्रतिशत् 2011 में 74.04% था जिसमें 82.14% पुरुष एवं 65.96% महिलाएं थी। राज्यों में केरल 93.9% साक्षरता रख देश में प्रथम स्थान पर था।

**शिक्षा का स्वरूप**

औपचारिक अनौपचारिक

**स्कूली शिक्षा**

- प्राथमिक - बुनियादी
- माध्यमिक - प्रौढ़ शिक्षा
- उ. माध्यमिक - उत्तर साक्षरता

**महाविद्यालयीन शिक्षा**

- उच्च शिक्षा - सतत् शिक्षा

आज आजादी के 68 वर्ष बाद भी हम **लार्ड मैकाले** की क्लर्क बनाने वाली शिक्षा प्रणाली से ही चिपके हुए हैं। आज हमने शिक्षा का उद्देश्य अंक-तालिका में अच्छे अंक प्राप्त करना एवं उस आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेना ही मान लिया है।

हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ विषयों का नीरस विश्लेषण है, पूर्णत: विषय संबंधी, परीक्षा आधारित, अव्यावहारिक, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए इसमें कहीं स्थान नहीं। यह शिक्षा न संस्कार सिखाती है, न मानवीय संवेदना की बात करती है, न उच्च गुणों की स्थापना हेतु कोई प्रेरणा प्रदान करती है। यह शिक्षा व्यवस्था सिर्फ जीविका कमाने का साधन मात्र है, यह विनाश और शोषण पर आधारित है, भावनाओं और आध्यात्म से कोसों दूर है।

अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था तो सिर्फ अक्षर ज्ञान के आंकड़े जुटाने में लगी है।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विधि क्षेत्रों के लिए **'इंजीनियर'** दे सकती है, पर उनमें यह नैतिक मूल्य जागृत नहीं कर सकती कि वे अपने कार्य एवं राष्ट्र के प्रति जवाबदार व ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार को प्रश्रय न दें, धन के लालच में हीन-गुणवत्ता वाली वस्तुओं का प्रयोग न करें, गलत मानकों वाले कलपुर्जे देश की रक्षा-सुरक्षा में न लगने दें। लोभ-लालच के वशीभूत हो कोई लोकविरोधी एवं राष्ट्रविरोधी कार्य न करें।

यह शिक्षा विविध क्षेत्रों के **'डॉक्टर्स'** तो दे सकती है परन्तु उनमें मरीजों के प्रति संवेदना व सेवाभाव जागृत नहीं कर सकती।

यह शिक्षा लोगों को **बड़े पदों** पर तो बैठा सकती है, पर पद की गरिमा हेतु आवश्यक मानवीय गुण उनमें जागृत नहीं कर सकती।

**वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विधि क्षेत्रों के लिए इंजीनियर दे सकती है, पर उनमें यह नैतिक मूल्य जागृत नहीं कर सकती कि वे अपने कार्य एवं राष्ट्र के प्रति जवाबदार व ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार को प्रश्रय न दें, धन के लालच में हीन-गुणवत्ता वाली वस्तुओं का प्रयोग न करें, गलत मानकों वाले कलपुर्जे देश की रक्षा-सुरक्षा में न लगने दें। लोभ-लालच के वशीभूत हो कोई लोकविरोधी एवं राष्ट्रविरोधी कार्य न करें।**

मूल्य-हीनता के नित-नये उदाहरण रोज हमारे सामने आते हैं, नित नये घोटाले उजागर होते हैं, नित-नये राजनायकों के नाम फेहरिस्त में आते हैं, किसी की संपत्ति जप्त होती है, कोई जेल की हवा खाता है, कोई उच्चपदासीन महिला-शोषण के अपराध में धरा जाता है, कोई बाल-शोषण में। समाज आज मूल्यहीनता के कारण पथ-भ्रष्ट हो गया है।

पुरातन-काल में नगर के कोलाहल से दूर ऋषि आश्रमों, गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी, वह शिक्षा मानवीय संवेदनाओं से युक्त एवं जीवन जीने की कला सिखाने वाली होती थी। व्यावहारिक होती थी। उन आश्रमों में कृष्ण-सुदामा एक साथ पढ़ते थे, समानता का व्यवहार करते थे, साथ-साथ श्रम करते थे, पृथ्वी, जल, जीव, वनस्पति, पर्यावरण सबका ध्यान रखते थे।

''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। भावी सम्राट को भी पहले कर्त्तव्यों में पारंगत किया जाता था, फिर अधिकार बताए जाते थे। विद्यार्थियों द्वारा गिरी हुई लकड़ियों का चयन किया जाता था। वनौषधि तोड़ते वक्त वृक्ष से प्रार्थना की जाती थी, क्षमा मांगी जाती थी एवं धन्यवाद ज्ञापन किया जाता था। इन पवित्र आश्रमों में सर्वांगीण उन्नति पर ध्यान दिया जाता था एवं बहुमुखी प्रतिभा के विकास का अवसर मिलता था। विज्ञान, चिकित्सा, नीति, युद्ध, कला, वेदों, शास्त्रों का अध्ययन कर विद्यार्थी जब वापस घर लौटता था तो वह पूर्ण रूप से योग्य, विद्वान नागरिक होता था।

वर्तमान में हम गुरुकुल प्रणाली तो लागू नहीं कर सकते फिर शिक्षा व्यवस्था कैसी हो?

''विद्या ददाति विनयम्,
विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्तनोति,
धनाद्धर्मं तत: सुखम।।''

विद्या सद्गुणों को साथ लेकर सुखों

तक पहुंचाती है।

''वास्तव में शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास कर उसकी अंतर्निहित शक्तियों को प्रस्फुटित करने की सतत् प्रक्रिया है, जो निरंतर चलती रहती है और मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित करती है।''

''जीवंत शक्ति और
सुंदर परिमार्जित संस्कार।
निज कर्त्तव्यों अधिकारों का,
जो करवाती है सदा ज्ञान।
वह शिक्षा की चिंगारी है,
दुनिया नतमस्तक सारी है।''

कुंभ के संबंध में हमारी मान्यता है कि जिस प्रकार एक विशिष्ट काल में, विशिष्ट तीर्थ स्थान में, विशिष्ट नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को पुण्य-लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उ.मा. कक्षाओं में अध्ययन का समय वह विशिष्ट समय है, हर विद्यालय वह विशिष्ट तीर्थ-स्थल एवं मूल्यपरक शिक्षा वह पवित्र नदी है, जिसमें डुबकी लगाने से समस्त पापों का नाश होता है व मनुष्य पुण्यात्मा अर्थात् अच्छा नागरिक बनता है। विद्यालयीन शिक्षा काल कुंभ पर्व के समान है।

**मूल्यपरक शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो :-**

1. मानसिक दासता से मुक्त कर, अस्तित्व-बोध कराए,
2. कुंठाओं, अंधविश्वासों, कुरीतियों, रूढ़िवादिता व धर्मांधता से मुक्त करे,
3. राष्ट्रीय भावना का विकास करे,
4. सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना का विकास करे,
5. आर्थिक प्रगति में व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी हो,
6. साहित्य और भाषा का विकास करे,
7. आत्मनिर्भरता, नारी सुरक्षा, नारी उत्थान, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा आदि के प्रति संवेदनशीलता प्रदान करे।
8. व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसमें प्रेम, दया, उदारता, नम्रता, त्याग, तपस्या, कर्त्तव्यनिष्ठा, अहिंसा, सत्य, ईमान आदि दिव्य गुणों का विकास करे।

ऐसी शिक्षा की व्यवस्था मुख्यधारा अर्थात् औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों धाराओं में होनी चाहिए।

**वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को मूल्यपरक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास उपयोगी हो सकते हैं :-**

- शिक्षकों के प्रति मान-सम्मान की पुनर्स्थापना करनी होगी। शिक्षकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। शिक्षकों को स्वयं के कार्य के प्रति, व्यवहार के प्रति, अपने आचरण के प्रति जवाबदारी, पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। उन्हें पुनः शिक्षक से गुरूता की ओर लौटना होगा और एक गुरू का ''गुरू भार'' संभालना होगा। कुछ काम न मिलने पर शिक्षक बन जाने के स्थान पर अपनी पसंद से अध्यापन कार्य चुनने वाले ही इसकी गरिमा बनाए रख सकते हैं। शिक्षक के श्रेष्ठ गुणों से प्रभावित हो विद्यार्थी उनका सम्मान करते हैं एवं उनका अनुसरण करते हैं, पर जरूरत है शिक्षकों को स्वयं को अनुकरणीय बनाने की।
- लोक कथाओं, अन्य कहानियों, दृष्टांतों आदि के द्वारा बच्चों में संवेदनशीलता जागृत करना, परिस्थितियों, चुनौतियों, समस्याओं से जूझने, संघर्ष करने एवं समस्याओं पर विजय पाने की कला सिखाना।
- शिक्षक पंचतंत्र, हितोपदेश आदि अनेक बच्चों के चरित्र निर्माण संबंधी पुस्तकें, अभिनय, नाटक, नाटिकाओं, कविताओं आदि का साप्ताहिक बाल-सभाओं में गायन, वाचन, मंचन आदि की प्रतियोगिता आदि मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों में इन गुणों का विकास किया जा सकता है।
- तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताओं आदि के द्वारा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों विषय रूप में देकर बच्चों द्वारा उन पर व्यक्त विचारों का आकलन एवं परिमार्जन कर बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए जा सकते हैं।
- कभी-कभी कक्षा की सफाई, शाला परिसर की सफाई, बगीचे के रख-रखाव आदि के कार्यों में श्रमदान कराकर उन्हें परिश्रम का सम्मान करना एवं परिश्रम से आनंद प्राप्त करना सिखाना चाहिए।
- बड़ी कक्षाओं में विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित

करना आदि कार्य बारी-बारी से ग्रुप बनवाकर करवाए जा सकते हैं।

- वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को स्कूल में बनावटी बैंक बनवाकर सब बच्चों को बैंकिंग सिखाई जा सकती है।
- किसी बीमार सहपाठी के छूटे हुए पाठ उसे समझाना, उसके गृह-कार्य में उसकी सहायता करना आदि सिखाया जा सकता है।
- शाला प्रागंण में कागज, कार्ड बोर्ड आदि से ट्रैफिक सिग्नल आदि बनाकर पैदल, चार पहिया वाहन (चार बच्चों का समूह), दुपहिया वाहन (दो बच्चों का समूह) आदि बनाकर यातायात के नियम व चिह्न समझाए जा सकते हैं।
- शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ शालीनता, सद्व्यवहार, साहस, शिष्टाचार आदि गुणों के लिए भी सम्मानित कर प्रोत्साहित करना चाहिए।
- प्रात:कालीन प्रार्थना सभा एक बड़ा अच्छा अवसर व समय होता है, बालकों के उद्बोधन का। ये सभाएं, इनमें सुबह-सुबह सुनी गई बातें बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन सभाओं में दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातें, माता-पिता एवं बड़ों का सम्मान करना, आचार-विचार, व्यवहार, खान-पान, रहन-सहन आदि सब बातों के बारे में बताया जा सकता है।

**प्रात:कालीन प्रार्थना सभा एक बड़ा अच्छा अवसर व समय होता है बालकों के उद्बोधन का। ये सभाएं, इनमें सुबह-सुबह सुनी गई बातें बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन सभाओं में दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातें, माता-पिता एवं बड़ों का सम्मान करना, आचार-विचार, व्यवहार, खान-पान, रहन-सहन आदि सब बातों के बारे में बताया जा सकता है।**

- योग, प्राणायाम एवं विविध तरह के व्यायाम द्वारा अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं।
- हम बच्चों को गुरुकुलों में नहीं ले जा सकते किन्तु उन्हें गुरूकुल जैसा सात्विक, संवेदनशील, संस्कारयुक्त वातावरण तो प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं।

''निज स्वाभिमान का
ज्ञान कराये शिक्षा;
पर की पीड़ा का
बोध कराये शिक्षा।
बलिदान, प्रेम और
ज्ञान सिखाये शिक्षा;
नित राष्ट्र प्रगति,
कल्याण सिखाये शिक्षा।''
कर्त्तव्य-बोध का
ज्ञान कराये शिक्षा;
सपनों से भी पहचान कराये शिक्षा।
पाशविक वृत्ति से दूर हटाकर सबको,
मानवता का पथ सदा दिखाये शिक्षा।

अत: वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्यपरकता की आज महती आवश्यकता है। ■

# सामाजिक न्याय संदेश पढ़ें और पढ़ायें

**डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान से प्रकाशित सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का पाठक सदस्य बनने हेतु सदस्यता शुल्क मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर भेजते समय कृपया अपना नाम, पूरा पता (पिन कोड सहित अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में स्पष्ट लिखें, जिससे कि पत्रिका सुगमता से प्राप्त हो सके। अपने पते के साथ अपना *फोन/मोबाइल नं., ई.मेल* भी दर्ज करना न भूलें। पत्रिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में हमें सूचित करें।**

**-सम्पादक**

# महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विचार

■ अनीता रानी

महात्मा ज्योतिबा फुले को आज के दौर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। इस दरम्यान उनके जीवन संघर्ष और कार्यों पर कई प्रकार की चर्चाएं, बहस तथा समीक्षाएं सम्पन्न हुई हैं। जो साहित्य इन्होंने स्वयं लिखे हैं तथा जो उनके बारे में दूसरों ने लिखे है वह दोनों बहुत अल्पप्रमाण में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो साहित्य प्रकाशित किया है, वही उनका मूल साहित्य उपलब्ध है, जिससे हम महात्मा फुले के समग्र वाङ्मय के नाम से जानते हैं। कुछ साहित्य उनकी लेखन कृतियों के सन्दर्भ में है। जैसे गुलामगिरी (Slavery), (Selection) इत्यादि।

जब फुले साहब की जन्म शताब्दी मनाई गई, तब भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक गौरव ग्रंथ छापा था उसमें कई विद्वानों ने उनके जीवन और कार्यों के सन्दर्भ में अपने लेखों के माध्यम से योगदान किया था तथा वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस प्रकार से उल्लेखित साहित्यों का अध्ययन करने से हमें कुछ ठोस तथ्यों की जानकारी मिलती है। उस पर चिन्तन करने से मैंने जो मुद्दे नोट किए है उनकी चर्चा मैं यहां करना चाहती हूं।

1. फुले साहब की सबसे महत्वपूर्ण लेखन कृति गुलामगिरी ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की शुरूआत में उन्होंने महान् दार्शनिक होमर के विचार को प्रस्तुत किया है। वह इस प्रकार से है, ''जिस दिन मनुष्य गुलाम हो जाता है तो अपने आधे सद्‌गुण उसी दिन खो बैठता है''

किताब के प्रारम्भ में वो इसी पंक्ति से शुरूआत करते हैं कि ''यह किसी शंका से परे होकर सिद्ध हो चुका है कि आर्य ब्राह्मण इस देश में बाहर से आए हैं।''

हमें उनके साहित्य तथा आन्दोलनों से जानकारी प्राप्त होती है। इसे पक्ष कहें या उनकी इस उक्ति से यह संकेत मिलता है कि वह अपने विश्लेषणों से दो बातें स्पष्ट करना चाहते थे कि इस देश के जो मूल निवासी हैं उनकी गुलामी का मूल कारण उनका आर्य ब्राह्मणों के साथ संघर्ष के इतिहास में छुपा है। इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि उन्होंने शूद्र अतिशूद्र आदि के बारे में बताया है साथ ही साथ यह भी कहा है कि इस देश के दुश्मन आर्य ब्राह्मण हैं जो बाहर से आए हैं, जिसके उनके आन्दोलन की बुनियादी पार्श्वभूमि स्पष्ट होती है। यह हम सब जानते हैं कि कोई भी आन्दोलन जब तक आन्दोलन का स्वरूप हासिल नहीं करता, जब तक आन्दोलन चलाने वाले अग्रणियों को दोस्त की पहचान नहीं होगी।

इस सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि फुले साहब का आन्दोलन इसलिए सफल रहा, क्योंकि उन्होंने दोस्त और दुश्मन की पहचान स्पष्ट रूप से कराने में कोई संकोच नहीं रखा। यह एक अत्यन्त मूल्यवान शिक्षा और राजनीतिक भूमि का पक्ष दोनों ही एक दूसरे के सटीक है।

समाज और संस्कृति का सरोकार धर्म के साथ जुड़ा होता है। यदि कोई समाज पतित हो चुका है अर्थात् अनैतिकता के गर्त में फंसा हुआ है या कहिए कि उसका पतन हो चुका है तो उसका मूल कारण उसके धर्म में स्थिर होता है। इसलिए फुले साहब के समय में समाज में जो नीति भ्रष्टता थी, उसका कारण उन्होंने ब्राह्मणी धर्म की व्यवस्था में सुनिश्चित किया और उसका बहिष्कार किया। उसका जड़मूल से नाश करने हेतु उन्होंने 'सार्वजनिक सत्य धर्म' की स्थापना की एवं सार्वजनिक 'सार्वजनिक सत्य धर्म' पुस्तक लिखी उसके प्रचार एवं प्रसार से ही महाराष्ट्र के लोग ब्राह्मणवाद के चुंगल से बड़ी मात्रा में मुक्त हो पाए। शायद इसी कारण हम देखते हैं कि महाराष्ट्र मे बस एक 'मनोहर पंत जोशी' को छोड़कर वह भी कुछ अल्पसमय के लिए कोई दूसरा ब्राह्मण अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना। जो साहित्य महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया, वह अधिकतर शरद पवार के मुख्यमंत्री काल में हुआ है क्योंकि शरद पवार शायद स्वयं शूद्र समाज का व्यक्ति होने के अहसास से परिचित हैं।

फुले साहब के आर्थिक विचारों के सन्दर्भ में अगर देखा जाए तो 'किसान का कोड़ा' पुस्तक में तत्कालीन किसानों वह निश्चित रूप से समाजवादी दृष्टिकोण है तथा इसमें बताया गया है कि सरकार को इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए इसमें ऐसे संकेत प्राप्त हैं।

अर्थोजन के सन्दर्भ में उनका स्पष्ट मत था कि बिना शिक्षा के देश की आर्थिक स्थिति नहीं बदल सकती है और

न ही सुधर सकती है। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए मैं उनकी बहुचर्चित तथा बहुप्रचारित काव्य को यहां उदित करना चाहूंगी।

''विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गति के बिना धन गया।''

अर्थात् इतना अनर्थ एक अविद्या ने किया है। उपरोक्त काव्य अब एक क्रान्ति का नारा बन गया है यह अब देशभर में फैल चुका है किसी व्यक्ति की प्रतिभा का प्रभाव अपने जीवनकाल से भी आगे सौ डेढ़ सौ साल से अधिक समय के लिए चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा तब तक जब तक उसके निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह बात अत्यन्त विलक्षण है कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति जब उनसे प्रेरणा लेकर एक महान क्रान्तिकारी विद्वान तथा अपने समय के महानतम फुले एक तेजस्वी प्रतिभा के धनी थे। उनकी स्मृतियों को दिलो-दिमाग में संजोते हुए जो आन्दोलन फुले अम्बेडकर के संयुक्त नाम से इस देश में चल रहा है उसमें अपना योगदान देने की चाहत और तमन्ना के साथ हम उन्हें और उनकी स्मृतियों को शत्-शत् नमन करते हैं।

महात्मा फुले तथा बाबासाहेब ने समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने समाज के भिन्न-भिन्न पक्षों में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया है। उन्होंने शिक्षा को समाज के कल्याण का मार्ग बताया था तथा जिसमें महिला शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन दोनों ने महिला शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रयास किए तथा दलित महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने दलित महिलाओं को स्वयं शिक्षा प्रदान की तथा समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए।

महात्मा फुले ने समाज में दलित महिलाओं के उत्थान की जो मशाल जलाई उसे आगे भी अनेक विचारकों ने प्रज्ज्वलित किया है जिनमें बाबासाहेब का नाम प्रसिद्ध है। महिला शिक्षा को संविधान में सबके लिए अनिवार्य किया जिसके कारण दलित महिलाओं की शिक्षा में उन्नति हुई है।

समाज में महिला उत्थान के अनेक प्रयास होते रहे हैं तथा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धित अनेक आन्दोलन तथा क्रांति भी हुई है परन्तु समाज में महिलाओं की स्थिति का सत्य कुछ और है जो कि समाज में एक रोग की तरह है। भारत की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं आज 20वीं सदी में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शोषण सहन कर रही हैं। महिला उत्थान के लिए केवल प्रयास ही काफी नहीं हैं बल्कि उनके लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। वर्तमान में देखा जाए तो आज भी महिलाओं का भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में शोषण हो रहा है तथा यह शोषण तब दुगना हो जाता है जब महिला दलित हो विशेषकर गांवों में यह अत्याचार आज भी अपने पैर पसारे हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दलित महिलाओं को डायन, नाता प्रथा, दहेज प्रथा, अन्तर्जातीय विवाह आदि के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके कारण वह समाज में दयनीय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रही है।

**अर्थारजन के सन्दर्भ में उनका स्पष्ट मत था कि बिना शिक्षा के देश की आर्थिक स्थिति नहीं बदल सकती है और न ही सुधर सकती है इसे और भी स्पष्ट करने के लिए मैं उनकी बहुचर्चित तथा बहुप्रचारित काव्य को यहां उदित करना चाहूंगी।**

वैश्वीकरण के इस युग में जहां देश इतनी उन्नति कर रहा है वहीं दूसरी ओर एक कटु सत्य यह है कि स्वतन्त्रता, समानता आदि की दुहाई देने वाले हमारे भारत देश में आज भी पुरुष और महिलाओं के मध्य असमानता की गहरी खाई है। असमानता की यह गहरी खाई महिला और पुरुषों के मध्य की नही वरन् अमीर-गरीब तथा उच्च जाति तथा निम्न जाति के मध्य आज भी विद्यमान है। मानव अधिकारों के अनुसार देश में सबको समान अधिकार प्राप्त हैं परन्तु महिलाओं के सन्दर्भ में यह धारणा पूर्ण रुप से सत्य नहीं है। देश में प्रत्येक क्षेत्र में इतनी असमानता के पश्चात् इसे दूर करने हेतु सरकार अनेक प्रयास कर रही है जिसके उपलक्ष्य में अनेक कानून तथा योजनाएं लागू की हैं। समाज के जिस अन्धेरे कोने में आज भी महिलाएं शोषित हो रही हैं उनके संरक्षण हेतु अनेक प्रावधान लागू किए हैं। भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक कानून तथा योजनाएं लिखित रुप में जिनके द्वारा आज महिला सशक्तिकरण सम्भव हो पा रहा है। शनैः-शनैः ही सही महिलाएं आगे आ रही है तथा सशक्त हो रही है। ■

**संदर्भ**


1. मेश्राम एल. जी. (विमलकीर्ति) : 2002 : महात्मा फुले रचनावली : राधा कृष्ण : दिल्ली
2. खापर्डे, डी. के. प्रनेता – राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले (मूल निवासी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
3. मानव अधिकार आयोग भारत, संचायिका, भाग 1, दिसम्बर 2012
4. मानव अधिकार आयोग भारत, नई दिशाएं, वार्षिक अंक 9, 2012
5. महात्मा फुले प्रतिभा संशोधन अकादमी, निर्मिक, वाल्यूम 2, जनवरी 2013

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORNIDARY
भाग 1-खण्ड 1
PART–Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2015/ज्येष्ठ 11, 1935
No. 145] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2015/JYAISHTHA 11, 1937

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
## ( सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय;
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2015

**सं. एफ-17020/6/2015-एससीडी-VI.**-डॉ. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ को समुचित रूप से मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार एक राष्ट्रीय समिति का एतद्द्वारा गठन किया गया है:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | माननीय प्रधानमंत्री | अध्यक्ष |
| (ii) | गृह मंत्री | सदस्य |
| (iii) | वित्त मंत्री | सदस्य |
| (iv) | विदेश मंत्री | सदस्य |
| (v) | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री | सदस्य |
| (vi) | शहरी विकास मंत्री | सदस्य |
| (vii) | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री | सदस्य |
| (viii) | विधि और न्याय मंत्री | सदस्य |
| (ix) | रेल मंत्री | सदस्य |
| (x) | मानव संसाधन विकास मंत्री | सदस्य |
| (xi) | जनजातीय कार्य मंत्री | सदस्य |
| (xii) | संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | सदस्य |
| (xiii) | श्री सरदार चरणजीत सिंह अटवाल, अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| (xiv) | डॉ. नरेन्द्र जाधव | सदस्य |
| (xv) | डॉ. सिद्धालिंगाह | सदस्य |
| (xvi) | श्री मिलिन्द काम्बले | सदस्य |
| (xvii) | श्री भीखू जी इदाते | सदस्य |
| (xviii) | श्री राहुल बोधि | सदस्य |
| (xix) | सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग | सदस्य-सचिव |

2. समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से अन्य सदस्यों का सह-वरण कर सकती है।
3. राष्ट्रीय समिति का अधिदेश डॉ. अम्बेडकर के 125वीं वर्षगांठ के समारोह हेतु मार्ग-दर्शन, सलाह तथा निर्देश प्रदान करना होगा।
4. राष्ट्रीय समिति का कार्यकाल स्मरणोत्सव अवधि के साथ-साथ समाप्त हो जाएगा।

***बी एल मीना,*** *संयुक्त सचिव*

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**
**(Department of Social Justice and Empowerment)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2015

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Hon'ble Prime Minister | Chairperson |
| (ii) | Minister of Home Affairs | Member |
| (iii) | Minister of Finance | Member |
| (iv) | Minister of External Affairs | Member |
| (v) | Minister of Social Justice and Empowerment | Member |
| (vi) | Minister of Urban Development | Member |
| (vii) | Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution | Member |
| (viii) | Minister of Law and Justice | Member |
| (ix) | Minister of Railway | Member |
| (x) | Minister of Human Resources and Development | Member |
| (xi) | Minister of Tribal Affairs | Member |
| (xii) | Minister of State for Culture (I/C) | Member |
| (xiii) | Sardar Charnjit singh Atwal, Speaker Punjab Vidhan Sabha | Member |
| (xiv) | Dr. Narendra Jadhav | Member |
| (xv) | Dr. Siddalingiah | Member |
| (xvi) | Shri Milind Kamble | Member |
| (xvii) | Shri Bhiku Ramji Idate | Member |
| (xviii) | Shri Rahul Bodhi | Member |
| (xix) | Secretary, D/o Social Justice and Empowerment | Member, Secretary |

2. The Committee can co-opt other members withthe approval of the Chairperson.
3. The mandate of the National Committee will be to provide guidance, advice and direction to the celebration of the 125th Birth Anniversary of Dr. Ambedkar.
4. The tenure of the National Committee will be co-terminus with Commemoration period.

B.L. Meena, Jt. Secy.

जीवन चरित - चौदहवीं किस्त

# डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर - जीवन चरित

**■ धनंजय कीर**

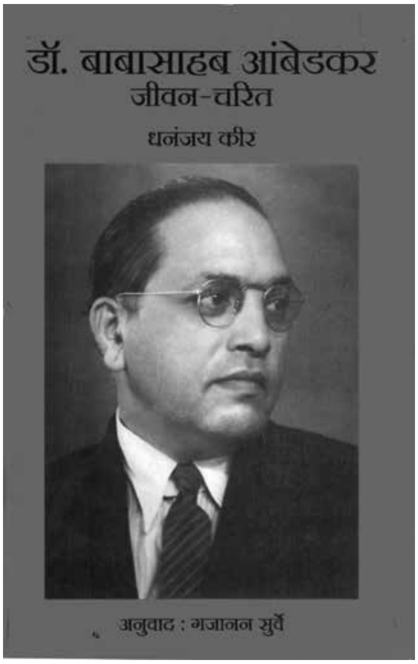


स्पृश्य हिन्दू अपनी गर्दन पर का राजनीतिक जुआ हटा देने का भरसक प्रयास कर रहे थे। अम्बेडकर के सम्मुख अस्पृश्य वर्ग को मनुष्य के अधिकार दिला कर उन्हें मनुष्य का दर्जा प्राप्त कराने का महान कार्य था। इस प्रकार का स्वर्ण मौका युगों-युगों में एक बार ही आता है। गोलमेज परिषद् में वह मौका अनायास ही प्राप्त हो गया था। अम्बेडकर ने उसे अचूकता से भुनाया। अम्बेडकर जैसा अस्पृश्य नेता अगर उस समय न होता तो गोलमेज परिषद् में दलितों की शिकायतों की गीता इतनी निर्भीकता और कर्तव्यनिष्ठा से कौन कह पता? भारत के राजनीतिक मानचित्र में उन्हें प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कौन आगे बढ़ता? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए झगड़ने वाले स्पृश्य हिन्दुओं को भारतीय धन, बल, शूरता का समर्थन था; लेकिन जिनके मत, विचार, हृदय, भावना, आकांक्षा युगों-युगों से इस देश में रौंदे जा रहे थे; ऐसे मूक, भूमिहीन और वस्त्रहीन, बलहीन और धनहीन दलितों की समस्या अम्बेडकर को हल करनी थी। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्य की अपेक्षा उनका कार्य अधिक भव्य था। उनका अंगीकृत कार्य अधिक उदात्त था। यह नि:संदेह है कि उनकी उद्यमशीलता भी अपरिमित थी। अम्बेडकर के कार्य और सफलता में भावी भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा, कामयाबी, न्यायप्रियता अंतर्भूत थी। अम्बेडकर की सफलता में ही सच्चा संगठन और संवर्धन था।

अस्पृश्य नेता द्वारा मानवी अधिकारों के बारे में जागृत हुए अपने अस्पृश्य वर्ग की, खुद की नेतागिरी करना और हम ही अपना उद्धार करेंगे ऐसा कहना, यह बात केवल अत्याचार, अहंकार और उन्मत्तता की द्योतक थी, यह कहना 'वदतो व्याघात' है; क्योंकि छल करने वाले कभी रक्षक नहीं बन सकते। यह एक महान घटना है कि अस्पृश्यों का बचाव करने वाला रक्षक-संरक्षक उनमें से ही निर्माण होकर मनुष्य की लड़ाई के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर धीरज के साथ लड़ने के लिए उन्हें स्फूर्ति दे रहा था। वह उनकी मुक्ति के अरुणोदय का द्योतक ही सिद्ध हुआ। इस प्रकार मूक, पद दलित समाज का नेता राजनीतिक समस्याओं के बारे में इतना प्रभुत्व दिखाये और संविधान शास्त्र पर इतना प्रभावी भाषण करें, यह अत्यंत महत्व की बात थी। नवयुग का सूत्रपात ही थी। इसलिए अम्बेडकर के महान प्रयास अस्पृश्य वर्ग के हित के लिए तो थे ही। लेकिन समस्त हिन्दू समाज के हित की दृष्टि से भी वे उपकारी हो, इतने महत्वपूर्ण थे। जिनका समता, बंधुता और स्वतंत्रता तत्वों पर विश्वास था, उनका अम्बेडकर की मांगों को समर्थन देकर अस्पृश्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटें और संयुक्त मतदाता संघ देना पवित्र कार्य था, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उनकी मांगों का समर्थन करने की अपेक्षा उनका विरोध किया। इतना ही नहीं, जिनकी मांगें अन्याय और कुटिल बुद्धि की थी, उन मुसलमानों की मांगों के सामने उन्होंने अपनी गर्दन झुकायी।

संक्षेप में कहा जाए तो अम्बेडकर की मन:स्थिति उस समय दुविधा बन गयी थी। उनका मन ब्रिटिश सरकार और गांधी दोनों के बीच झोंके खा रहा था। वे ब्रिटिशों का विरोध कर गांधी जी का पक्ष लेते तो ब्रिटिशों की ओर से उनके समाज का कुछ भी लाभ नहीं हो पाता। और गांधी जी भाषण करके व्यर्थ आशीष देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाते। ब्रिटिशों के पक्ष में रहकर अपने कार्य और अपनी मांगों को स्वीकृति प्रदान करना, यही मार्ग अम्बेडकर के सामने खुला था। दूसरा मार्ग यह था कि गांधी जी के पक्ष में रहकर अस्पृश्यों के लिए संयुक्त मतदाता संघ और आरक्षित सीटें प्राप्त करना। लेकिन गांधी जी तो पूरी तरह से उस मांग के खिलाफ थे। गांधी जी ने अगर थोड़ी दूरदृष्टि दिखाई होती, तो यह प्रसंग टल सकता था। अल्पसंख्यक समिति के सामने मुस्लिम, ईसाई, अस्पृश्य, एंग्लोइंडियन, यूरोपियन आदि ने उन्हें एक निवेदन प्रस्तुत किया। उसमें कहा गया था कि किसी भी

मनुष्य के नौकरी, अधिकारपद, नागरिक अधिकार, धंधा अथवा व्यापार करने के अधिकार में उनका जन्म, कुल, धर्म, जाति या पंथ आदि को आड़े नहीं आना चाहिए। पंजाब लैंड एलिनिएशन ऐक्ट का लाभ पंजाब के अस्पृश्यों को प्राप्त हो। और राज्यपाल की कार्यकारिणी समिति ने अगर अस्पृश्यों की शिकायतें सुनने में कसूर या पक्षपात किया तो राज्यपाल या महाराज्यपाल के नाम आवदेन पत्र अथवा न्याय की मांग करने के लिए उन्हें इजाजत हो।

इसके अतिरिक्त अन्य एक पूरक निवेदन अम्बेडकर और श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया कि अस्पृश्य वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अस्पृश्य वर्ग को सर्व प्रांतीय केन्द्रीय विधान मंडल में विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ सीटें प्राप्त हों। उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग की परन्तु यह भी कहा कि अगर संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था रखनी हों, तो बीस साल बाद अस्पृश्य मतदाताओं का सार्वमत लेकर निर्णय लिया जाए। अस्पृश्य वर्ग को अवर्ण हिन्दू, प्रोटस्टंट हिन्दू अथवा नॉनकनफार्मिस्ट हिन्दू कहा जाए, ऐसी भी उन्होंने विनती की।[11]

अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल दिया जाए, ऐसी अल्पसंख्यकों के करार में दर्ज हुई बात देखकर गांधी जी का गुस्सा बेकाबू हो गया और वे अल्पसंख्यक समिति के सामने गरज उठे, 'कांग्रेस को हिन्दू, मुसलमान और सिख में जो निर्णय लिया जायेगा वह स्वीकार होगा। लेकिन अन्य अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व या मतदाता संघ देने को कांग्रेस का विरोध है, यह मैं फिर से कहता हूं। अस्पृश्यों की ओर से प्रस्तुत की हुई मांगें, यह बहुत बड़ी बुरी बात है और वह स्थायी स्वरूप की रुकावट होगी। और अगर अस्पृश्यों का सार्वमत लिया जाए, तो मुझे ही सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होंगे। अम्बेडकर के कर्तव्य के बारे में मुझे आदर है, परंतु उन्हें जीवन में कटु अनुभव महसूस होने के कारण उनका मन कलुषित होता है।'

'मैं अत्यंत दायित्व के साथ कहता हूं', अम्बेडकर पर लगातार आघात करते हुए गांधी जी ने कहा, 'अम्बेडकर का यह कहना उचित नहीं है कि उनको समस्त भारतीय अस्पृश्यों की ओर से बोलने का अधिकार है। उसकी वजह से हिन्दू समाज में जो गुट बन जायेंगे, उन्हें देखते हुए मुझे बिलकुल समाधान नहीं होगा। इसकी जगह अस्पृश्य लोग मुसलमान या ईसाई होंगे, तो भी मैं परवाह नहीं करूंगा; मैं वह सह लूंगा। लेकिन प्रत्येक देहात में हिन्दुओं के दो गुट बन जायेंगे, उन्हें देखते हुए मुझे बिलकुल समाधान नहीं होगा। इसकी जगह अस्पृश्य लोग मुसलमान या ईसाई होंगे, तो भी मैं परवाह नहीं करूंगा; मैं वह सह लूंगा। लेकिन प्रत्येक देहात में हिन्दुओं के दो गुट बन गये, तो हिन्दू समाज के नसीब में जो कुछ आयेगा, वह मुझसे नहीं देखा जायेगा। जो अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के बारे में बोलते हैं, उन्हें भारत की पहचान नहीं है। और भारतीय समाज संरचना का भी उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर कहता हूं कि इस बात का विरोध करने का समय मुझ अकेले पर आ गया, तो मैं अपने प्राण की बाजी लगाकर उसका विरोध करूंगा।'

तंग हुए गांधी जी को पुनश्च प्रत्युत्तर देना अम्बेडकर ने जान-बूझकर टाल दिया। गांधी जी को अम्बेडकर के शब्द चुभ गये थे। इसलिए वे अपना अतुलनीय दर्जा भूल गये और अम्बेडकर के अस्पृश्य समाज पर के वजन और अपने वजन की तुलना करने का मोह नहीं संभाल सके। वे नीचे गिर गए। भारत से आए हुए संदेशों, सभाओं, परिषदों में गांधी जी का हुआ विरोध देखकर अन्य नेताओं के होश ही उड़ गए होते। लेकिन गांधी जी की जिद कम नहीं हुई। आरक्षित सीटें और संयुक्त निर्वाचक मंडल देकर यह मामला गांधी जी से मिटा सकते थे। परन्तु अम्बेडकर के साथ समझौता करने की उनकी इच्छा नहीं थी। मगर मुसलमानों के बारे में उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल और अलग प्रान्त के ऊंट का मुंह संविधान के खेमे में घुसेड़ दिया। अम्बेडकर के साथ समझौता किया होता, तो अम्बेडकर के बल और ताप का उपयोग मुसलमानों की जातीय मांगों को हटाने के लिए हो गया होता। गांधी जी के भाषणों में से और

**इसके अतिरिक्त अन्य एक पूरक निवेदन अम्बेडकर और श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया कि अस्पृश्य वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अस्पृश्य वर्ग को सर्व प्रांतीय केन्द्रीय विधान मंडल में विशेष प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ सीटें प्राप्त हों। उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग की परन्तु यह भी कहा कि अगर संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था रखनी हों, तो बीस साल बाद अस्पृश्य मतदाताओं का सार्वमत लेकर निर्णय लिया जाए। अस्पृश्य वर्ग को अवर्ण हिन्दू, प्रोटस्टंट हिन्दू अथवा नॉनकनफार्मिस्ट हिन्दू कहा जाए, ऐसी भी उन्होंने विनती की।**

एक बात बाहर निकली थी कि अस्पृश्य मुसलमान या ईसाई हुए, तो उसकी उन्हें परवाह नहीं, यह उन्होंने कहा था। यह सच है कि गांधी जी ने इस तरह के धर्मांतरण के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकाला था। इसीलिए कांग्रेस के बाहर के हिन्दू नेता गांधी जी पर आरोप लगाते थे कि गांधी जी को पैंगबर, बुद्ध और ईसा का पूर्ण अवतार बनने की आकांक्षा है। सचमुच, गांधी जी ने हिन्दुओं के ईसाईकरण के खिलाफ या इस्लामीकरण के खिलाफ ज्वलंत निषेध किया होता तो गांधी जी का मुसलमान ओर ईसाइयों के साथ संघर्ष हो गया होता और गांधी जी के पूर्णावतार पर का सिंदूर हवा में उड़ गया होता।

अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में एक मत नहीं बन रहा है, यह देखकर ब्रिटिश मुख्य प्रधान मैकडोनाल्ड ने ऐसी सूचना की कि अल्पसंख्यकों की समस्या का फैसला करने के लिए समिति के सदस्य इस आशय का लिखित निवेदन प्रस्तुत करें कि वे एकमत से मुख्य प्रधान को पंच मानकर उनका निर्णय स्वीकार करेंगे। मुख्य प्रधान फैसला करें, ऐसी जो लिखित मांग की गयी थी, उस पर अन्य सदस्यों की भांति गांधी जी ने भी हस्ताक्षर किये। अनन्तर 1 दिसम्बर को मुख्य प्रधान ने परिषद् बरखास्त की। इस लिखित मांग से पहले सर मिर्जा इस्माईल के निवास स्थान पर गांधी–अम्बेडकर भेंट हुई थी। समझौते की भाषा निकाली थी। गांधी जी ने एक नयी योजना प्रस्तुत की। उनकी इस नयी योजना के अनुसार संयुक्त मतदान पद्धति के अनुसार आम चुनाव में खड़े हुए अस्पृश्य उम्मीदवार अगर चुने नहीं गए तो वे न्यायालय में फरियाद दाखिल करें और प्रत्येक न्यायालय में यह सिद्ध कर दिखाए कि, 'मेरे और मेरे खिलाफ खड़े हुए स्पृश्य वर्गीय उम्मीदवार के हर दृष्टि से समान योग्यता के होने पर भी मैं केवल अस्पृश्य होने के कारण नहीं चुना गया और वह चुना गया। न्यायाधीश यह बात स्वीकार कर अगर वैसा निर्णय दे तो स्पृश्य वर्गीय हिन्दू प्रतिनिधि का चुनाव रद्द माना जाए और उसकी जगह अस्पृश्य उम्मीदवार का चुनाव नियमसम्मत माना जाए। हास्यास्पद बातें इज्जत से बोलने की कला गांधी जी को अच्छी तरह से साध्य थी। पर अम्बेडकर ने यह लोक विलक्षण और अव्यवहारी सूचना केवल हंसी में उड़ा दी। गांधी जी के चेहरे पर उनकी इस ठिठोली का बिलकुल ही असर नहीं दिखाई पड़ा। वे गंभीरता के साथ उस पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन अम्बेडकर की बात गांधी जी के ध्यान में आते ही मुलाकात विफल हो गयी।

अम्बेडकर जब विलायत में थे, तभी सरकार ने उनकी नियुक्ति जे.पी. के स्थान पर की। उस संबंध में कांग्रेस के अस्पृश्य नेता श्री काजरोलकर ने उनका अभिनंदन किया। अम्बेडकर अमरीका निकले। उन्होंने शिवतरकर को सूचित किया कि हम 5 दिसम्बर को अमरीका जाकर एक महीने के बाद बम्बई वापस लौटेंगे। ग्रंथ से भरे हुए बत्तीस संदूक श्रीनिवासन के साथ हम भेज रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहलाया। अपने इरादे के अनुसार न्यूयॉर्क में स्थित अपने पुराने प्राध्यापक दोस्तों से मिलने के लिए वे वहां पहुंचे। शरीर–स्वास्थ्य और प्रचार, यात्रा का दोहरा उद्देश्य था; क्योंकि ध्येयनिष्ठ व्यक्ति को ध्येय के अतिरिक्त दूसरी कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं लगती।

गांधी जी 28 दिसम्बर को बम्बई वापस लौटे। उनको आदर के साथ प्रणाम करने के लिए भारत के कोने–कोने से अस्पृश्य वर्ग के लोग आने वाले हैं, ऐसी खबर 'फ्री प्रेस जर्नल' में छपी थी। गोलमेज परिषद् में अस्पृश्यवर्ग की न्यायसंगत मांगों का गांधी जी द्वारा किया गया विरोध बुद्धि को स्वीकृत न होने वाला, हठी, गूढ़, हास्यास्पद सिद्ध होने जितना असहिष्णु वृत्ति का द्योतक होने के कारण अस्पृश्य वर्गीय समाज सेवा समिति के सचिव सीतारामपंत शिवतरकर ने बम्बई प्रदेश कांग्रेस के सचिव स.का. पाटील को दी। पाटील ने उत्तर दिया कि गांधी जी के स्वागत में उन पर जो भक्ति, निष्ठा और प्रेम है, उसे दिखाने के अतिरिक्त स्वागत करने वालों का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है।

लेकिन यह खलबली का वातावरण अधिकाधिक गंदा हो गया। 27 दिसम्बर की पहली रात में लगभग 3000 अस्पृश्य स्त्री–पुरुष बंदरगाह पर गांधी जी के मार्ग पर डेरा डाल कर बैठ गये। रात भर कड़ी ठंडी थी। 28 दिसम्बर की सुबह गांधी जी के बंदरगाह पर उतरते ही काले झंडे दिखाए गए। दोनों दल के लोगों ने एक–दूसरे पर लाठियां, ईंटों, सोडा वॉटर की बोतलों का लगातार हमला किया। स्वागत और धिक्कार का एक साथ हो–हल्ला हो गया। तत्ववादी और तत्वानुयायी, तत्वविरोधी और तत्वनिंदक की थी वह खानाजंगी! अहिंसा के प्रेषित गांधी जी का यह देवदुर्लभ स्वागत स्वदेश में इस तरह हुआ। सचमुच यह बहुत बड़ी अशोभनीय घटना हुई। लेकिन अम्बेडकर को काले निशानों का नजराना कांग्रेस वालों ने अहमदाबाद में पेश किया ही था कि नहीं? कांग्रेस–जनों ने साधन शुचिता की नारेबाजी मुख से चलाते हुए अम्बेडकर के खिलाफ द्वेष की आग फैला दी थी। ब्रिटिशों का पिट्ठू, आस्तीन का सांप, देशद्रोही, भीमासूर, चार्वाक इस तरह अम्बेडकर की अवहेलना सभाओं और समाचारपत्रों में से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और उनके पिट्ठुओं ने की थी।

### संदर्भ


1. जनता, 17 अगस्त 1931
2. Navajivan Publishing House, the Diary of Mahadeo Desai, Vol. I, p. 52
3. जनता, 14 सितम्बर, 1931
4. Proceedings of Federal Structure Committee & Minorities Committee, p. 327
5. Proceeding of Federal Structure Committee & Minorities Committee p. 534
6. The Times of India, 4 November 1931
7. Bolton, Glorney, the Tragedy of Gandhi, pp. 266-67
8. The Illustrated Weekly of India, 14 June 1936

9. Thompson, Edward, Enlist India for Freedom, p. 75
10. Ambedkar Dr. B.R., What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables p. 55
11. Proceedings of Federal Structure Committee & Minorties Committee, pp. 563-64.


## अध्याय 11
## पुणे करार

अम्बेडकर 4 जनवरी 1932 को अमरीका से लंदन वापस लौटे। वहां से वे भारत लौटने के लिए निकले। वे मार्सेलिस में 15 जनवरी को जहाज में चढ़े। उस जहाज से ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त की हुई मताधिकार विचार समिति के (फैनाइस कमिटी) सदस्य और मुसमलान नेता शौकत अली यात्रा कर रहे थे। अम्बेडकर के साथ हमेशा की भांति खरीदे हुए नये ग्रंथों के चौबीस संदूक भी थे।

अम्बेडकर का बम्बई बंदरगाह पर 29 जनवरी को सुबह छह बजे आगमन हुआ। बड़ी सुबह से उनके भक्त, चहेते और अनुयायी उनके आगमन का उत्सुकता से इन्तजार कर रहे थे। बाबासाहेब को देखते ही उन्होंने गगनभेदी जयघोष से उनका स्वागत किया। समता सैनिक दल ने अपने एकमेव नेता अभिवादन किया। पी. बालू और नारायणराव काजरोलकर गांधीवादी होकर भी अम्बेडकर के स्वागत के लिए उपस्थित थे। मुसलमानों ने शौकत अली का स्वागत किया। वहां इकट्ठे हुए अस्पृश्य और मुसलमान समुदाय को शौकत अली ने कहा, 'हर एक वर्ग और जाति के व्यक्ति को अपने कार्य के बारे में अटल श्रद्धा और हिम्मत दिखानी चाहिए। अस्पृश्य समाज के कल्याण की दृष्टि से अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद् में जो हिम्मत दिखाई, वह सचमुच प्रशंसनीय थी।' अम्बेडकर मेरे छोटे भाई है, यह कहने में भी उन्होंने चूक नहीं की।

अम्बेडकर और शौकत अली का जुलूस भायखला तक आ पहुंचा। अम्बेडकर का स्वागत भायखला के खिलाफत कार्यालय में हुआ। बाद में परेल तक उनका जलूस निकाला गया।

अम्बेडकर व्यक्ति बहिष्कृत भारत की आशा-आकांक्षा और शक्ति की प्रतिमा सिद्ध हुआ। सभी ओर यह विश्वास फैलने लगा कि अब उन्हें कोई दबा नहीं सकता। उन्होंने दलितों को नये युग की दहलीज पर ला खड़ा किया था। अस्पृश्यों की मृतप्राय देह में नया रक्त, नया उत्साह, नया ओज डालकर उन्होंने उन्हें सचेत किया। उस जानकारी, शक्ति और दृष्टि से किसी भी संकट का मुकाबला कर वे स्थैर्य धारण करेंगे, ऐसा अब लगने लगा।

उसी दिन 114 संस्थाओं की ओर से अम्बेडकर को मानपत्र दिया गया। अपने लोगों का अपने प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव देखकर वे गद्‌गद् हो गए। उनके मुंह से कुछ क्षण तक एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा, 'गोलमेज परिषद् के कार्य की सफलता का धनी मैं नहीं हूं। उस सफलता के धनी पूरी तरह से यहां इकट्ठा हुए मेरे असंख्य भाई-बहन ही हैं। नेता के प्रयत्न को उनके अनुयायियों से एकमत और एकता से समर्थन मिलना चाहिए। आप अपने हृदय में जागृति, स्वाभिमान, स्वतंत्रता का दीप प्रज्ज्वलित कर उसे उज्ज्वल करें। मैं मनुष्य हूं। मुझसे गलतियां हुई होंगी। पक्षपात हुआ होगा। उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने गांधी जी का विरोध किया, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने मुझे देशद्रोही कहा। मैं इस आरोप की बिलकुल परवाह नहीं करता। मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है कि, यह आरोप पूरी तरह से झूठा, द्वेषमूलक और निराधार है। मेरे भाइयों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के उच्च ध्येय का महात्मा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा जी जान से विरोध हो, यही बात विश्व की दृष्टि से चमत्कारी है। मेरा यह विश्वास है कि गोलमेज परिषद् के समस्त कार्य का अच्छी तरह से, शांतिपूर्वक विचार करने पर हिन्दुओं की भावी पीढ़ी यह फैसला करेगी कि मैंने राष्ट्र की सच्ची सेवा की है। आप मुझे देवपद पर मत चढ़ाइये। किसी एकाध व्यक्ति को देव पदपर चढ़ाकर अन्य लोगों द्वारा अंधा बनकर उसके पीछे दौड़ना, इसे मैं 'तो कमजोरी का लक्षण मानता हूं।' गांधी जी से हम तीन-चार बार लंदन में कैसे मिले, किस प्रकार गांधी जी ने आगाखान को कुरान की शपथ दिलाकर अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन न करने से अनुरोध किया, यह जानकारी उन्होंने सभा को दी।[1]

114 संस्थाओं द्वारा अर्पित किये मानपत्र में कहा गया है कि, 'समानता का दर्जा और बर्ताव के पर हमारे अधिकार को आपने पूरी तरह से साबित किया है। आपकी वीरता के अभाव में हमारे


**उसी दिन 114 संस्थाओं की ओर से अम्बेडकर को मानपत्र दिया गया। अपने लोगों का अपने प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव देखकर वे गद्‌गद् हो गए। उनके मुंह से कुछ क्षण तक एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा, 'गोलमेज परिषद् के कार्य की सफलता का धनी मैं नहीं हूं। उस सफलता के धनी पूरी तरह से यहां इकट्ठा हुए मेरे असंख्य भाई-बहन ही हैं। नेता के प्रयत्न को उनके अनुयायियों से एकमत और एकता से समर्थन मिलना चाहिए।**

अधिकार की ओर ध्यान नहीं दिया गया होता। हमारे हितों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपने मानवीय प्रयत्नों की पराकाष्ठा की है। विलायत में अपने किये हुए भगीरथ प्रयासों के कारण हम अपने देश में निकट भविष्य में अन्य समाजों की बराबरी में समान स्तर पर खड़े होंगे। हमारे वर्ग में जो मनोधारणा सारे देश में अपने अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रही है, वह आपके परिश्रम तथा मार्गदर्शन का फल है। ऐसा कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी।'

मतदान का अधिकार तय करने वाली समिति का नाम लोथियन समिति था। इस कामकाज में हिस्सा लेने के लिए अम्बेडकर के तुरन्त दिल्ली जाते समय सभी जगह अस्पृश्य जनता ने बड़े मनोभाव से उनका सत्कार किया। नासिक, इगतपुरी, देवलाली, मनमाड़, भुसावल और झांसी स्थानकों पर हुआ उनका सत्कार उत्फुल्ल और भव्य था।

लोथियन समिति के फरवरी में बिहार जाने पर वहां के अस्पृश्य वर्ग ने अम्बेडकर का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। अपने उद्धारकर्ता के दर्शन करने के लिए अब दलित समाज में सभी जगह उत्कंठा दिखाई पड़ने लगी। अम्बेडकर की विचारधारा को स्वीकार करने वाले अस्पृश्य नेताओं ने लोथियन समिति के सम्मुख गवाही देते समय संयुक्त मतदाता संघ का विरोध किया और उन्होंने स्वतंत्र मतदाता संघ की मांग की। क्योंकि अस्पृश्य प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसाधारण संघ से हो ऐसा तय किया गया तो सच्चे निष्ठावान अस्पृश्य प्रतिनिधि का चुनाव न होकर सवर्ण हिन्दुओं के पिट्ठू अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में जायेंगे, ऐसा धोखा अम्बेडकर को दिखाई दे रहा था। संयुक्त मतदाता संघ पद्धति में बहुसंख्य समाज में मन का बड़प्पन होता है, यह स्वीकृत किया गया था। लेकिन उनका ऐसा मत था कि तद्दर्शक सहानुभूति का वातावरण उस समय की परिस्थिति में नहीं दिख रहा था।

अब अम्बेडकर के मार्ग में और एक कठिनाई पैदा हुई। हिन्दू महासभा के नेता डॉ. बा.शि. मुंजे और अस्पृश्यों के नेता एम.सी. राजा के बीच फरवरी 1932 के तीसरे सप्ताह में एक करार हुआ। करार का मुख्य अंग यह था कि, अस्पृश्य वर्ग के लिए संयुक्त मतदाता संघ और आरक्षित सीटें हों। राजा ने डॉ. मुंजे के साथ दिये हुए करार की संक्षिप्त रिपोर्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार द्वारा दी। इसके पहले राजा का मत अलग था। राजा का प्रारम्भिक मत यह था कि गांधी जी ने अस्पृश्य जनता की बुरी हालत की पूरी जानकारी न होने से संयुक्त मतदाता संघ का झंझट उनके सामने खड़ा कर दिया था। उनका यह मत था कि राजा की इस नई कलाबाजी से पहले अलग मतदाता संघ एवं आरक्षित सीटे प्राप्त हों। केंद्रीय विधानसभा में राजा के अतिरिक्त दूसरा अस्पृश्य सदस्य नहीं था और उन्हें गोलमेज परिषद् के लिए आमंत्रण नहीं था। तब उन्होंने सरकार को सूचित किया था कि, अम्बेडकर अस्पृश्यों के एक अल्पसंख्यक गुट के नेता है। वे अस्पृश्य वर्ग के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। इस द्वेषभाव से कहो या गांधी जी द्वारा अपने को अस्पृश्यों का प्रतिनिधि बताने के दावे के कारण उन्होंने संयुक्त मतदाता संघ की अपनी मांग छोड़ दी। उन्होंने पंजाब में 'ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस' परिषद् बुलाकर अलग मतदाता संघ की मांग की और यह बात अम्बेडकर को सूचित की। उसके अनुसार गोलमेज परिषद् में अम्बेडकर ने अस्पृश्यों की मांग आम मांग हो, इसलिए अलग मतदाता संघ और आरक्षित सीटों की मांग की थी।

उपर्युक्त कारणों से अम्बेडकर ने अपने रुख में यह ऐसा फर्क किया था। सायमन कमीशन को किये गए निवेदन में उन्होंने संयुक्त मतदाता संघ और आरक्षित सीटों की मांग की थी और मुसलमानों के अलग मतदाता संघ की मांग का कठोर विरोध किया था। लेकिन गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटें रखने के लिए विरोध दर्शाया इसलिए, और राजा प्रभृति नेताओं के आग्रह से अम्बेडकर स्वतंत्र मतदाता संघ की ओर मुड़ गये थे।

मताधिकार विचार समिति की दिल्ली की बैठक में अस्पृश्य वर्ग का किसी भी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार अपराध है, ऐसी एक धारा अपराध संहिता में जोड़ी जाए, और मूलभूत नागरिक अधिकार के उपयोग के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, ऐसी मांग डॉ. अम्बेडकर ने की। उस मांग को उस समिति ने स्वीकृति दी।

28 फरवरी 1932 को मद्रास में अम्बेडकर का बड़े उत्साह के साथ स्वागत हुआ। अस्पृश्य, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मणेतर आदि समाज के लगभग 10,000 लोग उपस्थिति थे। अस्पृश्य, आदिद्रविड़, आदिआंध्र, केरलीय अस्पृश्य समाज, श्रमिक संघ ने सर्व सम्मति से उन्हें एक मानपत्र अर्पित किया। अलग मतदाता संघ की मांग से संयुक्त मतदाता संघ और आरक्षित सीटों की ओर राजा कैसे फिसल गये, यह उन्होंने सभा को स्पष्ट करके बताया। राजा को किसी भी प्रकार का करार कमिटी में अखिल भारतीय दलित कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने से पहले नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा। अम्बेडकर ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि, अस्पृश्य समाज राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। मधुर भुलावे से बलि न चढ़ें। जो उनके दु:ख को समझते हैं, उनके ही विचार हमेशा सुनने चाहिए। अस्पृश्यता का लांछन धो डालना चाहिए। अस्पृश्यों की स्थिति सुधारने के लिए महान प्रयास करने वाले गौतम बुद्ध और रामानुज जैसे महान पुरुषों की हिन्दू समाज ने कैसी बुरी हालत कर दी, इसका वे स्मरण रखें।

राजा-मुंजे करार की जानकारी होते ही बंगाल-असम के अस्पृश्य नेताओं ने उस करार का विरोध किया और अम्बेडकर की मांग का समर्थन किया। विधानमंडल के सदस्य और बंगाल नामशूद्र एसोसिएशन के अध्यक्ष

एम.बी. मलिक, अध्यक्ष संयुक्त प्रान्त आदि हिन्दू एसोसिएशन, अध्यक्ष एम. बी. मलिक, अध्यक्ष संयुक्त प्रान्त आदि हिन्दू एसोसिएशन, अध्यक्ष असम डिप्रेस्ड क्लास एंड सोसायटी, दिल्ली, इन सबने राजा-मुंजे करार का विरोध किया और अम्बेडकर की मांग को समर्थन दिया। अम्बेडकर जैसा पक्का, धीरोदात्त और हर प्रकार से लायक प्रतिनिधि हमें प्राप्त हुआ, ऐसी अभिमान की उत्कट भावना सब ने व्यक्त की। सावरकर-प्रणीत रत्नागिरि हिन्दू सभा ने अस्पृश्य समाज को अधिकार दिलाने का महान कार्य किए जाने पर अम्बेडकर का अभिनंदन किया। यह स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर के धैर्यशाली कर्तृत्व के बारे में भी सावरकर ने ही गुणग्राहकता दिखाई थी।

नासिक सत्याग्रह के परिणाम दूर तक हो रहे थे। इसी समय बम्बई सरकार ने सिमिंग्टन और झकेरिया मणियार इनकी एक समिति नासिक जिले के अस्पृश्य वर्ग की हालत की पूछताछ करने के लिए नियुक्त की। इस वृत्तान्त में उन्होंने कहा की, 'जिला बोर्ड के लगभग ग्यारह सौ कुओं पर अस्पृश्यों को पानी भरने की स्वंतत्रता नहीं थी।' अप्रैल में मंदिर-प्रवेश सत्याग्रह के नेता भाऊराव गायकवाड़ और रणखांबे को गिरफ्तार किया गया। वह खबर अम्बेडकर को 14 अप्रैल को बतायी गयी थी। अपने कार्यवाहक को लिखे हुए पत्र में अम्बेडकर ने कहा, 'मैं कार्य में व्यस्त होने से पूरी तरह त्रस्त हो गया हूं। समय अनुकूल है।' मताधिकार विचार समिति के सदस्य सर सी.वाय. चिन्तामणि, बखले और तांबे इन हिन्दू सदस्यों का अस्पृश्यों के स्वतंत्र मतदाता संघ की मांग का विरोध था। इसलिए उन सदस्यों और अम्बेडकर के बीच बोलचाल तक नहीं होती थी। उन्होंने उत्तर लिखा कि, 'इस प्रकार की तकलीफ से मैं एकदम गल सा गया हूं। एक ही व्यक्ति को एक ही समय इतने काम करना असंभव ही है। मंदिर-प्रवेश समस्या की

**नासिक सत्याग्रह के परिणाम दूर तक हो रहे थे। इसी समय बम्बई सरकार ने सिमिंग्टन और झकेरिया मणियार इनकी एक समिति नासिक जिले के अस्पृश्य वर्ग की हालत की पूछताछ करने के लिए नियुक्त की। इस वृत्तान्त में उन्होंने कहा की, 'जिला बोर्ड के लगभग ग्यारह सौ कुओं पर अस्पृश्यों को पानी भरने की स्वंतत्रता नहीं थी।' अप्रैल में मंदिर-प्रवेश सत्याग्रह के नेता भाऊराव गायकवाड़ और रणखांबे को गिरफ्तार किया गया। वह खबर अम्बेडकर को 14 अप्रैल को बतायी गयी थी। अपने कार्यवाहक को लिखे हुए पत्र में अम्बेडकर ने कहा, 'मैं कार्य में व्यस्त होने से पूरी तरह त्रस्त हो गया हूं। समय अनुकूल है।' मताधिकार विचार समिति के सदस्य सर सी.वाय. चिन्तामणि, बखले और तांबे इन हिन्दू सदस्यों का अस्पृश्यों के स्वतंत्र मतदाता संघ की मांग का विरोध था।**

अपेक्षा राजनीतिक अधिकार की समस्या अधिक महत्व की है। उस काम के लिए हम काया-वाचा-मन से प्रयत्नशील है। वह कार्य अधूरा छोड़ देना हितकारी या बुद्धिमानी नहीं होगा।

जातीय समस्या पर फैसला करने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलना जरूरी है। उस यात्रा के लिए कुछ धन इकट्ठा करें, ऐसी विनती उन्होंने एक पत्र द्वारा शिवतरकर से की। उस समय लंदन में रह रहे आगाखान से अम्बेडकर ने उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सलाह मांगी और फैसला देने का दिन कौन सा है, इसके बारे में कुछ अंदाजा हो तो बताने के लिए लिखा। लोथियन समिति के हिन्दू सदस्यों के बारे में उन्होंने पत्र द्वारा बुरा मत प्रकट किया। उन्होंने इसके बारे में खेद व्यक्त किया कि अपने समाज में अंतर्भूत हुए अस्पृश्य समाज को उन सदस्यों ने पैरों के नीचे रौंदने की स्वार्थी और आक्रामक वृत्ति दिखाई और बाहर के समाज के पांव पर सिर रखने की कायरता दिखाई। हिन्दू समाज के बारे में मेरे मन मैं आमतौर पर तिरस्कार बढ़ रहा है, इसलिए हिन्दू समाज से सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी उन्होंने इस पत्र में कहा। इसी समय वे अतिसार के विकार से परेशान हो गये थे।

यद्यपि निराशा और त्रस्तता की अधिछाया अम्बेडकर के मन पर छा गयी थी, फिर भी उन्हें बीच-बीच में आशा की किरणें भी दिखाई देती थीं। उस महीने में 'बंगाल नामशूद्र एसोसिएशन' ने कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में डॉ. कालिचरण मंडल की अध्यक्षता में एक परिषद् बुलाकर अम्बेडकर की मांगों का समर्थन दिया। परिषद् ने अम्बेडकर की अन्याय आलोचना करने वाले सभी समाचारपत्रों का विरोध किया। मतदाता संघ के बारे में कांग्रेस का रुख अव्यवहारी और सहानुभूति विहीन था, यह मत उसने व्यक्त किया।

लोथियन समिति का कामकाज 1 मई

1932 को समाप्त हुआ। लोथियन साहब को अम्बेडकर के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी थी। इसलिए शिमला में अम्बेडकर एक-दो दिन ज्यादा ठहरे। हिन्दू सदस्यों के साथ मतभेद होने से अम्बेडकर ने लोथियन समिति को अपना अलग निवेदन प्रस्तुत किया। आखिर में उस समिति का अहवाल बाहर निकला। अभी तक इंडियन लेजिस्लेटिव कमिटी के 1916 के फैसले, सर हेनरी शार्प (जो उस समय भारत के शिक्षा आयुक्त थे) साउथ बरो मताधिकार विचार समिति, इन सब ने अस्पृश्यों को गुनहगार जमात, वन्यजाति, आदिवासी में समाविष्ट किया था, परन्तु लोथियन समिति ने डिप्रेस्ड क्लास यानी अस्पृश्य वर्ग, यह अर्थ लिया। यह अम्बेडकर की विजय थी। अस्पृश्यता एक मानी हुई रूढ़ि हैं कारण शब्दश: कहा जाए तो अस्पृश्यता नष्ट हुई होगी, परन्तु व्यवहार में वह भाव है या नहीं, यह देखना ही अस्पृश्यता तय करने की कसौटी है। ऐसा अम्बेडकर ने आग्रहपूर्वक अपनी भिन्न मतपत्रिका में पहले कहा था।

4 मई को अम्बेडकर बम्बई वापस लौटे। 6 मई को वे कमेटी के अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास परिषद् में जाने के लिए निकले। अम्बेडकर की सुविधा के अनुसार यह दिन निश्चित किया था। कसारा से नागपुर मार्ग पर उनका सत्कार किया गया। सुबह नौ बजे गाड़ी स्थानक पर पहुंची। 'अम्बेडकर अमर रहें' इस घोषणा से 5000 स्त्री-पुरुषों ने उनका ठाट से स्वागत किया। साखरे ने स्थानक पर उनका और अन्य नेताओं का स्वागत किया। राजा-मुंजे करार से सहानुभूति रखने वाले कुछ मुट्ठीभर युवकों ने अम्बेडकर को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, परन्तु वे असफल रहे। प्रदर्शनकारियों को स्थानक से बाहर निकाल दिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी और दंडाधिकारी उपस्थित थे।

परिषद का मंडल 15,000 लोगों की सुविधा हो इतना बड़ा था। व्यासपीठ भव्य था। भारत के प्रत्येक प्रान्त से अस्पृश्य समाज के प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए आये थे। उस अधिवेशन के निर्णय का असर उनके भावी जीवन पर होने वाला था, इस कारण परिषद् का वातावरण तप्त हो गया था। प्रतिनिधियों की उत्कंठा बढ़ गयी थी। यह बड़ी अचरज की बात थी कि दरिद्रता चरम सीमा पर होने पर भी इतनी बड़ी जनसंख्या में प्रतिनिधि उपस्थित थे। ऐसा कहा जा रहा था कि राजा-मुंजे करार का समर्थन करने वाले लोगों का परिषद् आने-जाने का यातायात-खर्च कांग्रेस दल और हिन्दू महासभा संस्थाओं ने किया था। परन्तु इसलिए उन अस्पृश्य प्रतिनिधियों के मन में विश्वास निर्माण हुआ था, ऐसी बात नहीं थी। दूसरी महत्व की बात यह थी कि राजा मुंजे करार को समर्थन देने वालों का कामटी एक अड्डा था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के नेता म.अ. गवई को अम्बेडकर ने धमकी दी कि संयुकत मतदाता पद्धति और आरक्षित सीटों का अगर आपने पीछा नहीं छोड़ा, तो आप में और मुझ में गृहकलह उद्‌भूत होगा। उस धमकी के खिलाफ गवई ने लॉर्ड लोथियन के पास शिकायत की थी।

7 मई 1932 को सायंकाल अधिवेशन की शुरुआत हुई। राजा-मुंजे करार का विरोध करने वाले और स्वतंत्र मतदाता संघ को समर्थन देने वाले लगभग 200 संदेश प्राप्त हुए थे। बौद्ध-महासभा के कार्यवाहक ने इस तरह का संदेश भेजा था कि अस्पृश्य वर्ग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले। परिषद् के कार्य की शुरुवात होने वाली थी, इतने में पां.न. राजभोग प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए। सभा में शोर मच गया। राजभोग को बाहर निकाला गया। स्वागताध्यक्ष हरदास ने यह अभिप्राय दिया कि, 'स्वतंत्र निर्वाचक मंडल स्वीकार करके हम तर जाएंगे या मर जाएंगे।' परिषद् के अध्यक्ष मुनिस्वामी पिले ने कहा, 'अस्पृश्य वर्ग के दो और प्रतिनिधियों को गोलमेज परिषद् के कामकाज के लिए लाया जाए।

दूसरे दिन राजभोज के गड़बड़ी करते ही दंडाधिकारी ने उन्हें बाहर निकाला। राजभोज को चोट लगने से अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पृश्यों की कम से कम मांगों का निर्देश अल्पसंख्यकों के करार में किया गया है, उन मांगों का विचार हो। राजा-मुंजे करार अस्पृश्यों के हित की दृष्टि से विघातक है, यह जाहिर किया गया। गोलमेज परिषद् के अम्बेडकर और श्रीनिवासन के उत्कृष्ट कार्य से उनकी प्रशंसा की गई। अम्बेडकर के पीछे अस्पृश्य समाज खड़ा है, ऐसी घोषणा के साथ परिषद् समाप्त हुई।

कामटी कांग्रेस के बाद अम्बेडकर ने सोलापुर और निपाणी में आयोजित जाहिर सभाओं में स्वतंत्र निर्वाचक मंडल के बारे में अपना निवेदन स्पष्ट किया। 21 मई की शाम को पुणे में बड़ा जुलूस निकाला गया। अम्बेडकर की मोटर के आगे ॐ चिह्नांकित भगवा ध्वज बड़े शान से फहरा रहा था। अहल्याश्रम में नामदार लट्‌ठे की अध्यक्षता में अम्बेडकर को एक मानपत्र दिया गया। उसमें अम्बेडकर का गौरव इन शब्दों में किया गया- 'अम्बेडकर भारत के पद दलितों के अनभिषिक्त राजा हैं।' अध्यक्ष पद से भाषण करते समय आण्णासाहब लट्‌ठे ने कहा, ''अम्बेडकर जैसे महान देशभक्त को देशद्रोही के रूप में तथाकथित राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने संबोधित किया, यह बड़ी निंदनीय बात है। अम्बेडकर क्रान्तिकारियों के गुट के नेता हैं' या नहीं, इस तरह की पूछताछ हमारे पास एक ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ ने एक बार की थी। अम्बेडकर देशाभिमानी और देश-हितचिंतक नेता हैं। अपने व्यवसाय में ध्यान देने के लिए मैंने उन्हें अनेक बार सलाह दी थी। लेकिन मेरे दलित समाज का उत्कर्ष यानी मेरे व्यवसाय का उत्कर्ष है, ऐसा वे कहते हैं। अस्पृश्य वर्ग का काम अत्यंत बड़ा देश कार्य है और उनके उद्धार के लिए प्रयास करना यानी भारत राष्ट्र और जगत की सेवा करना है।

यह कहा जाता है कि लट्ठे ने अम्बेडकर को कोल्हापुर के राजाराम महाविद्यालय के प्राचार्य का पद भी देना सोचा था। अपने उत्तर के भाषण में अम्बेडकर ने कहा, 'आज हिन्दुस्तान देश में देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिन्दू धर्म विध्वंसक और हिन्दू-हिन्दू में भेद करने वाला और देश का अत्यंत बड़ा दुश्मन अगर किसी को संबोधित किया जाता होगा, तो मुझे ही! लेकिन सम्प्रति की वादविवाद की धूलि जब कुछ दिनों बाद शांत हो जायेगी और जब भावी इतिहासकार गोलमेज परिषद् के कार्य की निर्विकार बुद्धि से छान-बीन करेंगे, तब हिन्दुओं की भावी पीढ़ियां मैंने की हुई राष्ट्रसेवा के बारे में धन्योद्गार निकाले बिना नहीं रहेगी।

मेरे दलित बन्धुओं को मेरे कार्य के प्रति जो अटल श्रद्धा है, उसके प्रति मुझे संतोष होता है। यह बात मैं बहुत बड़ी मानता हूं कि मेरे ध्येय पर उनकी अपार भक्ति है। अगर मेरे कार्य की महत्ता मेरे विरोधियों को मालूम नहीं हुई, तो उनकी निंदा की मैं परवाह नहीं करूंगा। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं और जिन लोगों में मैं जीवन-यापन कर रहा हूं, उनमें ही मैं मरूंगा। हिन्दुओं के हृदय ईंट-पत्थरों की दीवारों की भांति निर्जीव हैं। दीवार पर सिर पटककर आघात किया तो आखिर में खून बहता है। हिन्दू लोगों के हृदय की कठोरता नष्ट नहीं होगी। मैंने अपना मन परिवर्तन किया है।

**मेरे दलित बन्धुओं को मेरे कार्य के प्रति जो अटल श्रद्धा है, उसके प्रति मुझे संतोष होता है। यह बात मैं बहुत बड़ी मानता हूं कि मेरे ध्येय पर उनकी अपार भक्ति है। अगर मेरे कार्य की महत्ता मेरे विरोधियों को मालूम नहीं हुई, तो उनकी निंदा की मैं परवाह नहीं करूंगा। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं और जिन लोगों में मैं जीवन-यापन कर रहा हूं, उनमें ही मैं मरूंगा। हिन्दुओं के हृदय ईंट-पत्थरों की दीवारों की भांति निर्जीव हैं। दीवार पर सिर पटककर आघात किया तो आखिर में खून बहता है। हिन्दू लोगों के हृदय की कठोरता नष्ट नहीं होगी। मैंने अपना मन परिवर्तन किया है।**

अम्बेडकर 26 मई को इंग्लैंड जाने के लिए निकले। उनके प्रयाण के बारे में किसी को पता न लगे, इतनी गोपनीयता रखने के लिए शिवतरकर आदि सहयोगियों को उन्होंने आदेश दिया था। फिर भी 'बम्बई क्रॉनिकल' पत्र ने वह समाचार किसी से प्राप्त कर अम्बेडकर की विलायत-भेंट पर प्रकाश डाला। एम. सी. राजा की धारणा में हुए फर्क से अम्बेडकर की बड़ी ही धांधली उड़ गयी थी। लोथियन समिति का अभिप्राय भी उनके अधिक अनुकूल नहीं था। शायद ही मिलने वाले इस मौके का उपयोग करने के लिए हमें भरसक प्रयास करने चाहिए और अपने लंदन-निवास के कारण अपनी मांगों को वजन मिलने से दलितों का कुछ अधिक कल्याण करना संभव होगा, यह विचार उनके मन में बार-बार आ रहा था। जहाज के लिखे संदूक दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने सूचना की थी। उन्हें डर लग रहा था कि कांग्रेस के अविचारी हिन्दू, बदले की भावना से अपना मुद्रणालय और नई खरीदी हुई किताबें जला देंगे।

जून में वे लंदन-पहुंचे। एक सप्ताह में वे सभी छोटे-बड़े अधिकारियों से मिले। वहां उन्होंने एक सविस्तार निवेदन प्रस्तुत किया। अपनी मांगों की तरफदारी करने की उन्होंने पराकाष्ठा की। ब्रिटिश राज्यकर्ताओं के अन्दर क्या चल रहा है, उसका उन्हें बिलकुल पता नहीं लग रहा था। तथापि, ऐसी अफवाह थी कि बम्बई, मद्रास और मध्य प्रान्त के राज्यों में अस्पृश्य लोगों के लिए अलग मतदाता संघ मिलेंगे। 14 जून तक काम समाप्त हुआ। सहानुभूति दिखाने वाले कुछ राजनीतिक व्यक्तियों की सलाह के अनुसार उन्होंने और थोड़े दिन रहने का विचार किया। तथापि, लंदन में न रहकर जर्मनी में ड्रेसडेन में डॉ. मोलर के आरोग्य धाम में विश्राम लेना और जरूरत पड़ने पर वहां से लंदन वापस लौटना उन्होंने तय किया। उनकी तबियत ठीक नहीं थी। विश्राम तो जरूरी था। पैसे की तंगी थी। इसलिए पैसा प्राप्त होते ही भेजने की उन्होंने शिवतरकर को विनती की। उस समय उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। कोल्हापुर के उनके परम स्नेही दत्तोबा पवार को भी उन्होंने मुकदमे का काम होने पर कुछ समय तक रोकने के लिए लंदन से सूचित किया।

यह समाचार फैला था कि डॉ. मुंजे और राजा लंदन आने वाले हैं। खुद को फंसाने वाले हैं। राजा के प्रति उनके मन में बहुत घृणा हो गई थी। राजा बम्बई से निकलने वाले हों तो उनकी विदाई काले झण्डों से की जाये। बम्बई में राजा ने अगर परिषद् बुलाने का प्रयास किया होगा तो अपने अनुयायियों ने उस परिषद् को विफल बनाया होगा, यह भरोसा उन्होंने व्यक्त किया और प्रत्यक्ष में वैसा हुआ भी। उस मुठभेड़ में एक अम्बेडकर-अनुयायी काम आया। पचास जख्मी हुए। अम्बेडकर ऊपर से यह कहते थे कि राजा की इज्जत उतारने इतनी कूवत उनके पास नहीं रही। परन्तु राजा के सभी प्रयास विफल बनाकर उसे

दुर्बल करने के लिए वे अत्यंत सावधानी से प्रयास कर रहे थे।

इस प्रकार के उलझन वाले ऐतिहासिक कार्य में व्यस्त होने पर भी अम्बेडकर अपने भतीजे और बेटे की शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे थे। ड्रेसडेन से उनके अध्ययन की प्रगति के बारे में वे पूछताछ करते थे। महापुरुष अपने ध्येय और कार्य में इतने एकाग्र-चित्त हो जाते हैं 'कि उन्हें अपने बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए प्राय: समय नहीं मिल पाता है। यह सच है कि महापुरुषों का व्यक्तित्व पर्वत के ऊंचे शिखर जैसा होता है, परन्तु उन महापुरुषों की अगली-पिछली पीढ़ियों में अंधकार की गहरी खाई होती है।

जुलाई के मध्य में अम्बेडकर के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बर्लिन में वे एक सप्ताह रहे। हिटलर के तत्वज्ञान से स्फुरित जर्मनी को उन्होंने देखा। सहयोगियों को उन्होंने सूचित किया कि वे विएना से वेनिस जाकर जहाज पकड़कर बम्बई आ रहे हैं, स्वागत की औपचारिकता का विचार वे छोड़ दें। मनुष्य स्वभाव कितना विचित्र होता है; उसे जो प्राप्त नहीं होता, उसे ही प्राप्त करने की जिद वह पकड़ता है। जब अम्बेडकर विद्यार्थी के रूप में विदेश गये, तब उनके आने-जाने की किसी ने भी खबर नहीं ली थी। लेकिन गोलमेज परिषदों के लिए जाने लगने के बाद उनके प्रयाण और आगमन के अवसर यानी स्वागत और विदाई समारोह के आनंदपूर्ण उत्सव ही बन गये थे।

अम्बेडकर, 17 अगस्त को बम्बई वापस लौटे। 3 दिन पहले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों की समस्या पर अपना निर्णय जाहिर किया था। उस निर्णय के अनुसार अस्पृश्य वर्ग को आरक्षित सीटें देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें स्पृश्य हिन्दुओं के प्रतिनिधियों के चुनाव में भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। इस तरह दोहरे मतदान के अधिकार उन्हें दिये गये थे।

बम्बई पहुंचने पर दूसरे दिन अम्बेडकर ने सर सैम्युअल होअर को निर्णय के नवें अनुच्छेद का स्पष्टीकरण करने के लिए एक द्रुत-पत्र भेज दिया। उसमें उन्होंने कहा कि, 'आपके पत्र का उत्तर आने मैं अस्पृश्य समाज के रोष का बवंडर खुद के मत्थे न मढ़े जाने का प्रयास कर रहा हूं। उसका सार्वजनिक तौर से स्फोट न हो, ऐसा प्रयत्न कर रहा हूं। अस्पृश्यों के हिस्से में न्याय की दृष्टि से जितनी सीटें मिलनी चाहिए थीं, उतनी नहीं मिली हैं। इसलिए यह निर्णय अस्पृश्य समाज की दृष्टि से देखने पर अधूरा, असमाधानकारी और अन्याय है। पंजाब के अस्पृश्य वर्ग को आरक्षित सीटें नकारना भेदभाव की चरमसीमा है।'

जातीय निर्णय ने भारत के अनैक्य को चिरस्थायी स्वरूप दिया। इस कारण से भारत के भावनात्मक टुकड़े हो गये। निर्णय के अनुसार मुस्लिमों, सिखों, यूरोपियनों, ईसाइयों को अलग मतदाता संघ दिये गये। निर्णय प्रकाशित होने पर 'बम्बई क्रॉनिकल' ने उसका बहुत ही यथार्थ वर्णन किया। उस पत्र ने कहा, 'निर्णय की मुख्य चालबाजी राष्ट्रीय बहुसंख्यक हिन्दू समाज को अल्पसंख्यक बनाना ही है।[3] इसलिए निर्णय का हर तरफ धिकार ही हुआ।

जातीय निर्णय की वजह से भारतीय राजनीति उग्र रूप धारण कर रही थी। राजनीति में आपातकालीन परिस्थिति अद्‌भूत होने का रंग दिखाई देने लगा। 4 जनवरी को विलायत से आते ही गांधी जी को सरकार ने यरवादा कारागृह में डाल दिया। उनका यह आग्रह था कि अस्पृश्यों को स्पृश्य हिन्दुओं से अलग नहीं किया जाए। वैसी उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह धमकी दी थी कि अगर अस्पृश्यों को अलग मतदाता संघ दिया गया, तो हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस घटना का प्रतिरोध करेंगे। और यह जाहिर होते ही कि अस्पृश्यों को अलग मतदाता संघ दिये गये। उन्होंने यरवदा बंदीगृह से घोषणा की कि स्वतंत्र निर्वाचक मंडल की योजना ब्रिटिश सरकार ने रद्द नहीं की, तो मैं नमक या सोड़ा डाला हुआ सिर्फ पानी पीकर आमरण अनशन करूंगा। ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों को स्वतंत्र निर्वाचक मंडल देने में गांधी जी का तत्वत: विरोध दिखाई नहीं पड़ा। ■

**जुलाई के मध्य में अम्बेडकर के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बर्लिन में वे एक सप्ताह रहे। हिटलर के तत्वज्ञान से स्फुरित जर्मनी को उन्होंने देखा। सहयोगियों को उन्होंने सूचित किया कि वे विएना से वेनिस जाकर जहाज पकड़कर बम्बई आ रहे हैं, स्वागत की औपचारिकता का विचार वे छोड़ दें। मनुष्य स्वभाव कितना विचित्र होता है; उसे जो प्राप्त नहीं होता, उसे ही प्राप्त करने की जिद वह पकड़ता है। जब अम्बेडकर विद्यार्थी के रूप में विदेश गये, तब उनके आने-जाने की किसी ने भी खबर नहीं ली थी। लेकिन गोलमेज परिषदों के लिए जाने लगने के बाद उनके प्रयाण और आगमन के अवसर यानी स्वागत और विदाई समारोह के आनंदपूर्ण उत्सव ही बन गये थे।**

**(पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित धनंजय कीर की लिखी पुस्तक 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित' से साभार)**

**(क्रमश: शेष अगले अंक में)**

## एक अमर व्यक्तित्व

# डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

### जन्म : 15 अक्टूबर, 1931 - देहावसान : 27 जुलाई, 2015

■ बलराम प्रसाद

एक महान विचारक, विद्वान, वैज्ञानिक और उच्च कोटि के मनुष्य, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक अभियंता (इंजीनियर) जिन्होंने भारत को उन्नत देशों के समूह में सबसे आगे लाने के लिए प्रक्षेपण यानों तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उनका पूरा नाम डॉ. एबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। जितना बड़ा उनका नाम था, उतना ही बड़ा उनका व्यक्तित्व था। वह एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि एक संस्था थे। उनका दृष्टिकोण समाधान केन्द्रित होने के साथ-साथ उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत था। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा उनका पद, उनकी जाति, उनका धर्म कभी उनके काम में आड़े नहीं आया।

हालांकि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मूलतः वैज्ञानिक थे, मगर व्यवहार में शिक्षक का आचरण और भिक्षुक की सादगी थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर, 1931 को जन्में डॉ. अब्दुल कलाम अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपनी मां को देते हैं, उनके अनुसार - ''मैं अपने बचपन के दिन नहीं भूल सकता, मेरे बचपन को निखारने में मेरी मां का विशेष योगदान है। उन्होंने मुझे अच्छे-बुरे को समझने की शिक्षा दी। छात्र जीवन के दौरान जब मैं घर-घर अखबार बांट कर वापस आता था, तो मां के हाथ का नाश्ता तैयार मिलता। पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी मां ने मेरे लिए छोटा-सा लैम्प खरीदा था। मां ने अगर साथ न दिया होता तो मैं यहां तक न पहुंचता।''

जुलाई 2002 में देश के ग्यारहवें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उनकी ख्याति एक वैज्ञानिक की थी। वे 'मिसाइल मैन' कहे जाते थे। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने और मिसाइल क्षमता से लैस करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण 'भारत रत्न' से नवाजे गये कलाम ने वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। वे वाजपेयी सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। उनका राष्ट्रपति चुना जाना इस बात का प्रतीक था कि कोई गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी राष्ट्र का प्रमुख हो सकता है।

अब्दुल कलाम एक तपस्वी होने के साथ-साथ एक कर्मयोगी भी थे। अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कार्यप्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए आगे बढ़ते गए। अपनी उपलब्धियों के दम पर आज उसका स्थान अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों में से एक है।

वाजपेयी सरकार की दूरदर्शिता व गहरा राजनीतिक दृष्टिकोण और तत्कालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि ने शायद वाजपेयी को आत्ममंथन के लिए विवश कर दिया। क्योंकि तत्कालीन वाजपेयी सरकार द्वारा कलाम को राष्ट्रपति के रूप में चयन के पीछे राजनीतिक पहलू शायद यह भी था कि गुजरात नरसंहार के बाद सौहार्द की राजनीति की स्थापना वक्त का अहम तकाजा थी। यह अकारण नहीं था कि पद-ग्रहण करने के बाद कलाम ने सांप्रदायिकता की आग में दहकते गुजरात का दौरा किया, हालांकि सरकार इस दौरे के शायद हक में नहीं थी।

प्रारंभिक जीवन में अभाव के बावजूद वे किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे यह बात हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। उनकी शालीनता, सादगी और सौम्यता किसी महापुरुष से कम नहीं है। उनसे मिलने की इच्छा स्वाभाविक है, जो हममें से कई लोगों की रही होगी। परन्तु यह इच्छा सबकी पूरी हो, ऐसा सबके नसीब में शायद सम्भव हो सकता है क्या? भारत जैसे देश में राष्ट्रपति का पद अमूमन शोभा का पद माना जाता है। अन्य राष्ट्रपतियों की तरह कलाम ने इसका पूरी तरह निर्वाह भी किया। लेकिन ऐसा भी अवसर आया जब सरकार को उसकी भूल का अहसास कराने से नहीं हिचके। मसलन, 2006 में उन्होंने लाभ के पद से संबंधित विधेयक, स्पष्टता की कमी रेखांकित कर, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। इस पर उन्होंने तभी हस्ताक्षर किए जब विधेयक उनके पास दोबारा भेजा गया। कलाम ने न तो राष्ट्रपति भवन के तामझाम को अपने ऊपर हावी होने दिया न लोगों से दूरी बनाई। उल्टे उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलने

की पहल की और हमेशा लोगों से संपर्क और संवाद बनाए रखा। यही वजह है कि भारतीय जनमानस में वे 'जनता के राष्ट्रपति' कहे गए। खासकर युवाओं से बातचीत में उन्हें विशेष रस आता था। उनके बीच वे सहजता से घुलमिल जाते, उनके प्रश्नों के उत्तर देते, उनकी जिज्ञासाएं शांत करते। जनमानस में कलाम ने हमेशा अपने को एक शिक्षक के रूप में पेश किया। वे कहते थे, मैं शिक्षक ही रहना चाहता हूं। जाऊं तो भी शिक्षक के रूप में। वही हुआ। जब 27 जुलाई 2015 को करीब चौरासी साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से जब वे सदा के लिए विदा हुए, तब भी वे शिलांग के राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान के दौरान् ही उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया।

पहले एक वैज्ञानिक के रूप में, फिर देश के राष्ट्रपति के तौर पर और अंततः शिक्षक के तौर पर कलाम का फोकस कभी धूमिल नहीं हुआ। देश के युवा और बच्चे हमेशा उनके ध्यान बिन्दु रहे।

देश के स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों में जाना उनका खास मिशन था। जहां वे इन सबको दिशा प्रदान करके आते थे। यह कलाम के कमाल हैं कि वे अंतिम सांस तक अपने मिशन में लगे रहे और जिस तरह वे अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं, उस पर चलकर आने वाली तमाम पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन लेती रहेंगी।

1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण से पूरे संसार में भारत की साख एवं धाक जमी थी। कलाम इसके मंत्रदाता थे। उन्हें एक 'रॉक स्टार' जैसा दर्जा पूरे विश्व में हासिल हुआ और फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पसंद से वे रायसीना हिल्स के 'राक स्टार' भी बने।

वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के बाद एक शिक्षक के रूप में देश के लोगों से संवाद उनकी शख्सियत का तीसरा आयाम था। सदा सकारात्मक ढंग से सोचने और ज्ञान के पीछे भागने की सीख देने वाले कलाम नाकामी को सीखने की पहली सीढ़ी कहते थे। वे ज्ञान आधारित समाज का सपना देखते थे। उनका दृष्टिकोण समस्या का समाधान करते हुए व्यतीत हुआ। उनके नजरिए ने, जिसकी विस्तृत झलक उनकी आत्मकथा 'अग्नि की उड़ान' में मिलती है, जिसने बहुत-से लोगों, खासकर युवाओं को प्रभावित किया। कलाम की एक बड़ी खूबी यह भी थी कि उनमें भारत की समन्वय की परंपरा अभिव्यक्त होती थी। वे कुरान और गीता, दोनों के उद्धरण दे सकते थे। वैज्ञानिक कलाम एक अच्छा वीणा वादक थे और उनमें एक गहरा आध्यात्मिक रुझान था। अपने कर्म, मर्म और स्वत्व में हमेशा उन्होंने यही जताया कि शीर्ष पद पर होने का संवैधानिक ही नहीं, नैतिक अर्थ भी होता है। यह संदेश ओझल नहीं होना चाहिए।

डॉ. कलाम के दर्शन सिद्धांत बेहद प्रभावशाली हैं :

1. जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार एवं मेहनती होते हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना हैं।
2. किसी के जीवन में उजाला लाओ।
3. दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता-पिता की सेवा करो, बड़ों तथा शिक्षकों का आदर करो, और अपने देश से प्रेम करो, इसके बिना जीवन अर्थहीन है।
4. देना सबसे उच्च एवं श्रेष्ठ गुण है, परन्तु उसे पूर्णता देने के लिए उसके साथ क्षमा भी होनी चाहिए।
5. कम-से-कम दो गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा में मदद करो।
6. सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है।
7. प्रकृति से सीखो और जहां सब कुछ छिपा है।
8. हमें मुस्कुराहट का परिधान जरूर पहनना चाहिए तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारी आत्मा को गुणों का परिधान पहनाना चाहिए।
9. समय, धैर्य तथा प्रकृति, सभी प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने और सभी प्रकार के जख्मों को भरने वाले बेहतर चिकित्सक हैं।
10. अपने जीवन में उच्चतम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य रखो और उसे प्राप्त करो।
11. प्रत्येक क्षण रचनात्मकता का क्षण है, उसे व्यर्थ मत करो।

अब्दुल कलाम, सादा जीवन, उच्च विचार तथा कड़ी मेहनत के उद्देश्य को मानने वाले वो महापुरुष हैं, जिन्होंने सभी उद्देश्यों को जीवन में निरंतर जीया भी है। उनका कहना है, ''सपने देखना बेहद जरूरी है, लेकिन सपने देखकर ही उसे हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है, जिन्दगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना।'' उन्होंने यह भी कहा है- **''सपना वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वे होते हैं, जो नींद नहीं आने देते।''**

ऐसे अनोखे, अद्वितीय, अद्भुत कलाम कमाल के थे। ऐसे स्वप्नदृष्टा क्या कभी मर सकते हैं। हर भारतीय जो सूरज जैसा जलता है और अपनी मातृभूमि को रोशनी से जगमगा देता है... हर भारतीय जो जागते हुए सपना बुनता है और उस सपने को पूरा करने के लिए नींद नहीं आने देता... वह कलाम है .. सपने देखने वाला... दिन-रात उस सपने को पूरा करने के लिए अपने को आहुत कर देने वाला ही कलाम है। कलाम कमाल है। वह नहीं मर सकता। कदापि नहीं मर सकता।

''अगर मेरी कामयाबी की परिभाषा मजबूत है, तो नाकामी कभी मुझसे आगे नहीं निकल सकती।'' ऐसे सोच वाले अब्दुल कलाम को कोटि-कोटि सलाम। जय जवान! जय विज्ञान! जय राजनीति के धीर! जय उज्ज्वल शिक्षा के प्रेरणादायक जय! जय भारत के सपूत कलाम! तेरी जय जयकार हो। ■

**(लेखक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलूरू में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक हैं)**

# आदिवासियों की प्राकृतिक और आध्यात्मिक आस्था

■ मुन्ना साह

आम धारणा है कि साधारण कोटि के सामाजिक समूह में रहने वाले सामान्य भाषा बोलने वाले, आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे के साथ ओत-प्रोत तथा शत्रु का सामना मिलकर एक साथ करने वाले ही आदिवासी हैं। इस तरह आदिवासी की परिभाषा गढ़ दी जाती है। किंतु ''किसी जीवित और विकासमान कौम को परिभाषा के दायरे में बांधना या बांधने की कोशिश करना निश्चित तौर पर उस कौम को समझने में साधक से अधिक बाधक ही बनेगा।''[1] आदिवासी तो मानव जीवन के आधार 'प्रकृति' के रक्षक और 'आयुर्वेद' के जनक हैं। आदिवासियों की आस्था आदिकाल से ही धार्मिक-आनुष्ठानिक क्रियाओं तथा जल, जंगल, जमीन से जुड़ी हुई है। स्वभाव से कृतज्ञ होने के कारण ये प्रकृति के प्रत्येक उपादान के प्रति अपनी कृतज्ञता अनेक रूपों में प्रकट करते रहते हैं। हरे-भरे वृक्ष इन्हें जीवन की हरीतिमा प्रदान करते हैं, काले-काले मेघ जल देकर प्यास बुझाते हैं, सूर्य आकाश में चमककर अन्धकारमयी नींद को प्रातः समाप्त करता है, चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से मूल-निवासियों की उष्णता को शान्त करता है, सर-सरिताएं जीवन-शक्ति देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं तथा शस्य-श्यामला धरती की आर्द्रता को सुरक्षित रखती हैं, धरती अन्न-फल-फूलादि देकर इनकी भूख शान्त कर अपने अस्तित्व को सफल बनाती है, पशु-पक्षी नृत्य-गान-कला की शिक्षा देते हैं, ऊंचे-ऊंचे पर्वत इन गिरि जनों के थके पैरों में नवोल्लास भरते हैं, ऊंचाई से मधुर ध्वनि में धरातल पर गिरने वाले झरने लोकजीवन-विषयक नयी उमंगों को जन्म देते हैं। इस प्रकार प्रकृति के समस्त उपकरण किसी-न-किसी रूप में आदिवासियों को उपकृत करते हैं। वस्तुतः प्रकृति पुजारियों ने प्राकृतिक संसार में विविध देवी-देवताओं की स्थापना की है। सूर्य-पूजा, चंद्र-पूजा, वृक्ष-पूजन, पशु-पक्षी-वन्दना, पर्वत अराधना, धरती स्तुति, नक्षत्रों का दर्शन, जलाशयों के प्रति श्रद्धा आदि आदिवासी समाज में प्रचलित हैं। पुराने वृक्षों में देवी-देवता का निवास मानकर उन्हें पूजा जाता है।[2] गोंड, बैगा, पनिका, कोरवा, कोल, किरात, खोंड, भील, भिलाला, बारेला, मीणा, कोरकू, शबर, मुड़िया, कोलम, मुंडा, अगरिया, खरवार, असुर, उराँव, कंध, खड़िया, साहली, पाण्डो, बंजारा, थारू आदि अनेक आदिवासी जातियाँ आज भी इन प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित हैं एवं समय-समय पर अपने धार्मिक उत्सवों में इनकी पूजा करती हैं। करमा, बरगद, पीपल, आम, महुआ, पलात, बेल, तुलसी, शीशम, ताड़, खजूर, कटहल, आंवला, बेरी आदि वृक्षों की पूजा-अर्चना का विशेष प्रचलन चिरकाल से आदिम जातियों में है। पशु-पक्षी-पूजन में घोड़ा, हाथी, तोता, मैना, कबूतर, चील आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। मध्य भारत में झारखंड के संथाल, मुंडा, हो, मालेर एवं बिरहोर 'सूर्य' को सिंगवोंगा अर्थात् सबसे बड़ा ईश्वर समझते हैं। माल पहाड़िया में सूर्य (बेरू) एवं पृथ्वी देवता हैं।[3] अनेक देवता ऐसे हैं जो जलाशयों के पास, पर्वतों के शिखरों पर, पुराने वृक्षों पर, गुफाओं में तथा कुल देवी-देवता घर के भीतर स्थापित किए जाते हैं, जिनकी पूजा मांगलिक कार्य प्रारंभ करने के समय की जाती है। 'हो' आदिवासियों के सिंगवोंगा, नागहारा, मारंग, वीजा, पांगुरा आदि आराध्य देवता माने गए हैं। असम के 'गारो' जनजाति के देवता सूर्य एवं चंद्रमा हैं। पर्वतों एवं गुफाओं में निवास करने वाले 'नागा' अन्य कई देवताओं की पूजा करते हुए 'गवांग' नामक देव को सर्वशक्तिमान एवं विश्व-सृष्टा मानते हैं। 'खस' महसु देव के प्रति बड़ी श्रद्धा-भक्ति प्रदर्शित करते हैं और हिंदू देवी-देवताओं को भी समय-समय पर पूजते हैं।[4]

सुग्रीव के वंशज 'उराँव' राम और सीता के उपासक हैं। कुल्लू प्रदेश के आदिवासी बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं और हिडिम्बा देवी की विशिष्ट श्रद्धा-भक्ति से पूजा करते हैं। 'बंजारा' आदिवासी 'मावली' की पूजा करते हैं, 'मावली' सात देवियों को कहा जाता है ये देवियां हैं - मरियामा, जगदंबा, तलजा, शीतला, कंकाली, चंडी और मतराल। जब सातों की सामूहिक पूजा होती है तो उसे 'मावली पूजणो' कहते हैं।[5] शिव-पार्वती की पूजा में भी बंजारा जाति आस्था रखती है।[6] 'मराठवाड़ा और तेलंगाना क्षेत्र के बंजारे नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं। इस दिन साँप मारना वर्जित है। नाग पूजा के दिन घर के कोने में एक पात्र में दूध भरकर रखा जाता है। यह माना जाता है कि रात में किसी समय नाग दूध पी जाता है। पूजा के दिन नाग द्वारा दूध पी जाना परिवार के लिए शुभ माना जाता है। साँप की पूजा करने से उसके डंसने का भय चला जाता है। बंजारे मानते हैं कि साँप कभी गलती से

नहीं डंसता, जब तक कुचला नहीं जाता।[7] 'भील' आदिवासी हनुमान को ग्राम का संरक्षक मानते हैं। सिंदूर और नारियल चढ़ाकर वह इनकी अर्चना करते हैं तथा बंदर की रक्षा करके वह आदिवासी स्वयं को पुण्यवान मानते हैं। यही कारण है कि मर्कट-वध भील-समाज में दण्डनीय माना गया है। 'हिरकुलियो' कृषि देवता है। पावस-ऋतु में बड़ी धूमधाम से इस देवता की पूजा भील करते हैं। ये वर्षा की विशेष आवश्यकता समझते हैं। जल के अभाव में उनका जीवन रसहीन हो जाता है। अत: समुचित वर्षा की प्राप्ति के लिये ये मेघ देवता इंद्र की भी पूजा करते हैं। इस पूजा में गांव के प्रत्येक नर-नारी का सम्मिलित होना आवश्यक होता है।[8] भील आस्तिक हैं और श्रद्धावान होने के कारण अपने प्रत्येक उत्सव को देवी-देवता की आराधना से प्रारम्भ करते हैं। नवीन अन्न की प्राप्ति पर वे आनन्द से झूम उठते हैं और इसे सर्वप्रथम अपने देवता के चरणों में रखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 'होली' को भी भीलों ने हिन्दुओं की भांति अपना लिया है। इसे वे 'होली माता' की पूजा से प्रारंभ करते हैं और खूब सोम-रस पीकर रसीले गीत गाते फिरते हैं। होली गीत –

होलीये झोली बांदरे रातू चुनड़ीयो,
नन्दारे थारी नार रातू चुनड़ीयो।
नाम कीनो लेही रातू चुनड़ीयो,
गेरी या नो लेही नाम रातू चुनड़ीयो।[9]

आम्रमञ्जरियों की महक और विभिन्न रंगों के कुसुम-कलियों की सुंदरता के आकर्षण में प्रकृति प्रेमी खींचे चले आते हैं। 'सरहुल' उत्सव प्रकृति का अद्भुत त्यौहार है। जिसमें आदिवासी अपने नृत्य कला का प्रदर्शन बड़े उत्साह और उमंग के साथ करते हैं।

'पाण्डो' मध्य प्रदेश के जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। ये अब वन्य समाज से बाहर आकर भी रहने लगे हैं तथा जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं। 'पाण्डो' आदिवासी अपने पूर्वजों की पूजा-पाठ करते हैं। बरखी नामक संस्कार के अवसर पर मृतकों की आत्मा को ये अपने घर के भीतर बुलाकर उचित स्थान देते हैं, इसे 'मरा-मुआँ (पूर्वजों की आत्मा)' कहा जाता है। परिवार में जब कभी भी कोई त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है तब परिवार के मुखिया द्वारा 'मरा-मुआँ' की पूजा की जाती है।[10] 'गोंड' आदिवासियों के मुख्य देवता बूड़ादेव, दुल्लादेव, घनश्यामदेव, बूड़ापेन (सूर्य) और भीवासू हैं। इनके अतिरिक्त फसल, शिकार, बीमारियों और वर्षा आदि के भिन्न-भिन्न देवी-देवता हैं। अनेक गोंड लंबे समय से 'हिंदू धर्म' तथा संस्कृति के प्रभाव में हैं और कितनी ही जातियों तथा कबीलों ने हिंदू विश्वासों, रीति-रिवाजों तथा वेशभूषा को अपना लिया है। गोंडों का अपना एक गोंडी धर्म है, जिसकी स्थापना 'पारी कुपार लिंगो' द्वारा शम्भूशेक (महादेव) के युग में की गई थी। 'कोया पुनेम' धर्म गोंडी भाषा में इसका अर्थ 'मानव धर्म' है। आज से हजारों वर्ष पूर्व से गोंड आदिवासियों द्वारा 'मानव धर्म' का पालन किया जा रहा है।[11]

प्रकृति-धर्मा आदिवासियों की भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक आस्थाएं हैं। उनकी आस्थाएं जीवन संचालन में अहम भूमिका निभाती हैं। वे दृढ़ विश्वास के साथ पारंपरिक मान्यताओं को मानते हैं और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर सुखमय जीवन-यापन करने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के विकास ने आदिवासी जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। विकास के नाम पर पन-बिजली परियोजना, सिंचाई के नाम पर भीमकाय बांध परियोजना, कल-कारखानों के लिए कच्चे माल का दोहन आदि ढेरों उपक्रम आदिवासी-बहुल इलाकों में ही चलाए जाते रहे हैं इसकी वजह यह रही है कि उत्पादन के सारे स्रोत इनके इलाकों में पाए जाते हैं। आजादी के बाद इस आबादी ने तथाकथित सभ्य समाज पर लंबे अरसे तक भरोसा किया, परंतु परिणाम के तौर पर इनके हाथ गरीबी, भुखमरी और बदहाली ही आई है। संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित तमाम राज्य सरकार अनैतिक प्रयोग करने लगी है। सत्ता वर्ग पर्यावरण बचाने के नाम पर जंगलों में मुनाफे के लिए घुसपैठ कर रहा है। अभयारण्य विकसित करने के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है।[12] इस तरह प्रकृति के पुजारियों की मौलिकता को ख़त्म कर कृत्रिमता की तरफ ढकेला जा रहा है। आदिवासियों की आस्था पर आघात पहुँचना किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। जल, जंगल और जमीन उनके प्राण तत्व हैं, इनसे वंचित नहीं किया जा सकता। वस्तुत: आदिवासियों की आस्था की कद्र करना ही मानवता के लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है। ■

## संदर्भ


1. आदिवासी साहित्य विमर्श, सं. गंगा सहाय मीणा, अनामिका पब्लिशर्स, प्रथम संस्करण: 2014, पृ. 21.
2. आदिवासियों के बीच, प्रो. श्रीचन्द जैन, प्रकाशक: किताबघर, प्रथम संस्करण: 1980, पृ. 19.
3. वही, पृ. 21.
4. वही, पृ. 88.
5. बंजारा जाति समाज और संस्कृति, यशवन्त जाधव, वाणी प्रकाशन, संस्करण 1992, पृ. 185.
6. वही, पृ. 196.
7. वही, पृ. 204.
8. वनवासी भील और उनकी संस्कृति, श्रीचन्द्र जैन, प्रकाशक: रोशनलाल जैन एण्ड सन्स, संस्करण: द्वितीय 1974, पृ. 28.
9. वही, पृ. 63.
10. पाण्डो जनजाति, डॉ. आर.के. सिन्हा, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण: 1983, पृ. 83.
11. hi.wikipedia.org/wiki/गों ड;(जनजाति), 28/11/13
12. जल, जंगल और जमीन, स्वतंत्र मिश्र, स्वराज प्रकाशन, प्रथम संस्करण: 2014, पृ.99.


***(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में शोधार्थी हैं)***

# फूलों की तरह मुस्कुराइए और शबनम की तरह...

■ शीला नरेन्द्र त्रिवेदी

## जिंदादिल ज़िंदगी

किसी ने ठीक कहा है-''जिंदगी ज़िंदादिल का नाम है, मुर्दादिल क्या खाक जिया करते है।'' बात तो सोलह आने सच है-क्यों न हम इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लें। ''ज़िंदगी का सफ़र मजे से तय हो जाएगा खुशियां और गम भला, किसकी ज़िंदगी में नहीं आते हैं। हां उनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, यानी किसी की जिंदगी में कम तो किसी की ज़िंदगी में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, विपत्तियों से जीवन अछूता नहीं और हां ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। दु:ख-सुख जीवन में धूप-छांह की तरह ही है। दु:ख हमें प्रचण्ड ग्रीष्म की तरह झुलसा देते हैं तो खुशियां हमें निर्मल चंद्रमा की शीतल चंद्रिका की तरह शीतलता और सुकून देती है।

## अंधेरे के बाद रोशनी

सच ही तो है- 'अंधकार न होता तो सूरज की सुनहरी किरण कहां से आती। जिसके आते ही पंछी चहचहा उठते है, कलियां खिल उठती है, भंवरे गुनगुना उठते हैं सुहानी भोर की सुहानी समीर - वादे सबा का शीतल, मंद सुगंधित झोंका मन को पुलकित कर देता है-नदी की कल-कल, झरनों की झर-झर, सुंदरी के पायलों की झंकार की तरह कर्णप्रिय लगती है। संसार के सारे क्रिया-कलाप चल पड़ते हैं और जब सुहानी सांझ रात के रूप में ढलने लगती है। निर्मल चंद्रिका का अप्रतिम सौंदर्य, दिन भर की थकान, शिथिलता, अलसता, चिड़चिड़ाहट-जैसे अपने दामन में समेटकर हमें चैन, सुकून देती है। पूनम की प्यारी रात हमारी ज़िंदगी में अनूठे रंग भर देती है और मधुर स्वप्न देखते हुए भोर की पहली किरण हमें जगा देती है।

## जरूरी है हंसना और रोना

खिली हुई कलियां, हमारे चंचल नैनों को ही नहीं अपितु हमारे मन को भी खिला देती है तो फिर क्यूं न हम फूलों की तरह मुस्कुरा उठे और मुस्कुराते-मुस्कुराते शबनम की तरह रो उठे और मन गुनगुना उठे-ये मधुर मुस्कुराहट और मीठी सी रूलाई-हमारी जिंदगी के अभिन्न अंग है-हंसते-हंसते खुशी के शबनमी आंसु-हमारी पलकें भिगो देते है-यानी हंसना और रोना ज़िंदगी में खुशी और गम का इज़हार करना है।

## गीत संगीत से भरी ज़िंदगी

गीत और संगीत जीवन में नीरवता के स्थान पर खुशियां और प्रेम रस घोल देते है। खुशियां हमारे जेहन में रहती है तो ज़िंदगी रंगीन, हसीन और मस्तानी लगती है-सुख और दु:ख ज़िंदगी का हिस्सा है-दु:खों से क्या घबराना? जब सुख भरे दिन, बीत जाते हैं तो ये बुरे दिन भी कट जाएंगे-समय कहां ठहरता है-हां हमारा मन जरूर व्यथित हो जाता है-कुछ भी अच्छा नहीं लगता सारा जहां बुझा-बुझा सा लगता है, मन बैरानी हो उठता है। शबनमी आंसू मन को हल्का कर देते हैं। शबनमी अश्क बहकर मन को बहला फुसला लेते हैं, ज़िंदगी फिर रफ्तार पकड़ लेती है। किंतु मन के किसी कोने में शबनमी मोती मौका पाकर बरस पड़ते है-लब मानों मुस्कुराना ही भूल गए हो और जब खुशियां आ जाती है तो इन लबों की मुस्कान पर लाखों मोती बिखर जाते है-रूखसार की लाली पर न जाने कितने गुलाबी फूल खिल जाते है-ज़िंदगी हसीन हैं पर इससे भी हसीन ये मासूम शोखियां जिनमें अरमानों के रंग हैं, अदाओं की शोखी भी कायनात जीवन में कितने रंग भर देती है-न...।

## ख्वाबों का खजाना

जब हम मुस्कुरा उठते हैं तो-सुबह की उजली धूप से रोशन हो उठता है-'हमारा खूबसूरत अशियाना' झरोखे से छनती रोशनी में पलती है हमारे रिश्तों की गर्मियां ढलती शाम के संग सुकूं के पल बिताते है हम यहां अपनों को संग। गुजारे

लम्हों से खिलता है यहां का सुनहरा सवेरा-न जाने कितनी खट्टी-मीठी यादों के गवाह है-यह हमारे ख्वाबों का हसीन जहान और जब ख्वाबों का घरौन्दा टूटकर बिखर जाता है तो आंखों से 'अश्कों का सैलाब उमड़ पड़ता है-यही तो है शबनम की तरह रोना-फूलों की पंखुड़ियों पर शबनम की बूंदे बेहद खूबसूरत लगती हैं उसी प्रकार बहते, छलकते अश्क भी मदभरी आंखों को और भी सुरमयी बना देते हैं। भीगी पलकें, शबनमी आंखों के सुरूर को और भी बढ़ा देते हैं। लगता है इन जुल्फों के साये में घटाएं कैद है इन निगाहों की मस्ती में वफाएं कैद हैं-लबों का छूकर शबनम जो बिखरी तो गुलाबों ने कहा-इन सुर्ख लबों में गुलों की नरमी कैद है। रोने के बाद मन जो बोझिल था, हल्का सा लगता है जैसे काली घटाओं के बरसने के बाद आसमान कैसा, स्वच्छ, निर्मल हो जाता है। रोना और हंसना बेहद जरूरी है-इसे अपनी ज़िंदगी का अहम् हिस्सा बनाए। अपनी जीवन-शैली में इन्हें स्थान दे। ज़िंदगी की गाड़ी अवरोधों के बीच भी चलेगी-चलती रहेगी, चलती ही रहेगी।

### कायनात और तुम

सारी कायनात, झरने में नहायी, स्वच्छ और निर्मल लगने लगती है, मन-कंवल खिल उठता है वाह! रे हंसना और रोना-ऐसा लगता है, किसी के कदमों की आहट ने दिल के अरमानों पर दस्तक दी है। कोई खुशनसीब लम्हा खामोश गुजरा है यहां से इस घर की आबो-हवा भी यही कहती है-कोई दिल का दरवाजा सूना पड़ा है जो बरसों से बन्द है-दिल के किसी कोने में अरमानों की यादें रातरानी की तरह महक उठी है याद करोगे तो अश्कों से दामन यूं ही भर जाएगा-फूलों से भरा दामन ओढ़ कर बैठे हो तो शबनमी मोती सितारों की तरह झिलमिला उठेंगे-अपना अतिप्रिय कोई याद आने पर दामन भीग उठेगा-झुकी झुकी भीगी पलके जब मुस्कुराएगी तो लब अपने आप कोई गीत उसकी याद में गुनगुना उठेंगे जैसे-

मधुबन खुशबू देता है,  
सागर सावन देता है।  
जीना उसका जीना है,  
जो औरों को जीवन देता है।''

तभी तो हम कहते हैं-फूलों की तरह मुस्कुराइए और शबनम की तरह रोइए-ज़िंदगी यूं ही हंसते-रोते कट ही जाएगी। मुहब्बत की डगर तक जाने का रास्ता-यहीं से गुजरता है। इस ख्वाबगाह का जीना (सीढ़ी) आपके दिल तक पहुंचता है। हमारा दिल खुश हो तो सारा जहां खुश-और दिल-ए-नांदा उदास तो सारी कायनात-सारी फिजां उदास हो उठती है और दिल खुश है वादे सब गुनगुना उठती है कानों में मधुर संगीत की लहरें गूंजने लगती है-हां ये तो होना ही है क्योंकि हम ज़िंदादिल हैं-मुस्कुराएंगे-खिलखिलाएंगे जहां हम कदम रखें-जमाना हमारा हम सफर बन जाएं मुस्कुरा उठे और जहां अलविदा कह दे-शबनमी मोती छलक उठे। जीवन का सफर यूं ही कटता रहेगा और एक दिन आप अकेले नहीं-एक खुशनुमां कारवां आपके साथ हमकदम होगा। ज़िंदगी गुल (फूल) और खार (कांटे)-दोनों से भरी होगी फिर भी हम मुस्कुराएंगे क्योंकि जीवन अनमोल है क्या पता आगे क्या हों? ■

(लेखिका पूर्व प्राचार्य हैं)

**तभी तो हम कहते है-फूलों की तरह मुस्कुराइए और शबनम की तरह रोइए-ज़िंदगी यूं ही हंसते-रोते कट ही जाएगी। मुहब्बत की डगर तक जाने का रास्ता-यहीं से गुजरता है। इस ख्वाबगाह का जीना (सीढ़ी) आपके दिल तक पहुंचता है। हमारा दिल खुश हो तो सारा जहां खुश-और दिल-ए-नांदा उदास तो सारी कायनात-सारी फिजां उदास हो उठती है और दिल खुश है वादे सब गुनगुना उठती है कानों में मधुर संगीत की लहरें गूंजने लगती है-हां ये तो होना ही है क्योंकि हम ज़िंदादिल हैं- मुस्कुराएंगे-खिलखिलाएंगे जहां हम कदम रखें-जमाना हमारा हम सफर बन जाए मुस्कुरा उठे और जहां अलविदा कह दे-शबनमी मोती छलक उठे। जीवन का सफर यूं ही कटता रहेगा और एक दिन आप अकेले नहीं-एक खुशनुमां कारवां आपके साथ हमकदम होगा। ज़िंदगी गुल (फूल) और खार (कांटे)-दोनों से भरी होगी फिर भी हम मुस्कुराएंगे क्योंकि जीवन अनमोल है क्या पता आगे क्या हो?**

# भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका

■ डॉ. मनीषा शर्मा

भारतीय पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की कहानी है। पत्रकारिता ने राष्ट्रीयता के विकास की भूमि तैयार की। स्वतंत्रता प्राप्ति में हर कदम पर सहयोग दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में उदित हुई पत्रकारिता ने इसमें अदम्य ऊर्जा व शक्ति का संचार किया। हिन्दी पत्रों ने दिशाहीन समाज को स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से परिचित कराया। देश की मृतप्राय, चेतनाशून्य हो चुकी जनता के निराश हृदय में नई आशा का मंत्र फूंका और क्रान्ति के बीज अंकुरित किए।

हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई तलवार से ज्यादा कलम से लड़ी गई। अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि–

**''खींचों न कमान**<br>
**न तलवार निकालो।**<br>
**जब तोप मुकाबिल हो तो**<br>
**अखबार निकालो।''**

सन् 1857 में प्रकाशित 'पयामे आजादी' आजादी का संदेश लेकर आया इसे क्रांतिकारी नेता अजीमुल्ला खां ने 8 फरवरी 1857 में दिल्ली से प्रकाशित किया। इस पत्र की वाणी आग उगलती थी। इसने अपनी तेजस्वी वाणी से जनता में स्वतंत्रता का स्वर फूंका। इस पत्र में उस समय के वातावरण में ऐसी चेतना पैदा कर दी थी जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और इस पत्र को बंद कराने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय जिस भी व्यक्ति के पास इस पत्र की प्रति मिल जाती उसे तरह-तरह की यातनाएं दी जाती। इसकी सारी प्रतियों को

जप्त करने के लिए तत्कालीन सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया इस प्रकार से इस पत्र ने अपनी ओजस्वी वाणी में क्रांति के स्वरों को बुलन्द कर स्वतंत्रता प्राप्ति में सराहनीय योगदान दिया। इसी पत्र में भारत का 1857 का प्रसिद्ध राष्ट्रगीत छपा था–

***''हम हैं इसके मालिक***<br>
***– हिन्दुस्तान हमारा***<br>
***पाक वतन है कौम का***<br>
***– जन्नत से भी प्यारा***<br>
***ये है हमारी मिल्कियत,***<br>
***हिन्दुस्तान हमारा***<br>
***इसकी रूहानियत से,***<br>
***रोशन है जग सारा।''***

जब 8 अप्रैल 1857 को युवा क्रांतिकारी मंगल पाण्डे को फांसी दी गई। सशक्त जनआंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। लोग सिर पर कफन बांध स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। ऐसे समय 'पयामे आजादी' ने अपने संपादकीय के माध्यम से लोगों में चेतना का संचार किया–

''बरेली और मुरादाबाद की सैनिक पलटनों के सेनापतियों का दिल्ली की सेना की ओर से हार्दिक आलिंगन। भाईयों! दिल्ली में फिरंगियों के साथ आजादी की जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने उन्हें पहली शिकस्त दी है, उससे वे इतना घबरा गये हैं कि पहले ऐसी दस शिकस्तों से भी न घबराते। बेशुमार हिन्दुस्तानी बहादुरी के साथ दिल्ली में आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर आपका आना लाजिमी है। आप अगर वहां खाना खा रहे हों तो हाथ यहां आकर धोयें। हमारा बादशाह आपका इस्तकाल करेगा। हमारे कान इस तरह आपकी ओर लगे हैं जिस तरह रोजेदारों के कान मुअज्जिब के अजान की तरफ लगे रहते हैं। हम आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब हैं। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी हैं। बिना आपकी आमद

के गुलाब के पौधे में फल नहीं खिल सकते।''[1]

इसी समय हिन्दी गद्य व पद्य के पुष्टिदायक भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने 1868 में काशी से **'कविवचन सुधा'** का प्रकाशन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में नया मार्ग दिखाया। भारत की तत्कालीन स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा–

*''अब जहं दुखहु वह*
*दुःखहि दुःख दिखाई।*
*हा हा। भारत दुर्दशा*
*न देखी जाई।।''*

*''निज भाषा उन्नति अहै,*
*सब उन्नति को भूल।*
*बिन निज भाषा ज्ञान के,*
*मिटे न हिय को शूल।।*

कविवचन सुधा साहित्य और समाज के प्रति उद्धार का दृढ़ संकल्प लेकर निकली और इसी के कारण सरकारी कोप का शिकार हुई। इस पत्रिका ने सदैव आम जन हितों के लिए संघर्ष किया।

1907 ई. में इलाहाबाद से 'स्वराज्य' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संस्थापक शांति नारायण भट्टनागर थे। इस पत्र की उग्रता का परिचय इसी बात से चलता है कि रोलेट कमीशन की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु तत्पर इस पत्र की महत्ता व उद्देश्य का पता इसमें प्रकाशित संपादक के पद हेतु विज्ञापन से चलता है जिसकी पंक्तियां थी– ''चाहिए स्वराज्य के लिए संपादक। वेतन दो सूखी रोटियां, एक ग्लास ठण्डा पानी और हर संपादकीय के लिए दस साल जेज।''

सन् 1907 में प्रकाशित पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी का पत्र 'नृसिंग' न्याय का रक्षक था। स्वराज्य की स्थापना हेतु नृसिंग ने लिखा– ''स्वराज्य की आवश्यकता भारतवासियों को इसलिए है कि विदेशी सरकार उनके अभावों अभियोगी को समझने में असमर्थ हैं। यदि आज यहां स्वराज्य होता तो लाखों हिन्दुस्तानी दुर्भिक्ष के कारण दाने–दाने को तरस कर प्राण न गंवाते। ...स्वराज्य के अभाव में ही प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपये इस दरिद्र देश से इंग्लैण्ड चले जाते हैं और बदले में भारत में एक कानी कौड़ी तक नहीं आती ... जहां के शासक शासितों से सहानुभूति नहीं रखते उस देश की विपत्तियों की तुलना किससे हो सकती है ... ऐसी स्थिति में स्वराज्य के बिना भारत की गति नहीं है।''[2]

**1907 ई. में इलाहाबाद से 'स्वराज्य' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संस्थापक शांति नारायण भट्टनागर थे। इस पत्र की उग्रता का परिचय इसी बात से चलता है कि रोलेट कमीशन की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु तत्पर इस पत्र की महत्ता व उद्देश्य का पता इसमें प्रकाशित संपादक के पद हेतु विज्ञापन से चलता है जिसकी पंक्तियां थी – *''चाहिए स्वराज्य के लिए संपादक। वेतन दो सूखी रोटियां, एक ग्लास ठण्डा पानी और हर संपादकीय के लिए दस साल जेल।''***

इसी के साथ अनेक भूमिगत पत्र भी निकले। रणभेरी, शंखनाद, चिनगारी, रणडंका, तूफान जैसे पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। इस क्रांतिकारी समय में क्रांतिकारी पत्रकार पराड़कर जी ने भी 1930 ई. में 'रणभेरी' में लिखा–

''ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं रह गया जहां से एक भी 'रणभेरी' जैसा परचा न निकलता हो। अकेले बम्बई में इस समय ऐसे एक दर्जन परचे निकल रहे हैं। शुरू में वहां सिर्फ 'कांग्रेस बुलेटिन' निकलती थी। नये परचों के नाम समयानुकूल है जैसे– 'रिवोल्ट', 'रिवोल्यूशन', 'विप्लव', 'बलवो', 'फितूर', 'गदर', 'बगावत', 'बदमाश अंग्रेज सरकार' आदि।''[3]

दैनिक वर्तमान पत्र ने लिखा–''भारत के हम और हमारा भारत प्यारा, स्वतंत्रता है जन्मसिद्ध अधिकार हमारा।''

विविध पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख देशप्रेम की कविताएं स्वतंत्रता सेनानियों हेतु उत्प्रेरक का कार्य करती थी।

स्वतंत्रता के इस पुनीत यज्ञ में आज (काशी), स्वतंत्र (कलकत्ता), प्रताप (कानपुर), अर्जुन (दिल्ली), कर्मवरी (जबलपुर), भविष्य (प्रयाग) आदि ने अपनी आहुति देकर इसे लगातार प्रज्वलित रखा।

इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता ने कलम की शक्ति के संचार द्वारा लोगों में स्वदेश प्रेम तथा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति रोष जगाकर जनचेतना का कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।

**संदर्भ**

1. पत्रकारिता की रूपरेखा, श्रीपाल शर्मा, पृ. 50–51
2. जनसंचार समग्र/डॉ. अर्जुन तिवारी, पृ. 218
3. रणभेरी, बाबूराव विष्णु पराडकर, 25 अगस्त, 1930

**(लेखिका विभागाध्यक्ष (जनसंचार) चोइथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर, म.प्र.)**

# एहसान

■ बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'

रात को दो बजे अचानक रौशन की तबीयत एक दम खराब हो गई। उसे बार-बार उल्टी सी आने लगी। और वह पेट दर्द से चिल्लाने लगा।

रौशन की मां उसका हाथ पकड़ बोली बेटा चल जल्दी से सड़क पर चल शायद कोई टैक्सी टेम्पू वाला मिल जाए तो तुम्हें लेकर अस्पताल पहुंच जाऊंगी। इतना कह कर रौशन की मां रौशन को घर से बाहर सड़क पर ले आई। संयोग से एक टैम्पू वाला चौराहे पर खड़ा मिल गया।

रौशन की मां रौशन को सड़क पर बैठा कर टेम्पू वाले के पास पहुंच कर बोली (भाई साहब मेरे बेटे का हाल बहुत खराब है आप जल्दी से हमें वर्मा-नर्सिंग होम पहुंचा दो।

''जो भाड़ा कहो वह देने को तैयार हूं।''

''नहीं, मैं इतनी रात गए कहीं नहीं जाऊंगा।'' मुझे आराम करने दीजिए। आप कोई दूसरा टेम्पू ढूंढ़ लीजिए।

टेम्पू ड्राइवर बेरूखी से बोल पड़ा।

भाई साहब कुछ तो मेहरबानी कीजिए। हम पर न सही हमारे बेटे पर तरस खाइए। अगर मेरा बेटा अस्पताल नहीं पहुंचा, तो मर भी सकता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पांव पड़ती हूं मुझे वर्मा नर्सिंग होम छोड़ दो न।

मैंने कहा न नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जाओ दूसरा टेम्पू-टैक्सी खोज लो।

तभी सामने से एक टैक्सी आती दिखाई दी, टैक्सी को देख कर रौशन की मां बीच सड़क पर खड़ी होकर टैक्सी रोकने को हाथ से इशारा करने लगी।

टैक्सी वाला भला इंसान था। उसने टैक्सी रोककर पूछा, ''क्या बात है बहन जी आप क्यों इतनी घबराई हुई हैं?''

''मेरा बेटा रौशन बहुत बीमार है। उसे वर्मा-नर्सिंग होम ले जाना है। क्या आप हमें वहां तक छोड़ सकते हैं? आप की बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भुलूंगी।'' रौशन की मां ने कहा।

टैक्सी वाले ने कहा, ''बहन जी एहसान मेहरबानी की कोई बात नहीं आप अपने बेटे को लेकर टैक्सी का पिछला फाटक खोल कर अन्दर बैठ जाइए। मैं आप को वर्मा नर्सिंग होम छोड़ कर घर चला जाऊंगा।''

रौशन को साथ लेकर उसकी मां टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी तेज रफ्तार से सड़क पर भागती हुई वर्मा नर्सिंग होम जा पहुंची।

टैक्सी वाले ने रौशन को उठा कर नर्सिंग होम के बेड पर लिटाया और

बोला, ''बहन जी अब मैं जा सकता हूं।''

इतना सुनते ही रौशन की मां अपने पर्स से पांच सौ का नोट निकाल कर टैक्सी वाले की ओर बढ़ाते हुई बोली, ''लो अपना मेहनताना तो लेते जाओ।''

''नहीं बहन जी रुपया अपने पास रखिए आप के काम आएगा। मैं किसी पर की गई एहसान की कीमत नहीं लेता हूं। मेरी दुआ है आपका बेटा जल्दी अच्छा हो जाए।'' इतना कह कर टैक्सी वाला रौशन की मम्मी को नमस्कार कह कर वहां से चला गया।

डाक्टर ने तुरंत रौशन का चेकअप करके एडमिट कर लिया, और रोशन की खां-खां शुरू हो गई। रौशन के शरीर में गलूकोज की बोतल चढ़ाया जाने लगा।

रौशन की मां सारी रात जागकर रौशन के बेड के पास बैठी रही। दवा से रौशन की हालत में तेजी से सुधार होने लगा।

अगले दिन रौशन पूरी तरह ठीक हो गया। डाक्टर ने पुनः चेकअप करके रौशन को अस्पताल से छुट्टी दे दी।

एक रोज रौशन की मां जज की कुर्सी पर बैठी मुकदमों को देख रही थी। तभी कोर्ट में सेठ रामदास की पुकार हुई। रामदास कोर्ट में हाजिर हो कर कहने लगा जज साहिबा मुझे पुलिस झूठे एक्सीडेंट के केस में फंसा कर यहां लाई है। मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। पुलिस झूठ में हम पर केस बनाकर हमें फंसाना चाहती है। जज साहिबा हम पर एहसान कीजिए हमारे केस का सही न्याय कीजिए। वर्ना पुलिस हमें जेल भेज देगी। सेठ रामदास को देखकर और उनकी बात सुनकर जज साहिबा ने वकील से कहकर केस की फाइल पेश करने को कहा। फाइल देखने के बाद जज साहिब ने कहा अदालत में गवाह को पेश किया जाए।

इतना कहना था कि पुलिस के

**एक रोज रौशन की मां जज की कुर्सी पर बैठी मुकदमों को देख रही थी। तभी कोर्ट में सेठ रामदास की पुकार हुई। रामदास कोर्ट में हाजिर हो कर कहने लगा जज साहिबा मुझे पुलिस झूठे एक्सीडेंट के केस में फंसा कर यहां लाई है। मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। पुलिस झूठ में हम पर केस बनाकर हमें फंसाना चाहती है। जज साहिबा हम पर एहसान कीजिए हमारे केस का सही न्याय कीजिए। वर्ना पुलिस हमें जेल भेज देगी। सेठ रामदास को देखकर और उनकी बात सुनकर जज साहिबा ने वकील से कह कर केस की फाइल पेश करने को कहा। फाइल देखने के बाद जज साहिब ने कहा अदालत में गवाह को पेश किया जाए। इतना कहना था कि पुलिस के चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगीं।**

चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगी। जब घंटों बाद कोई गवाह नहीं पेश हुआ, तो जज साहिबा केस को खारिज करती हुई बोली। सेठ रामदास पर झूठा केश करने तथा उन्हें नाहक परेशान करने के जुर्म में केश करने वाले दरोगा और पुलिस को यह कोर्ट नौकरी से बरखास्त करने का आदेश देती है। इतना कहकर जज साहिबा कोर्ट से उठकर अपने रूम में चली गई।

कोर्ट से बाहर आते ही सेठ रामदास के पास कोर्ट का पेशकार आकर बोला। सेठ जी चलिए जज साहिबा ने आप को बुलाया है।

जज साहिबा के रूम में पहुंचते ही जज साहिबा प्यार से सेठ रामदास को कुर्सी पर बैठाकर पूछ पड़ी, आपने हमें पहचाना नहीं, मैं वही रात वाली औरत हूं, जिसे आपने उसके बेटे रौशन के साथ वर्मा नर्सिंग होम पहुंचाया था। मैं आपको कोर्ट में देखकर तुरंत पहचान गई। इतना सुनकर सेठ रामदास बोल पड़े, ''जज साहिबा आपने तो हमारे एहसान का बदला चुका दिया। मैं इस झूठे मुकदमें के पीछे पांच साल से परेशान था। आपने सचमुच सही न्याय देकर अपना सम्मान बढ़ाया है। मैं इस एहसान को मरकर भी नहीं भूल पाऊंगा।''

तभी एक नौकर चाय नाश्ता लेकर वहां आ गया और मेज पर रखकर चला गया।

जज साहिबा ने कहा सेठ जी आप नाश्ता करके यहां से जाइए, और भविष्य में जब कभी हमारी जरूरत पड़े, तो जरूर हमें याद कीजिएगा। मैं आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहूंगी।

सेठ रामदास नाश्ता करने के बाद कुर्सी से उठे ओर जज साहिबा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कमरे से बाहर आ कर अपनी गाड़ी मैं बैठ कर घर की ओर चल दिए। ■

**(लेखक जाने माने कथाकार हैं।)**

# अपमानित क्यों है नारी?

■ रामसिंह दिनकर

भारत की धरती को मां कहने वालों,
यहां क्यों रोती बिलखती मिलती है नारी॥

मन्दिरों में खड़ी है वह मूरत बनी,
शेरावाली मां कहकर तुमने पुकारी।
जन्म देनी वाली उस जननी को देखा,
उसकी लुटती है इज्जत क्यों भरती किलकारी॥

हवस की शिकार उन बहिनों को देखा,
उन बेटियों को देखो दहेज की मारी।
लुटती हुई उसकी आबरू को देखो,
अपंग हाथ पैरों से क्यों बिलखती है नारी॥

स्वतंत्र भारत में उसको आजादी मिली,
उसकी पढ़-लिखकर थी आगे बढ़ने की तैयारी।
आगे बढ़ते कदम उस नारी को देखो,
पुरुषों से आगे खड़ी मिलती है नारी॥

अन्तरिक्ष में घूमती है वह वैज्ञानिक बनी,
कठिन राहों पर भी खड़ी मिलती है नारी।
उसकी फैशन-सोहरत से चकाचौंध होकर
क्यों नैतिक पतन है पुरुषों का भारी॥

क्यों दरिंदे बनकर घूरते हैं उनको,
मां-बहिनें भी दीखती हैं मल्लिका सारी।

अन्धे हो गये हैं वे इश्क के नशे में,
बलात्कारियों ने क्यों देश की फिजा बिगारी॥

अय्यासी में चूर साहबजादों को देखो,
लग्जरी गाड़ियों में मिलते नशे में भारी।
बलात्कारी कुकृत्यों को अंजाम देते,
चीखती-चिल्लाती हैं क्यों बेटियां हमारी॥

सम्प्रदाय जातियों के बिखरे भारत को देखो,
अस्पृश्यता-छुआछूत से घृणा है भारी।
नशे में अन्धे उन अय्यासियों को देखो,
बलात्कार में छुआछूत से मुक्त है नारी॥

निष्क्रिय बनी पुलिस सुरक्षा को देखो,
क्यों घटनाओं को छुपाती पूछती है नारी।
चीखती-चिल्लाती आवाज को ना सुनती,
निष्क्रिय कानून व्यवस्था से असुरक्षित नारी॥



# अपने लेख ई-मेल करें

**सामाजिक न्याय संदेश में**

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर पर शोधपरक गंभीर व विश्लेषणात्मक लेख, कविताएं, कहानियां, आदि रचनाएं और दलित-स्त्री-आदिवासी साहित्य व विमर्श पर सामग्री भेजें। अपने लेख, डाक द्वारा भेजें या ई-मेल करें। ई-मेल करने के लिए, वॉकमैन चाणक्य (Walkman-chankya-905) फोंट का इस्तेमाल करते हुए अपने वर्ड ओपन फाईल को hilsayans@gmail.com अथवा editorsnsp@gmail.com पर भेजें। रचनाओं के मौलिक, अप्रसारित व अप्रकाशित होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

**-सम्पादक**

**सामाजिक न्याय संदेश**

**15 जनपथ, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन : 011-23320588**

# सम्पादक के नाम पत्र

## कवर पेज बहुत पंसद आया

**सम्पादक महोदय,**

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका के कई महीनों का अंक देखा। कई अंकों में मुख्य पृष्ठ पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चित्र बहुत पसंद आया। संपादकीय भी अति उत्तम लगा।

आलेख-गोलमेज सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर-जीवन चरित और उपन्यास 'अछूत' बहुत पसंद आई।

पत्रिका में बच्चों का पन्ना, फीचर शुरू किया जाए। लेखकों का पूरा पता और मोबाइल नम्बर भी दीजिए, हमें विश्वास है आप हमारी मांग और सुझाव को अमल में लाएंगे।

**बद्री प्रसाद वर्मा 'अनजान'**
गोरखपुर (उ.प्र.)



## पत्रिका से प्रेरणा मिलती है

**सम्पादक महोदय,**

'सामाजिक न्याय संदेश' पत्रिका में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर पर जो लेख लिखते है उससे देश की जनता को, अच्छा नामवंत पुरुष बनने की प्रेरणा मिलती है।

सभी लेखकों के लेख, सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की देश के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज परिषद, मानव कल्याण और संवैधानिक कार्यप्रणाली का बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान है।

हमारा संकल्प है कि सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाया जाए। और घर-घर तक समाज के लोगों तक डॉ. अम्बेडकर की विचारधाराएं-आदर्श पत्रिका द्वारा पहुंचाने का महती कार्य हो।

उत्कृष्ट, प्रिंटिंग, छपाई और लेख दर्जेदार व आकर्षक हैं।

संपादक साहब, संपादक मंडल, संपादकीय कार्यालय और डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

**प्रकाश धायवन**
बल्लारपुर, (महाराष्ट्र)

## बेहतरीन जानकारी पत्रिका से मिल रही हैं

**सम्पादक महोदय,**

आपकी पत्रिका का पाठक मैं वर्षों से हूं। सम्पादकत्व में प्रकाशित सामाजिक न्याय संदेश पत्रिका बहुत ही उपयोगी लेखों के साथ प्रकाशित हो रही है।

आजादी के पहले के बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष व प्रयास की बेहतरीन जानकारी पत्रिका से मिल रही है। पत्रिका अपने नाम को सार्थक करते हुए वास्तव में सामाजिक न्याय के मुद्दे को बेहतरीन ढंग से रेखांकित करती है।

'सामाजिक न्याय' के अधिकांश मुद्दों पर लेखों की श्रृंखला अच्छी पठनीय सामग्री देती है। सामाजिक न्याय के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाले हमारे महापुरुषों के बारे में आप पर्याप्त सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। जिससे अपने सभी महापुरुषों के संघर्ष, त्याग व बलिदान की जानकारी पाठकों को बेहतर ढंग से प्राप्त हो रही है।

मुल्कराज आनंद की ''अछूत'' का धारावाहिक प्रकाशन प्रशंसनीय है। ऐसा आप अन्य लेखकों की पुस्तकों का भी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जी द्वारा समाज के कमजोर एवं वंचित तबकों के लिए प्रस्तावित एवं लागू योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी देने का प्रयास करें।

**रामलाल गुप्ता**
दल्ली राजहरा, जिला दुर्ग
छत्तीसगढ़

## बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

**सम्पादक महोदय,**

ज्ञात हुआ था कि मेरा आलेख आपकी प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' में प्रकाशित हुआ है। लेकिन मुझे वह अंक नहीं मिला है। इंटरनेट से भी मैंने कई अंक डाउनलोड किए, लेकिन मेरा आलेख नहीं मिला।

अतः आपसे प्रार्थना है कि यदि संभव हो तो मुझ उस अंक की एक प्रति भेजें, जिसमें मेरा आलेख छपा है। अथवा यदि किसी कारणवश आलेख नहीं छप पाया हो, तो उसे आगामी अंकों में स्थान देने की कृपा करें।

**सुधांशु**
भागलपुर, बिहार

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
Dr. Ambedkar Foundation
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India

15, जनपथ, नई दिल्ली-110001,
फोन नं. 011-23320588, 23320589, 23320571, 23320576,
फैक्स: 011-23320582
Website: www.ambedkarfoundation.nic.in

# सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

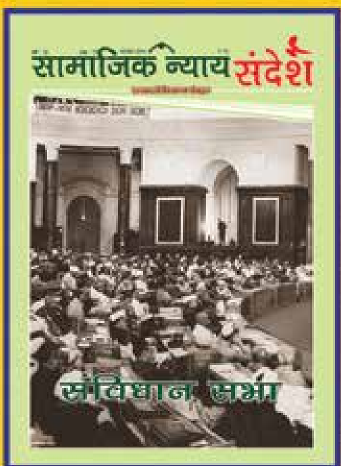

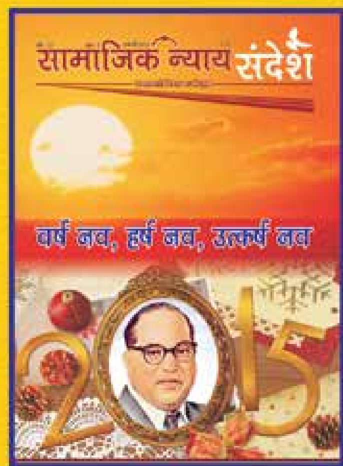


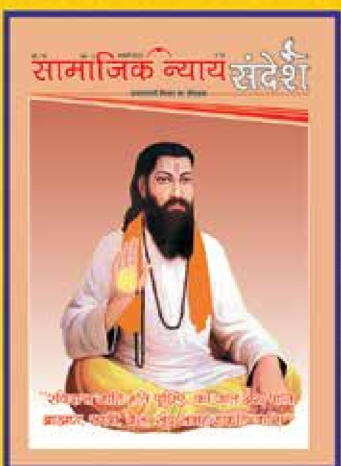


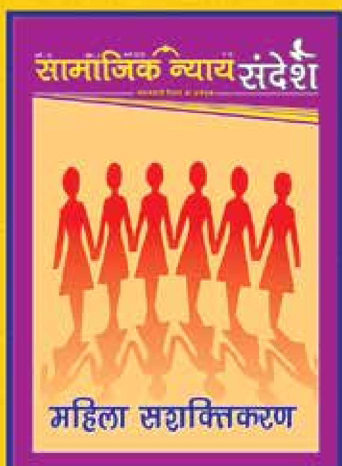


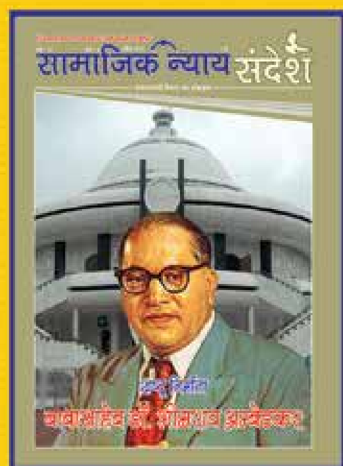


स्वयं पढ़े एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।

15, जनपथ, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-23320588, 23320589, 23320571, 23320576, फैक्स: 011-23320582
Website: www.ambedkarfoundation.nic.in

सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका

# सामाजिक न्याय संदेश

समतावादी विचार का संवाहक

डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों की पत्रिका *'सामाजिक न्याय संदेश'* का प्रकाशन पुनः आरम्भ हो गया है। समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व एवं न्याय पर आधारित, सशक्त एवं समृद्ध समाज और राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने में सामाजिक न्याय संदेश की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'सामाजिक न्याय संदेश' देश के नागरिकों में मानवीय संवेदनशीलता, न्यायप्रियता तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए समर्पित है।

'सामाजिक न्याय संदेश' बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों व उनके दर्शन तथा फाउन्डेशन के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहा है।

सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाने में इस पत्रिका से जुड़कर आप अपना योगदान दे सकते हैं। आज ही पाठक सदस्य बनिए, अपने मित्रों को भी सदस्य बनाईए, पाठक सदस्यता ग्रहण करने के लिए एक वर्ष के लिए रू. १००/-, दो वर्ष के लिए रू. १८०/-, तीन वर्ष के लिए रू. २५०/-, का डिमांड ड्राफ्ट, अथवा मनीऑर्डर जो **'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन'** के नाम देय हो, फाउन्डेशन के पते पर भेजें या फाउन्डेशन के कार्यालय में नकद जमा करें। चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव का भी हमेशा स्वागत रहेगा।

– सम्पादक



## सामाजिक न्याय संदेश सदस्यता कूपन

मैं, डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय संदेश' का ग्राहक बनना चाहता /चाहती हूं/

**शुल्कः वार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 100/-, **द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 180/-, **त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क रू.** 250/-। (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

मनीऑर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट नम्बर............................................दिनांक.......................संलग्न है।

**कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर 'डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन' के नाम नई दिल्ली में देय हो।**

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ..........................................................................................

पता ..........................................................................................................

..........................................................................................पिन ....................

फोन/मोबाईल न...................................ई.मेलः ....................................................

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित निम्न पते पर भेजिए :

**डॉ. अम्बेडकर फाउन्डेशन**

**15 जनपथ, नई दिल्ली-110 001 फोन न. 011-23320588, 23320589, 23357625**

# THE CONSTITUTION OF INDIA

**WE, THE PEOPLE OF INDIA,** having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

**JUSTICE,** social, economic and political;

**LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship;

**EQUALITY** of status and of opportunity; and to promote among them all

**FRATERNITY** assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

**IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY** this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

RNI No. DELHIN/2002/9036

प्रकाशक व मुद्रक जी.के. द्विवेदी द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए-1,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110064 से मुद्रित तथा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित।
सम्पादक : सुधीर हिलसायन